महानगर नई दिल्ली शनिवार 28 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

आज तय हो सकता है हिस्सेदारी का फार्मूला

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड में शनिवार को कांग्रेस और झामुमो मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी के फार्मूले को अंतिम रूप दे सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस हेमंत सोरेन की अगुआई वाले मंत्रिमंडल में अपने लिए पांच मंत्री पद और विधानसभा अध्यक्ष का पद भी चाहती है। इस संबंध में एक सूत्र ने बताया कि झामुमो विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस को देने के लिए लगभग तैयार है। हालांकि वह कांग्रेस कोटे से सिर्फ चार मंत्री चाहता है। राजद को मंत्रिमंडल में शामिल करने या नहीं करने को लेकर भी अभी दोनों पार्टियों के बीच सहमति बननी है।

झारखंड में मंत्रिमंडल के गठन की कवायद

झामुमो विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस को देने के लिए लगभग तैयार है। हालांकि वह कांग्रेस कोटे से सिर्फ चार मंत्री चाहता है। राजद को मंत्रिमंडल में शामिल करने या नहीं करने को लेकर भी अभी दोनों पार्टियों के बीच सहमति बननी है।

सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और सोरेन शनिवार को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी के फार्मूले को अंतिम रूप दे सकते हैं। इस बीच, दिल्ली में झारखंड के कई कांग्रेस विधायक पिछले दो दिनों से लगातार प्रयासरत हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। दरअसल, झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की जीत के बाद 29 दिसंबर को सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चुनाव में गठबंधन को 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटें मिलीं। झामुमो को 30, कांग्रेस को 16 और राजद को एक सीट मिली।

राजकाज
उन्नीस-बीस

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

कुपवाड़ा, पुंछ व उड़ी में भारतीय सेना का करारा जवाब

चार पाक रेंजर ढेर तीन चौकियां तबाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

कुपवाड़ा, पुंछ और उड़ी सेक्टरों में सेना ने शुक्रवार को पाकिस्तानी रेंजर्स के चार जवानों को मार गिराया। पाकिस्तान की तीन चौकियों और दो बंकर भी तबाह किए गए हैं। भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई से तबाही के बाद बौखलाए पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर के रिहाइशी इलाकों में लंबी दूरी के 120 मिमी मोर्टार और रॉकेट दागे। इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। घुसपैठ कराने की फिराक में एलओसी के पार से पाकिस्तानी जवानों ने लीपा वैली स्थित अपनी चौकियों से गोलाबारी तेज कर दी। भारतीय जवान इसी का जवाब दे रहे हैं। सेना की चिनार ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर केके सिंह ने कहा कि घुसपैठ की पाकिस्तान बाकी पेज 8 पर

120
मिमी के मोर्टार और रॉकेट दागे बौखलाए पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर के रिहाइशी इलाकों में

सीमा पर तैनात जवान। फाइल फोटो

घुसपैठ कराने की फिराक में एलओसी के पार से पाकिस्तानी जवानों ने लीपा वैली स्थित अपनी चौकियों से गोलाबारी तेज कर दी। भारतीय जवान इसी का जवाब दे रहे हैं।

145 दिन बाद करगिल में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल

श्रीनगर, 27 दिसंबर (भाषा)।

लद्दाख के करगिल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुक्रवार को बहाल कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र द्वारा पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के बाद से यहां 145 दिन तक बाकी पेज 8 पर

पीएसए : हिरासत में लेने के तीन आदेश खारिज

श्रीनगर, 27 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को विवादास्पद जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत पीडीपी के एक युवा नेता समेत तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिए जाने के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव बाकी पेज 8 पर

फिलहाल राहत नहीं, अभी और बढ़ेगा सर्दी का सितम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत गंभीर शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर की गिरफ्त में आई राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से तीन डिग्री कम और इस मौसम का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताहांत में तापमान और गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर-पछुआ सर्द हवाओं और अन्य मौसमी दशाओं के चलते पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दो दिनों में शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा कि इन क्षेत्रों में 31 दिसंबर के बाद शीत लहर के कम होने की संभावना है।

लेह में तापमान शून्य से 20.7 डिग्री सेल्सियस और चुरू में शून्य से छह डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़का।

दिल्ली के आयानगर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3.6 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक इस बार 1901 के बाद से अब तक का दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर का महीना है। दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से नौ डिग्री कम है। इसके पहले 1997 में पारा लुढ़क कर 17 डिग्री के आसपास आया था। दिल्ली में सबसे अधिक ठंड आयानगर में रही जहां न्यूनतम तापमान 3.6 दर्ज किया गया। उत्तर भारत के कई हिस्से हफ्ते भर से गंभीर शीत लहर की चपेट में हैं। शुक्रवार को लेह में तापमान शून्य से 20.7 डिग्री बाकी पेज 8 पर

श्रीनगर में शुक्रवार को डल झील के पानी पर जमी बर्फ को चीर कर आगे बढ़ता स्थानीय बाशिंदा।

3.6 दर्ज किया गया दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान

1901 के बाद से दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर का महीना है

11.8 डिग्री सेल्सियस रहा पालम में अधिकतम तापमान

1997 में पारा लुढ़क कर 17 डिग्री के आसपास आया था

आर्थिक वृद्धि दर कम लेकिन वित्तीय प्रणाली मजबूत : आरबीआइ

मुंबई, 27 दिसंबर (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि सुस्त होने के बाद भी देश की वित्तीय प्रणाली मजबूत है। रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है, 'घरेलू आर्थिक वृद्धि दर के कमजोर पड़ने के बाद भी भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी हुई है।' रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक जोखिम, वृहद आर्थिक दशा को लेकर जोखिम बाकी पेज 8 पर

2019-20 की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार कम होकर छह साल के निचले स्तर 4.5 फीसद पर आ गई।

छह दशक के निचले स्तर पर आ सकती है ऋण वृद्धि दर

मुंबई, 27 दिसंबर (भाषा)।

रेटिंग एजेंसी इक्रा की एक रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में ऋण वितरण की वृद्धि दर गिरकर करीब छह दशक के निचले स्तर 6.5 से सात फीसद पर आ सकती है। पिछले वित्त वर्ष में ऋण वितरण की वृद्धि दर 13.3 फीसद रही थी। एजेंसी ने कहा, 'सुस्त बाकी पेज 8 पर

श्रीनगर नगर निगम के पूर्व उपमहापौर हिरासत में

श्रीनगर, 27 दिसंबर (भाषा)।

श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के पूर्व उप-महापौर शेख इमरान को शुक्रवार को जम्मू एंड कश्मीर बैंक में करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़े एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इमरान को गुरुवार को निगम में एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर उप-महापौर के पद से हटा दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इमरान को कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर (सीए) केंद्र स्थापित करने के लिए उनकी कंपनी को दी गई सबसिडी में अवैध बाकी पेज 8 पर

नागरिकता कानून पर देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन

कड़ी सुरक्षा के बीच बना रहा अमन चैन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

नागरिकता कानून को लेकर शुक्रवार को देश भर से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की खबरें सामने आईं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कहीं से किसी अप्रिय वारदात की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में शांति बनी रही। बंगाल और असम में जुलूस निकाले गए। मुंबई में कानून के समर्थन में रैली की गई। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के बाकी पेज 8 पर

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में समर्थन में रैली

नागरिकता कानून पर प्रदर्शनों के मद्देनजर लखनऊ में शुक्रवार को मुस्तैद पुलिस के जवान।

प्रदर्शन में शामिल नॉर्वे की महिला को भारत छोड़ने का निर्देश

कोच्चि, 27 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होने पर एक जर्मन विद्यार्थी के बाद अब नॉर्वे की एक महिला को भी इसी तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण बाकी पेज 8 पर

फंदे से लटका मिला अभिनेता कुशल पंजाबी का शव

मुंबई, 27 दिसंबर (भाषा)।

अभिनेता कुशल पंजाबी का शव गुरुवार देर रात बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में फंदे से लटका मिला। वह 42 वर्ष के थे। कुशल ने 'काल' और 'लक्ष्य' जैसी फिल्मों और रियलिटी शो 'फीयर फैक्टर' में काम किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि देर रात करीब दो बजे कुशल के माता-पिता को उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। कुशल ने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि उनकी मौत का जिम्मेदार किसी को भी नहीं ठहराया जाए। उन्होंने बताया कि कुशल के फोन नहीं उठाने पर उनके माता-पिता सेंट एंड्रयू रोड स्थित एल्स्टिक बिल्डिंग में उनके घर पहुंचे। कुशल के परिवार में बेटा कियान, माता-पिता और बहनें हैं। बताया जाता है कि पत्नी से उनका अलगाव हो चुका है। बांद्रा पुलिस थाने में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय लक्ष्मी हीरेमठ ने कहा, 'गुरुवार देर रात दो बजे कुशल को उनके बाकी पेज 8 पर

कुशल ने 'काल' और 'लक्ष्य' जैसी फिल्मों और रियलिटी शो 'फीयर फैक्टर' में काम किया है।

दरअसल

हिंदू होने की वजह से बनाया गया निशाना | पाक क्रिकेटर ने कहा | पीठ पीछे की जाती थीं टिप्पणियां

कभी धर्म बदलने की जरूरत नहीं समझी

कराची, 27 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रतिबंधित टेस्ट लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने शुक्रवार को कहा कि जब वे खेला करते थे तब कुछ खिलाड़ी थे जो हिंदू होने के कारण उन्हें निशाना बनाते थे लेकिन उन्होंने कभी धर्म बदलने की जरूरत या दबाव महसूस नहीं किया। स्पॉट फिक्सिंग के लिए आजीवन प्रतिबंध झेल रहा यह लेग स्पिनर शोएब अख्तर के उस बयान के बाद चर्चा में आया है जिसमें इस तेज गेंदबाज ने आरोप लगाया था कि कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी धर्म के कारण कनेरिया के साथ भोजन करने से भी इनकार कर देते थे।

कनेरिया ने शुक्रवार को 'समा' चैनल से कहा कि कुछ खिलाड़ी पीठ पीछे उनको लेकर टिप्पणियां करते थे। उन्होंने कहा- 'मैंने कभी इसे मुद्दा नहीं बनाया। मैंने केवल उन्हें नजरअंदाज किया क्योंकि मैं क्रिकेट पर और पाकिस्तान को जीत दिलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। मुझे हिंदू और पाकिस्तानी होने पर गर्व है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हमारे क्रिकेट समुदाय को नकारात्मक तरीके से पेश करने की कोशिश न करें क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा पक्ष लिया और मेरे धर्म के बावजूद मेरा समर्थन किया।

कनेरिया से जब पूर्व बल्लेबाज यूसुफ योहाना (बाद में मोहम्मद यूसुफ) के बारे में पूछा गया जो ईसाई थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, उन्होंने कहा कि वे किसी की निजी पसंद पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूसुफ ने जो किया वह उनका निजी फैसला था, मुझे कभी धर्म परिवर्तन की जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि मेरी इसमें बाकी पेज 8 पर

> "मुझे हिंदू और पाकिस्तानी होने पर गर्व है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हमारे क्रिकेट समुदाय को नकारात्मक तरीके से पेश करने की कोशिश न करें क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा पक्ष लिया और मेरे धर्म के बावजूद मेरा समर्थन किया।
>
> धर्म के आधार पर जिन खिलाड़ियों ने मुझे निशाना बनाया, उनके नाम बताने का यह सही वक्त नहीं है। अपने यूट्यूब चैनल पर बाद में मैं इन नामों का खुलासा करूंगा।

दानिश कनेरिया

जनसत्ता रविवारी
29 दिसंबर, 2019

आधुनिक शहरों की चुनौतियां

भारत में शहरों के विकास और विस्तार पर जोर है। इसके चलते बहुत सारे गांव शहरों की जद में आते गए हैं। इसके अनेक दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं, जिनसे निपटना बड़ी चुनौती है। बता रहे हैं राजेंद्र रवि।

- कविता/ महेश आलोक • कहानी/ रामदरश मिश्र
- प्रसंग/ देवशंकर नवीन • योग दर्शन/ डॉ. वरुण वीर • शख्सियत/ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी • दाना-पानी/ मानस मनोहर
- सेहत/ रविवारी डेस्क

नए जमाने का चलन • अनीता सहरावत
- कविता/ वसीम अहमद
- कहानी/ मोहम्मद अरशद खान

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

RENU GUPTA and PRAMOD RENU GUPTA are the names of one and same person. I hereby certify that henceforth I shall be known as PRAMOD RENU GUPTA alias RENU GUPTA w/o Pramod Kumar r/o E-79 Preet Vihar, Delhi-110092 for all future purposes. 0050160306-1

I,Mahabir Singh S/o-Mam Chand R/o-234,Badi Patti,V.P.O.Paprawat,New.Delhi,have changed my minor son's name from Pravesh Kumar to Pravesh Yadav for,all purpose. 040525622-1

I, Vandna Vats W/o-Ravinder Kumar Vats Resident-761,Near-Swati Modern Public-School, Mundka,Delhi-110041,Have Changed My Name To Vandna. 0040525609-1

I, Usha Rani W/o Ashok Kumar R/o B-4/13, Rajouri Garden, New Delhi-110027 have changed my name to Usha Babbar permanently. 0040525676-2

I, Uma Paul W/o Anil Kumar Pal R/o-D-7/67, Sector-6, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Uma Pal. 0040525641-2

I, Tanu Kashyap D/o Santosh Kumar R/o P-1/26, Budh Vihar Phase-1, Delhi-110086, have changed my name to PRIYANKA. 0040525604-1

I, Sushma alias Sushma Srivastava D/o Radhey Shyam Srivastava Ex. wife of Pramod Vikram R/o Mitra Niketan, I.T.I. Road, Karaundi, Varanasi, Hindu Vishwa Vidhyalaya, Uttar Pradesh declare that I got divorce from my husband vide court decree no. HMA No. 33/2002 dated 01.05.2003 Further, I have changed my name and shall hereafter be known as Sushma Srivastava in future for all purposes. 0070690125-1

I, Sushil Kumar Gupta S/0-Santlal Gupta R/0-C-79 Block-C Mahendru Enclave Delhi-110009, Changed My Name To Sushil Gupta. 0040525609-7

I, Shivam S/O Sh. Navneet Gupta R/O 116, Modern Apartment, Sector-15, Rohini, Delhi-110089, Have Changed My Name To Shivam Gupta. 0040525641-1

I, Sharad Kumar S/o Late Ramesh Chander Ratra R/o B-3/46A, 2nd floor, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-52, have changed my name to Sharad Ratra for all purposes. 0040525579-1

I, Seema Vijesh S/O Vijesh Vijaykumar Vadasseril R/O-Flat.No.177c Pocket-E Gtb. Enclave Delhi-110093., CHANGED My Name To Seema Sasikumar. 0040525609-3

I, SATTU M S/o Manickam R/o G-90, J.J.Colony, Wazirpur, Ashok Vihar, Delhi-110052 have changed my name to M SATTU for all future purposes. 0040525574-1

I, Reshabh Jain S/o Sanjive Kumar Jain R/o B-5/13, Ist Floor, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007, have changed my name to Rishabh Jain. 0040525581-1

I, Ravi Rahul S/O Ved Chaudhary R/O-Building.No-14 Lane.No-5 Anupan-Apartment Part-2, Saidulazaib-Exton, Mehrauli, N.Delhi-110030.,CHANGED My Name To Ravi Chaudhary. 0040525609-2

I, Rakesh Kumar Suri S/o Bal Kishan Suri R/o-11 Gali No.2, Radheypuri Ext.2, Krishna Nagar Delhi-110051,have changed my name to Rakesh Suri. 0040525611-1

I, Raj Devi Paharia W/o Sh. Puran Chand Paharia R/o Ah68, Shalimar Bagh, Delhi 110088, have changed my name to Raj Devi for all purposes. 0040525576-1

I, Radha Krishan S/o Mathra Das R/o 54, Ekta Apartment, Geeta Colony, Delhi-110031, have changed my name to Radha Krishan Arora for all purposes. 0040525580-1

I, Qamruddin Khan S/o, Bundu Khan R/o-M-82/A, Abulfazal-Enclave-1, Jamianagar, Okhla, N.Delhi-110025, that my father's name has been wrongly-written in my Passport as Bandu Khan instead of correct-name Bundu Khan. 0040525676-6

I, Parmod Sidana S/o Omprakash R/oH.No.866, Sector-5, Gurgaon, Haryana-122001, have changed my name to Pramod Sidana. 0040525609-8

I, PRIKSHIT alias PARIKSHIT DAGAR S/o Jagbir Singh Dagar, R/o V.P.O-Kabulpur, Rohtak, Haryana-124201, changed my name to PARIKSHIT SINGH DAGAR. 0040525676-4

I, Ombir Mengi S/o Mangal Singh Mengi R/o-C-2/58, Sector-16, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Ombir Singh Mengi. 0040525609-10

I, Nitin Sarna S/o Vipin Sarna R/o C-224, Second Floor, Near Gate No. 2, Greater Kailash-1, Delhi-110048 have changed my name and shall hereafter be known as Rajveer Sarna. 0070690124-1

I, Mohd. Ali S/o Mohd. Raja R/o 960, Kucha rohella Khan, Tiraha Bairam Khan, Delhi-110006 declare that name of mine and my father has been wrongly written as Md. Ali and Md Raza in my 10th, 12th class marksheet, certificate and graduation degree. The actual name of mine and my father is Mohd. Ali and Mohd. Raja, which may be amended accordingly. 0070690121-1

I, Mohd Akhlak alias Akhlak Ali S/o Mustak Ali R/oH.No.-E-128, Gali No.-11, ChandBagh, Karawal-Nagar, Delhi-110094. have changed my name to Mohd Akhlak. 0040525641-9

I, Mohammed Amjad S/o Ali Hassan R/o F-10/1, S-F, Sir Syed Road, Joga Bai Extn, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-25 have changed my name to Mohammad Amjad. 0040525603-2

I, Mohammad Nadeem S/o Mohd Yusuf R/o D-4, 3rd Floor, Abul Fazal Enclave, Jamianagar, New Delhi-25 have changed the name of my daughter from Shaistan Nadeem to Shaista Nadeem. 0040525603-1

I, Maya R/O 1132,Sector-2, R.K.Puram, New-Delhi-110022. Have Changed my Minor Child Name Amandeep Singh Gill to Bhaskar Gill. 0040525609-6

I, Kapoori Negi w/o Late. Chander Singh Negi, R/o-C-47, Karampura, New Delhi-110015, also known as Kapturi Devi & Kaputri Devi. All are same person. 0040525641-7

I, Kapil Singhal S/o Sh. Ram Kishan Singhal R/o C-7, UG-1, Chander Nagar, Ghaziabad, U.P., have changed my minor son's name from Sunand Singhal to SUNAND KUMAR SINGHAL for all future and legal purposes. 0040525593-1

I, Ishaq S/o Mohd. Ibrahim R/oH.No.-36/84-85, Himmat Puri Trilok Puri Delhi-110091, have changed my name to Mohd. Ishaq. 0040525609-9

I, Jitendra Singh S/o Satya Prakash R/o-Ranausa Sati, Post-Sarayneem, Jalesar, Etah, Uttar Pradesh-207302, have changed my name to Jitendra Kumar,permanently. 0040525641-3

I, Jitan Ray S/o Sh.Kishori Ray, R/o-Village-Parwaha, Ward.No.7, Parihar, Andauli, Sitamarhi, Bihar-843324. have changed my religion from HINDU to ISLAM (Muslim) w.e.f-01.02.2009. 0040525641-8

I, Jitan Ray S/o Sh.Kishori Ray, R/o-Village- Parwaha, Ward No.7, Parihar, Andauli, Sitamarhi, Bihar-843324 have changed my name from JITAN RAY to SHEKH MOHAMMAD ISMAIL. 0040525641-10

I, Ishwar Singh Yadav S/o Raghubir Singh Yadav R/o. H.No.528 Near-Shanai Dev Mandir, Sec-28,Faridabad, Haryana-121008, have changed my name to Ishwar Yadav. 0040525654-2

I, Dharamvir Singh S/o Ram Singh R/o-29/122-A Gali No.10, Vishwas Nagar, Shahdara Delhi-110032,have changed my name to Dharam Vir Kashyap for all purposes. 0040525611-2

I, Deepika Dixit D/o R.K.Sharma W/o Kashish Dixit R/o-L-301 Anupam Apartments, East Arjun Nagar, Shahdara Delhi-110032,inform that name of mine has been written as Deepika Gautam in my Educational Documents.The actual name of mine is Deepika Dixit which may be amended accordingly. 0040525611-3

I, Darshan Lal S/o Narayan Das R/o-1/7177, Nehru Gali.Gorakh Park Shahdra Delhi-110032 change my name to darshan Kumar for all purpose. 0040525676-9

I, Charanjit Kaur W/0-Gurmeet Singh Batra R/0-A-21/22, Gandhi-Vihar Delhi-110009., changed My Name To Amanpreet Batra. 0040525654-1

I, Charu alias Charu Lakhani D/o J.C. Lakhani W/o Mohit Chawla R/o H-2056, Jankalyan Mandir, Sector-7, Faridabad, Ballabgarh, Haryana-121006 have changed my name and shall be known as Rianna Chawla. 0070690122-1

I, Bushra Anwar W/o Naved Hussain R/o-G-7/A, Abulfazal Enclave-1, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025 have changed my name to Suhani Naved. 0040525676-1

I, Ashish Kumar S/o Randhir Singh R/o-Flat No.70 Delhi Government Residential Complex Sector-11, Rohini Delhi-110085 have changed my name to Ashish Sharma. 0040525676-7

I, Apsara Dutta Mustafi W/O Rigyal Lama R/O-118/1,3rd-Floor Arjun-Nagar, Safdarjung-Enclave, New-Delhi-110029. Have Changed my Name to Apsara Lama. 0040525609-5

I, Ankush Bali S/o Sushali Kumar Bali R/o H. No 460-R, Near Sarni Chowk, Model Town, Yamuna Nagar, Jagadhri, Haryana-135001 have changed my name and shall hereafter be known as Yaashwin Yaj. 0070690123-1

I, Ankit S/O Mr.Parminder Kumar R/O-133, Humayunpur, Safdarjung-Enclave, New-Delhi– 110029. Have Changed My Name To Vansh Phogaat. 0040525609-4

I, Anju Gupta D/o Sh Bhim Singh Gupta, R/o Flat No.216, Starlite Apartment, Sector-14 Extension, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Anju Mittal after my marriage with Mr. Mukesh Mittal. 0040525610-1

I, Aditya Singh, S/o Udai Katoch, R/o House No.179, Sector-37, Noida-201303 have changed my name to Aditya Singh Katoch for all future purposes. 0040525596-1

I, Deepa W/O Ashish Arora R/O Dp-107 Pitampura Delhi-110034 Changed My Name To Deepa Arora For All Purposes. 0040525676-8

I, Abhinav Khandelwal S/o K.A. Khandelwal R/o 686, Pocket-E, Mayur Vihar, Phase-2, Delhi-110091 have changed my minor son's name from Rudra Khandelwal to Rudra Jain Khandelwal for all purposes. 0040525583-1

I, Abheshek Srivastava S/o Mohan Bihari Shrivastava R/o-C5A/159, Second-Floor, Near-Kadimi Sweet, Janakpuri, N.Delhi-110058. have changed my name to Abhishek Shrivastava. 0040525641-6

I hitherto known as Karuna Kumari D/O Shri.Lachhu Singh W/O Deepak Kumar R/O-H.No-G-18, SitaPuri Part-2 South/West Delhi-110045. have changed my name and shall hereafter be known as Karuna. 0040525641-4

I Vikram Chowla S/o Sh.Ashok Kumar Chawla R/o 21-A, U/G/F, Lok Vihar, Pitampura, Saraswati Vihar, North West, Delhi-110034 have changed my name to Vikram Chawla for all purposes. 040525660-1

I Sushila Kumari W/o Rajesh Sharma, H.no-239-P, Sector-5, Part-6, Gurgaon have changed my name to Sushila Sharma. 0040525641-5

I Smt. Ishwar Devi W/o Late Shri Sher Singh R/o House No. 07 HARIJAN BASTI, HARIJAN colony near ITI Road JAFFAR PUR KALAN, SOUTH WEST Delhi -73 have changed my name from Smt ISHWAR DEVI to Smt ISHWARI DEVI for All FUTURE Purposes. 0050160286-1

I SUNNI SONI S/O Pradeep Kumar Soni, R/O Khasra-123/8, Cross-Road, Santnagar-Burari, Badarpur, Delhi-110084, changed my name to TARUN SONI. 0040525676-3

I SEEMA KAUL W/O Ramesh Kaul R/O H.NO-288A, Vipin-Garden, Kakrola More Najafgarh Road, Delhi-110059, changed my name to SEEMA RANI. 0040525676-5

I Poonam Pouhari w/o Jogender Chandra r/o flat no c4 plot no c2 Shalimar garden Ghaziabad has changed my name to Poonam Chandra 0130014191-1

I Mohd. Ali alias Md. Ali S/o Mohd. Raja R/o 960, Kucha Rohella Khan, Tiraha Bairam Khan, Delhi-110006 have changed my name and shall hereafter be known as Mohd. Ali. 0070690126-1

खोया+पाया

It is notified for the information that my original qualifying Examination certificate main Senior Secondary Examination of year-2017 and Roll.No-8766108,issued by CBSE has been actually lost.Name of candidate-Priyanka full Address Rz-438D,Gali no-16,Sadh Nagar Palam Colony,New Delhi-110045 Telephone No-9210029660. 0040525120-8

I Mandeep gupta R/o 1/6587 east rohtas nagar, shahdara, delhi-110032 have lost my Original Xth marksheet Roll no. 8132673 CBSE Board. Contact : 7982189140. 0050160284-1

I, AKSHAY Kalra S/o Raj Kumar R/o-Nil-12B Malviya-Nagar Delhi-17. Have lost my original-certificate class-10th year-2011 Rollno-8173804 CBSE-Delhi. 0040525654-7

I, Arjun S/o Ram kumar R/o-c-20 st.no-3 north-Chajjupur Shahdara Delhi-110094, have lost my original-certificate Year-2016 Class-10 Rollno-8632293, CBSE-Delhi. 0040525654-5

I, Pratibha Jain, D/o Jitender Kumar Jain, R/o E-411 Gali no-5, Near Yadram Mandir, East Babarpur Delhi-32. Have Lost my original Marks-sheet & Certificates of 10th class (CBSE) (2010) Roll no-6335683 & 12th class(CBSE) (2012)Roll no-9642589 finder may contact on:- aggarwal.prov.store@gmail.com. 0040525586-1

I (DAUD INRAHIM) have lost my Original Pass Certificate of (12th, 10th, CBSE) (ITI, DTTE), year 31/08/2019 (2019) Roll no. 9713951/8745303/1215033017, Matric Board. If Found Please Contact: 9717715676. 0050160282-1

I, SHEKHAR S/o-Veedpal Singh R/o H.no-502 st.no-11 Pratapnagar, Saboli Delhi-93. Have lost my original-certificate class-10th(2012) Rollno-8665148 class-12th (2014) Roll no-9653455, CBSE-Delhi. 0040525654-6

Lost DDA original Possession and NOC for Water/ Electric connections of 307 LIG Flats Hastsal Uttam Nagar New Delhi 110059. If found, inform 7210335340. 0050160276-1

Lost Original Agreement to Sell of DDA LIG.Flat No.45-D(3rd-Floor), J-Block, Ashok Vihar, Phase-1(Wazirpur) Delhi-110052, Executed by Suman Chawla in favour of Shashi W/o Rajender Singh. 0040525676-10

Lost Original Migration Certificate Issued by Gautam Budh Technical University (Now Dr. APJ Abdul Kalam Technical University) Lucknow U.P. of MBA(2009-2011) Roll No.0957870008, Amarpreet Singh Madan S/o Avtarjit Singh Madan R/o-X/1016 Chand Mohalla Gandhi Nagar Delhi-110031. 0040525611-4

I, Prerna Harshvardhan Kotiyal@Prerna Jain W/o Akshay Jain R/o Flat no. 1003, Bhabha Tower, Grihapravesh, Sect.77, Noida-201301-UP, have changed my name to Prerna Kotiyal. 0040525654-8

व्यक्तिगत

मैं, आशुतोष कुमार झा, पुत्र श्री शिव शंकर झा, निवासी फ्लेट नं. 532, प्लॉट नं. 4, एक्सिलेंस अपार्टमेंट, सेक्टर-18ए, द्वारका, एन.एस.आई.टी. साऊथ वेस्ट दिल्ली-110078, ने सभी कार्यों हेतु अपना नाम बदल कर आशुतोष झा रख लिया है।

व्यक्तिगत

मैं राजेन्द्र गोयल (Rajinder Goel) S/o अमर सिंह गोयल निवासी B-2, ADARSH BHAWAN CO. GHS LTD. SECTOR-9, ROHINI, DELHI-110085 सुचित करता हूँ कि राजेन्द्र कुमार गोयल (Rajinder Kumar Goyal) और राजेन्द्र गोयल (Rajinder Goel) एक ही व्यक्ति हैं। भविष्य में राजेन्द्र गोयल (Rajinder Goel) का उपयोग किया जायें।

PUBLIC NOTICE

Be it known to at public in large that my client Mrs. Mohanjeet Kaur, W/O Sh. Manmohan Singh, resident of R/o WZ-320, Street no. 1, Guru Nanak Nagar New Delhi-18, has debarred, disowned and disinherited his younger son Inderjeet Singh, who is out of her control, from her moveable and immovable assets and severed all relations with him alongwith his wife Smt. Harjeet Kaur and their children, if in future. Anyone deals with them shall do entirely at his/her risks, costs, consequences and responsibilities.

MOHAN SINGH (Advocate)
JA-7A, LIG, Swarg Ashram, Hari Nagar, New Delhi-64

PUBLIC NOTICE

All concerned are hereby informed that my clientess Smt Harpreet Kaur W/o Sh Nirmal Deep Singh is the absolute owner of freehold residential built up entire first floor of property bearing No. C-94 (Plot No. 94 in Block-C) situated in the layout plan of "Works, Housing and Supply Co-Operative House Building Society Ltd." Colony known as Nirman Vihar Delhi-110092

My clientess has come to know that her father, Sh Mukhjeet Singh S/o Late Sh Mohinder Singh, himself or through his agents, without the authority of my clientess, is attempting to sell the above mentioned property projecting himself to be the owner of property and receiving payments.

Any one dealing with the said Mukhjeet Singh with respect to the above property shall do so with their own risk and consequences, my clientess shall not be liable and responsible for the same in any manner, whatsoever.

Dheeraj K Nayal (Advocate)
Ch. No. 730, Dwarka Courts, New Delhi-75

PUBLIC NOTICE

It is to notify to the Public that Mr. Mohit Gupta S/o Sh. Mohan Gupta who are present owner of Flat No-08024, Tower No. 8, floor 2nd, ATS One Hamlet Plot No-GH01, Sector-104, Noida have Lost Provisional allotment letter, Terms and conditions of allotment booklet all payment receipts. If the above said Provisional allotment letter, Terms and conditions of allotment booklet all payment receipts dated are found please contact- Mohit Gupta S/o Sh. Mohan Gupta Flat No-08024, Tower No. 8, floor 2nd, ATS One Hamlet Plot No-GH01, Sector-104, Noida and Corporate office- ATS Tower, Plot No-16, Sector-135, Noida.

PUBLIC NOTICE

My Client SriKrishan Gupta S/o, Late Sh. Jwala Prasad Gupta and his Wife Smt. Sadhna Gupta W/o, Sh. Srikrishan Gupta, Both R/o, B-1, B-Block, Gali No.2, South Ganesh Nagar, Delhi-110092, have severed my relation with my son Vaibhav Gupta (age about 19 Years) and debarred his from all movable-immovable properties due to their misconduct towards my clients. Anybody deals with his shall do at his own risk, cost & consequences.

Sd/-
RAKESH K. GUPTA (ADVOCATE)

PUBLIC NOTICE

This is to inform General Public at large that my clients **Mr. Gautam Bakshi and Mr. Sahil Bakshi** are the absolute owner in possession of built-up properties **bearing Plot No. 53-A (area 90 Sq. Yds) & Plot No. 53-B (area 90 Sq. Yds.) respectively out of Khasra No. 79 min South Khata No. 03457 situated at Sudamapuri Colony Krishna Vatika, Village Dundaheda, Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad U.P. by virtue of two separate Sale Deeds dated 20/04/2018 & 17/05/2018.** The aforementioned properties are free from all kind of charge, mortgage, decree, encumbrances etc.

The built -up Flat No. TF-3, Third Floor with roof rights built on aforementioned properties is proposed to be mortgage with **Hero Housing Finance Ltd.** If any person or persons, institution, company, bank, or NBFC who have any kind of rights, interest, title, claim or encumbrances, charges of any nature in the aforementioned properties, or any part thereof, can send or may contact at the address given herein under with their documentary evidence within 7 days from the date of publication of this notice, failing which it shall be presumed that the said property in entirely free from all such claims, interest, charges encumbrances etc.

Avnish Shukla (Advocate)
Enr. No. D/932/03
Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi- 110032
Mob. 9871603366

शिमला रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने दी चुनौती

सीएए में नागरिकता छीनने का एक भी प्रावधान बताए कांग्रेस

शिमला, 27 दिसंबर (जनसत्ता)।

गृह मंत्री अमित शाह ने यहां के ऐतिहासिक रिज मैदान से कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) में नागरिकता लेने का एक भी प्रावधान है तो वह जनता को बताए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एंड पार्टी अफवाहें फैला रही है कि नागरिकता संशोधन कानून से देश के अल्पसंख्यकों मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। वे कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल बाबा को चुनौती देते हैं कि अगर उनके पास इस बाबत कोई तथ्य है तो वह जनता को बताएं। जनता को गुमराह न करें। इस कानून में नागरिकता लेने का एक भी प्रावधान नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री यहां प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर मनाए जा रहे समारोह में आयोजित जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

जनसभा में शाह ने दोहराया कि यह कानून नागरिकता लेने नहीं नागरिकता देने के लिए लाया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कुप्रचार कर लोगों को गुमराह न करे और देश की शांति तोड़ने का काम न करे। अमित शाह ने कहा कि जब देश का विभाजन हुआ तो करोड़ों लोग पाकिस्तान चले गए व इतने ही भारत आ गए। 1950 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच समझौता हुआ कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। भारत ने इस समझौते का निर्वाह किया, किया भी जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान व बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो 30 व 23 फीसद आबादी थी वह घट कर तीन व सात फीसद रह गई। ये अल्पसंख्यक भारत में शरणार्थी बन गए। इन्हीं शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए ये कानून लाया गया।

कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि वह अफवाह फैला रही कि इस कानून से देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। उड़ी व पुलवामा आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि सोनिया व मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार में पाकिस्तान से कोई भी घुसपैठियां आकर हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले जाता था। पाकिस्तान ने सोचा कि मोदी सरकार में भी ऐसा ही चलता रहेगा।

सतीश पूनिया राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित

जयपुर, 27 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष पद पर डा. सतीश पूनियां शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचित हुए।

भाजपा के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक व केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानन्द राय, बैजयंत पाण्डा ने प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए डा. सतीश पूनिया के निर्विरोध निर्वाचित होने की यहां घोषणा की। साथ ही राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की भी घोषणा की। भाजपा मुख्यालय पर इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री व राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नित्यानंद राय ने संशोधित नागरिकता कानून पर बोलते हुए कहा, 'इससे कांग्रेस का क्या नुकसान हो रहा है, वो बताए?

आंध्र में सड़क हादसे में चार की मौत

तिरुपति, 27 दिसंबर (भाषा)।

तिरुपति से लगभग 70 किलोमीटर दूर कलकिरी के पास एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में राज्य परिवहन निगम की एक बस और एक कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना गुरुवार को महल गांव में हुई।

रेल दुर्घटनाओं में 2019 में किसी यात्री की नहीं गई जान

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

रेल दुर्घटनाओं में 2019 में किसी भी यात्री की जान नहीं गई और इस उपलब्धि के लिए यह साल रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक सुरक्षित वर्ष के रूप में दर्ज हो गया। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

इन आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले साल रेलवे में रेलकर्मियों की तो मौत हुई लेकिन पिछले 12 महीनों में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई। वर्ष 2018-19 में रेलवे में अनेक दुर्घटनाओं में 16, 2017-2018 में

यह वर्ष रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक सुरक्षित वर्ष के रूप में दर्ज हो गया

28 और 2016-2017 में 195 लोगों की मौत हुई थी।

आंकड़ों के अनुसार 1990-1995 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 500 से अधिक दुर्घटनाएं हुईं और इस दौरान 2,400 लोगों की मौत हुई और 4,300 लोग घायल हुए। इसके बाद 2013-2018 के बीच प्रति वर्ष औसतन 110 दुर्घटनाएं हुईं जिसमें 900 लोग मारे गए और 1500 लोग घायल हो गए।

रेलवे ने कहा कि 2019 में रेल दुर्घटनाओं में किसी भी यात्री की जान नहीं जाने का श्रेय रेलवे द्वारा उठाए गए अनेक कदमों को जाता है। इनमें रख-रखाव के लिए मेगा ब्लॉक्स और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होना, मानव रहित सभी क्रॉसिंगों को समाप्त करना और इसी प्रकार के अनेक उपाय शामिल हैं। रेलवे ट्रेन दुर्घटनाओं में टक्कर होना, गाड़ी पटरी से उतरना,आग लगना, क्रांसिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं और अन्य दुर्घटनाएं शामिल हैं। ट्रेन परिचालन के दौरान उसकी चपेट में आने से हुई मौत को रेलवे दुर्घटना नहीं मानता।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल जनाब नूर मोहम्मद सुपुत्र जनाब रियाज मोहम्मद तथा उनकी धर्मपत्नी अफसाना बेगम सुपुत्री जनाब मोहम्मद शरीफ निवासी RZ-526/24 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019 अपने पुत्र मोहम्मद हसन तथा उसकी पत्नी हाजरा बानो, को अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है, और अपने समस्त रिश्ते व सम्बन्ध समाप्त कर दिए है। अतः भविष्य में वे अपने हर बुरे भले कृत्यों एवं लेनदेन के लिए खुद जिम्मेदार होंगे और मेरे मुवक्किल व अन्य परिवारजनों की कोई जवाबदेही व जिम्मेदारी कतई नहीं होगी।

VIKASH TRIVEDI
Advocate
Ch. No. 488, Saket Court

PUBLIC NOTICE

I declare that my clients namely **Mrs. Sunita Kaur W/o Late Shri Deep Singh R/o E-340, Block-E, J.J. Colony Wazirpur, Delhi -110052,** wants to disown his/her son namely **Mr. Sumit Singh and his wife namely Mrs. Chandni Kaur** from self acquired movable and immovable property for future all actions, and above said statements are true & correct in the best of my knowledge & belief.

Place: **New Delhi**
Date: **14.12.2019**

Shama Rani (Advocate)
Enrolment No. D-843/1992

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that client Smt. Sushila Devi. W/o Late Shri. Jag Prasad Chaturvedi, R/o S-49. KH N-99/9/1, Vishwas Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059, has detached all the ties with her son namely Shri Aniket Chaturvedi, due to his bad behaviour and cold attitude towards my client and her other family members, he is further disowned and disinherited and from the inheritance of all the properties of my client, and now he has no right title, interest or claim of any nature whatsoever in the estate and assets of my client. Anybody dealing with the said son shall be doing so at their own cost, risk. responsibility and consequences and my aforesaid client shall not be liable and responsible for the same.

Sd/-
Gaurav Tyagi (Advocate)
H.No. 4, LGF Narang Colony, Janak Puri, New Delhi-58

PUBLIC NOTICE

All concerned are hereby informed that my clientess Ms Jaisveen Kaur D/o Sh Nirmal Deep Singh is the absolute owner of the half portion of the area measuring 250 Sq Yards in built up property on the ground floor of Plot No.1 out of Khasra No 18/1/27 in the abadi of Black-Bunglow Plot, main road Pandav Nagar. Situated in the area of village Gharonda Neemka Bangar alias Patparganj Delhi-110092.

My clientess has come to know that her grandfather Sh Mukhjeet Singh S/o Late Sh Mohinder Singh, himself or through his agents, without the authority of my clientess, is attempting to sell the above mentioned property projecting himself to be the owner of property and receiving payments.

Any one dealing with the said Mukhjeet Singh with respect to the above property shall do so with their own risk and consequences, my clientess shall not be liable and responsible for the same in any manner, whatsoever.

Dheeraj K Nayal (Advocate)
Ch. No. 730, Dwarka Courts, New Delhi-75

PUBLIC NOTICE

That my client Ms.Rajni Bedi W/o Sh. Raman Bedi, R/o 641, 3rd Floor, West Parmanand Colony, Near Mukherjee Nagar, Delhi-100009 has disowned her daughter Ms. Kokil Bedi, and she shall have no inheritance in any of her properties and whosoever will deal with her, will be doing so at his/her own risk and responsibility and she and/or her family shall not be liable for any act of the above named daughter of Ms. Rajni Bedi.

AMIT UPADHYAY ADVOCATE
CH. NO. 249, CIVIL WING
TIS HAZARI COURTS, DELHI-54

पब्लिक नोटिस

श्रीमती सुयश पत्नी स्व. आशुतोष खनेजा निवासी फ्लैट नं. 1041, भगवती को.हा. सोसाइटी, प्लाट नं. 8, सै. 19-बी द्वारका, नयी दिल्ली-110075 ने सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट में नाम ट्रान्सफर के लिये आवेदन पति की मृत्यु के बाद किया है। यदि किसी को दावा या आपत्ति हो तो इस कार्यालय को लिखित में सूचित करें।

ADVOCATE
AJANDRA SISODIA
ADDRESS: Ch. No. 754, Dwarka Court, New Delhi-75

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Jugal Kishor Kapoor S/o Late. Sh. Judge Lal Kapoor R/o 54/20 Ashok Nagar, New Delhi-110018 has already debarred/disowned his son Lokesh Kapoor, daughter-in-law Sweta Kapoor & their children from his moveable & immovable properties/assets, by publishing the Public Notice in Hindi news Paper Jansatta Dt. 08.04.2019 and at present his son is not residing with him, even then some persons are visiting at the residence of my client to get the whereabouts/information of his son. Some of them are verbally claiming the purchase of some portion of the property of my client & for that he has taken all the necessary legal action against the wrongdoers. It is hereby informed to general public at large that till date my client neither have entered in any sale proceeding of any portion of his property No. 54/20 Ashok Nagar, New Delhi-110018, with anyone nor have given authority to any third party to do the same. Any person if deals with any person(s) regarding the sale & purchase of the property of my client, shall do at his/her own risk, cost & responsibility and all such proceedings shall be treated as manipulated & illegal acts and all concerned persons are liable to be prosecuted under the different criminal sections of Law. It is hereby advised to general public at large not to enter any proceedings whatsoever relating with the property of my client without his knowledge & consent and to let him live peacefully in his own house.

Adv Ishvinder Singh, K-23 Fateh Nagar, Delhi 9811773177

Classifieds
EXPRESS EDUCATION
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT
IAS & HOW TO CRACK IT
FREE SEMINAR
TILAK NAGAR
Sun. 29th Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.
NIRVANA IAS ACADEMY
Batches Start 5th January 2020
Weekend Batches Available
www.nirvanaias.com
ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85
TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.
Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005
LAST BATCH FOR 2020 PRELIMS
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

हिरासत में भेजा

जयपुर, 27 दिसंबर (भाषा)।

शहर की एक अदालत ने 2008 में हुए जयपुर सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में दोषमुक्त करार दिए गए एक व्यक्ति को इस घटना के दिन बम बरामद किए जाने के एक मामले में दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते ने इस मामले में पांच व्यक्तियों को जयपुर की केंद्रीय जेल से वारंट पर लिया था। उनमें से चार को एक विशेष अदालत ने सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में पिछले हफ्ते मौत की सजा सुनाई थी।

मौसम

तापमान	नई दिल्ली		
अधिकतम–	12.9 डि.से.	सूर्योदय–	7:13
न्यूनतम–	4.2 डि.से.	सूर्यास्त–	17:32

दिल्ली सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर भाजपा-कांग्रेस का पलटवार

भाजपा ने 'आप' के स्कूल मॉडल को बताया फेल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्कूल मॉडल को चुनाव का बड़ा चेहरा बना रही है। इस मॉडल पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने पलटवार किया है। स्कूलों की स्थिति को लेकर भाजपा की लोक नीति शोध केंद्र (पीपीआरसी) ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने दावा किया है कि 2015 के बाद दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना है और दिल्ली सरकार को जिन खाली जगहों को स्कूल निर्माण के लिए स्थान दिया गया था। वह स्थान भी आज तक खाली पड़ा है और वह कबाड़ के लिए प्रयोग हो रहा है।

यह रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ विनय सहस्रबुद्धे ने जारी की। इस मौके पर दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, गौतम गंभीर व पीपीआरसी के निदेशक सुमित भसीन उपस्थित थे। रिपोर्ट के माध्यम से स्कूलों में लगातार घट रही संख्या पर चिंता जाहिर की गई। विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि यह रिपोर्ट सूचना के अधिकार के तहत जुटाई जानकारियों व शोध के आधार पर तैयार की गई है। श्याम जाजू ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 51 फीसद तक शिक्षकों के पद खाली हैं। आज तक इन रिक्तयों को भरा नहीं गया है जबकि भाजपा शासित एमसीडी में 88.9 फीसद पद भरे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सबसे जरूरी बात है कि दिल्ली सरकार विकास की बात नहीं करती। वह केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है।

सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि आजतक किसी भी भूखंड में कोई स्कूल नहीं खोला गया। 82 जगह मिलने के बाद भी कोई स्कूल नहीं बनाया। सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली राजस्व के मामले में अधिक आमदनी वाला राज्य था। आज हम 500 करोड़ के नुकसान में हैं। आंकड़े बता रहे है कि दिल्ली के राजस्व नुकसान में 55 गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा मादक पदार्थ को लेकर 'आप' ने पंजाब में हंगामा किया था जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली में एक भी बचाव केंद्र नहीं खोला है। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि निगम ने स्मार्ट स्कूल तैयार किए। इन्होंने अशोक विहार का अकादमी बंद कर दिया। वहां पर मैंने ट्रेनिंग ली है और बड़ी संख्या में खिलाड़ी निकले हैं।

रिपोर्ट का आधार

- दिल्ली 1030 स्कूलों को परखा गया
- 917 आरटीआइ के तहत जवाब मांगा गया
- 556 स्कूलों में जाकर सर्वेक्षण किया गया

परिणाम के मुताबिक

- 2015 की तुलना में कक्षा 10 का परिणाम 95.81 से घटकर 71.58 फीसद हुआ
- केंद्रीय विद्यालयों का परिणाम स्तर 99.59 से बढ़कर 99.79 फीसद हुआ
- 2019 में दिल्ली के 28.42 फीसद बच्चे कक्षा 10 में असफल हुए
- दिल्ली के 71 फीसद सरकारी स्कूलों में विज्ञान का पाठ्यक्रम नहीं
- 'आप' सरकार ने 500 स्कूल का दावा करके एक भी स्कूल नहीं बनाया

भाजपा, कांग्रेस और बसपा के कई नेता 'आप' में शामिल

नई दिल्ली। भाजपा, कांग्रेस समेत बसपा के कई नेताओं ने शुक्रवार को 'आप' की सदस्यता ली। पार्टी मुख्यालय में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में इनको सदस्यता दिलाई। दुर्गेश पाठक ने सभी लोगों को पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर सभी का 'आप' में स्वागत किया। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली में 'आप' की सरकार बनने के बाद पहली बार बिजली मुफ्त मिल रही है। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में भाजपा के जिला संयोजक राजबहादुर माहौर, भाजपा कार्यकर्ता विनोद कुमार, शकुंतला देवी माहौर और उर्मिला माहौर हैं। वहीं बसपा के पूर्व जिला प्रभारी गेंदालाल माहौर, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लल्लन प्रसाद, विधानसभा महासचिव हेमराज और बसपा कार्यकर्ता नरेंद्र कुमार गौतम, दीपक माहौर, जगधारी लाल, श्रीपाल शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस से जिला प्रभारी पुष्पा कोली, पूर्व निगम प्रत्याशी रमेश बिसाइयां और कांग्रेस कार्यकर्ता ऋषि पाल, संजय कुमार, ईश्वर होंडा समेत अन्य कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। (जनसत्ता संवाददाता)

कांग्रेस ने शिक्षा से लेकर महिला सुरक्षा पर 'आप' को घेरा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

दिल्ली सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही नेताओं ने आम आदमी पार्टी के रिपोर्ट कार्ड को झूठ का पुलिंदा बताया है। नौ पन्ने का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीते पांच साल में 'आप' की सरकार ने दिल्लीवासियों को केवल गुमराह करने का काम किया है और अब चुनाव नजदीक आते ही मुफ्त में सेवाए देने का घोषणा कर दिल्ली के लोगों को एक बार फिर से ठगने की कोशिश की जा रही है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली में राजनीतिक प्रदूषण फैलाया है। लोकसभा चुनाव में पांच संसदीय क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। पहले महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की बात करें या फिर 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देने की बात हो। ये सभी घोषणाएं चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने लाडली जैसी योजना को बंद कर दिया है। यह सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड का पूरा इस्तेमाल तक नहीं पाई। चोपड़ा ने दोहराया कि अगर कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में आई तो दिल्लीवासियों को 600 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जाएगा।

'कम हुए दाखिले, मोहल्ला क्लीनिक में डॉक्टर नहीं'

प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद ने कहा कि शिक्षा विभाग पर बजट की 46 फीसद धनराशि उपयोग ही नही हुई। स्कूलों में शीला सरकार के दौरान दाखिले बढ़े थे, लेकिन अब कम हुए हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान छात्रों 99.45 फीसद विद्यार्थी पास हुए थे। अब यह घटकर 68.9 फीसद हो गया है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे 20 फीसद कम हुए हैं। आरोप है कि 74 स्कूलों में दाखिला ही नहीं हुआ। वहीं, नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है। मोहल्ला क्लीनिक की सिर्फ बात होती है। लेकिन उनकी स्थिति खराब है। वहां डॉक्टर और अन्य सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं होती। जय प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने बिजली कंपनियों पर सख्ती का वादा था, लेकिन सरकार ने उनसे हाथ मिला लिया। बिजली कंपनियों को जो 8532 करोड़ रुपए दिए। उसकी सीबीआइ जांच होनी चाहिए। महिला नेता कृष्णा तीरथ ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार महिला विरोधी है। सरकार ने बसों में महिलाओं की यात्रा मुफ्त तो कर दी, लेकिन महिला विधायक को सरकार में जगह नहीं दी गई। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कहा कि कच्ची कॉलोनी में विकास का सिर्फ प्रचार हुआ। 1999 से सिर्फ कांग्रेस ने काम शुरू किया। अब सरकार ने हमें किरायेदार बना दिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली में मोनो रेल चलाने का सपना देखा था, ताकि लोगों यमुनापार के लोगों को जाम से मुक्ति मिले, पर सत्ता में आने के बाद 'आप' ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। सरकार ने बीती पांच साल में एक बार भी इस दिशा में पहल नहीं की। इस दौरान कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव, राजेश लिलोठिया और पूर्व विधायक मतीन अहमद ने भी दिल्ली सरकर पर निशाना साधा।

जनता से बातचीत कर तय करेंगे पांच साल की प्राथमिकताएं : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी के लोगों से बातचीत के बाद अगले पांच साल के लिए सरकार की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि अगले पांच साल क्या-क्या करना है? अगले पांच साल कौन सी प्राथमिकताएं होनी चाहिए? आपसे बातचीत के बाद इस पर निर्णय होगा। हम रोज एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

इन दिनों अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल बैठक के माध्यम से लोगों से बात कर रहे हैं। शुक्रवार को पीतमपुरा में टाउन हॉल सभा का आयोजन किया। इस सभा में लोगों से मुख्यमंत्री ने सीधे बात की और दिल्ली सरकार के पांच साल के कामों को गिनाया। इसके अतिरिक्त जनता से पूछे जा रहे सवालों के जवाब भी दिए। शुक्रवार को आम राय से यह तय हुआ कि अगले पांच साल में दिल्ली के यातायात को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसके साथ ही दिल्ली में 24 घंटे व साफ पानी की आपूर्ति की जाएगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री जनता से आम आदमी पार्टी को मत देकर मजबूत बनाने की अपील की। टाउन हॉल बैठक में आम जनता से ही सरकार की योजनाओं के संबंध में सवाल जवाब किए गए। इनमें से कई सवालों का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया।

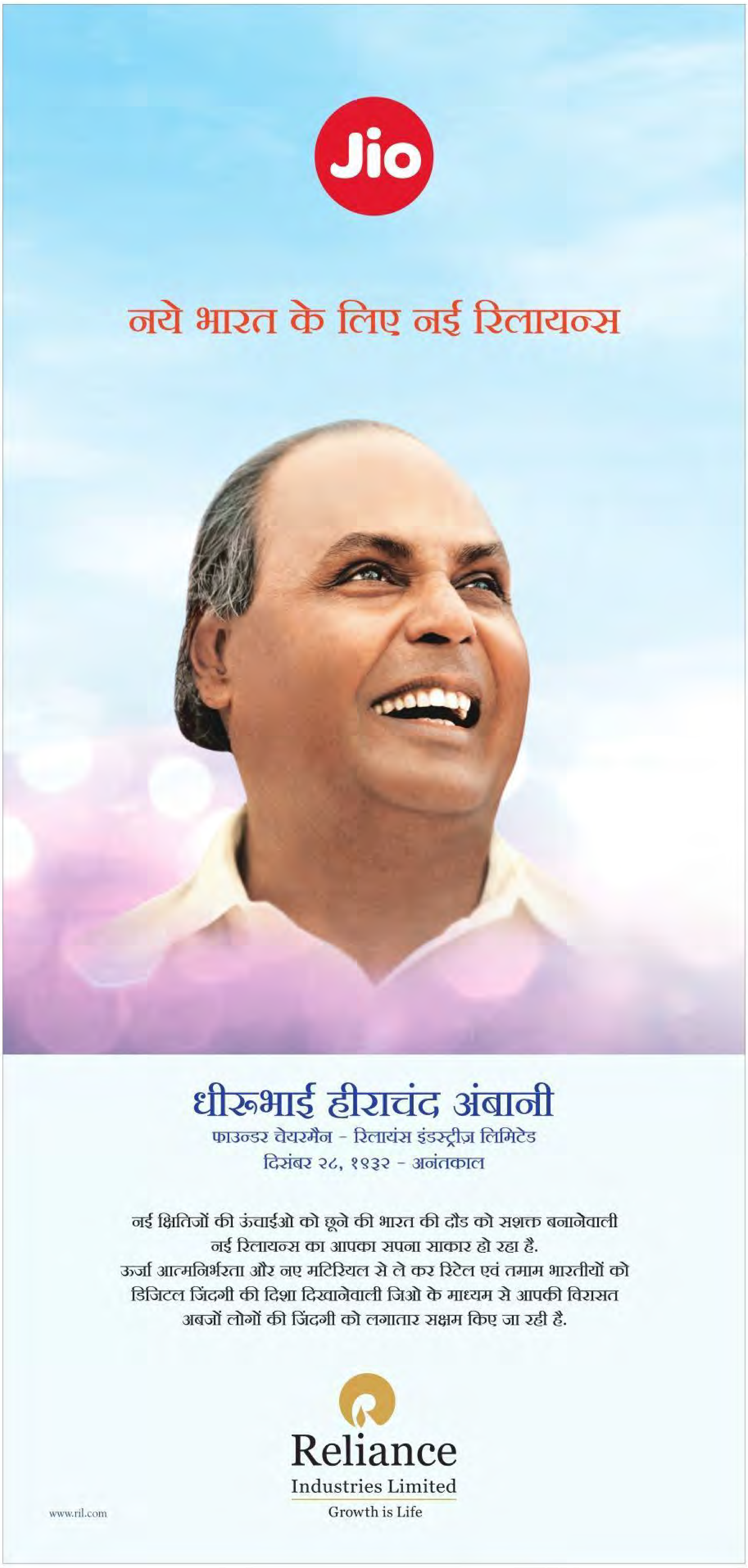

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	14.4 डि.से.	14.4 डि.से.	14.0 डि.से.	14.5 डि.से.
न्यूनतम	4.2 डि.से.	4.2 डि.से.	4.2 डि.से.	4.2 डि.से.

खबरों में शहर

'चुनाव से युवाओं की विरक्ति अनायास नहीं'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 27 दिसंबर।

लोकतंत्र के पर्व से युवाओं की विरक्ति अनायास नहीं है। इसके लिए हमारे जन प्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं। उन्हें समझना होगा कि चुनाव जीत जाना और आदर्श जनप्रतिनिधि बनना दोनों में अंतर है। लोकप्रियता के लिए वोट के साथ साथ वोटर का दिल भी जीतना होता है। यह बात चुनावी रणनीतिकार व 'रोड मैप टू विन इलेक्शन इन लास्ट ऑवर' पुस्तक के लेखक सुनील मिश्रा ने कही। वे डीयू कैंपस में वोटरों को जागरूक करने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। स्थानीय वोटरों को समझने के लिए विशेष हुनर की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने दावा किया कि चुनाव प्रबंधन में समग्र कुशलता के बगैर आज के युवाओं की चुनाव में दिलचस्पी व सक्रियता बढा पाना संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वोट में अक्सर चर्चित व छाए मुद्दे भी अंतिम समय में गौड़ हो जाते हैं।

फिट इंडिया के लिए विद्यार्थियों ने लिया संकल्प

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम को सौ से ज्यादा स्कूलों के विद्यार्थियों ने संकल्प बनाया है। अपने हुनर के प्रदर्शन के लिए छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली के सौ से ज्यादा स्कूलों के बच्चे जुटे। इस कार्यक्रम का आयोजन 'एक्सशन कमेटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एनसीआर' ने किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विजय गोयल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित उप निदेशिका (खेल) आशा अग्रवाल, एक्सशन कमेटी के उपाध्यक्ष वीपी टंडन, महासचिव भरत अरोडा, वंदना टंडन, संरक्षक केएल लूथरा, एसके भट्टाचार्य आदि ने अपने-अपने सत्रों को संचालन किया। इसमें बच्चों ने एरोबिक, जिमनास्टिक व योग का प्रदर्शन किया। संयोजक वीपी टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री के अपील को स्कूलों में लागू कर जो अभियान चलाया गया उससे स्वस्थ्य मन व तन का संदेश चरितार्थ हुआ। फिट इंडिया मुहिम से छात्र स्वस्थ्य रहेंगे। आगे बढ़ेंगे।

'आम आदमी पार्टी ने सफाई को राजनीति की भेंट चढ़ाया'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने के महत्त्वपूर्ण अवसर को मुख्यमंत्री ने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अगले पांच साल में दिल्ली को लंदन और पेरिस की भांति साफ-सुथरा बनाने के वादा खोखला है। 2015 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में दो लाख शौचालयों के निर्माण तथा आधुनिक कूड़ा प्रबंधन कर दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने के वादा किया था। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से रोड़े अटकाए। दिल्ली सरकार ने वजह से निगमों और उनके कर्मचारियों का दमन किया। सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण बार-बार हड़ताल पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी निगमों के स्वच्छता एवं सफाई के बजट आबंटन को दिल्ली सरकार ने शून्य कर दिया है। अब मुख्यमंत्री जनता को एक बार फिर झांसा दे रहे हैं और अगले पांच सालों के लिए ऐसे सपने दिखा रहे हैं जो वे कभी पूरा नहीं करेंगे।

'साहिबजादों की शहादत के दिन मने बाल दिवस'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिब जादों की शहादत के बाल दिवस मनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। यह परंपरा 1956 से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे अवधारणा यह थी कि नेहरू जी बच्चों में बहुत प्रिय थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में साहिब जादे अपने उत्कृष्ट बलिदान के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1705 में शहादत दी थी। इन बच्चों की याद में बाल दिवस मनाया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष की इस पहल का सिख समुदाय के लोगों ने भी समर्थन किया है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : शीत महोत्सव, सीडी देशमुख सभागार , इंडिया इंटरनेशनल सेंटर , 40-मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे से।

प्रदर्शनी

आइफैक्स : नीधि, मोहित भारद्वाज, गणेश प्रसाद साहू, कृष्णा श्रेष्ठ आदि की सामूहिक कला प्रदर्शनी 'अलख्या' का आयोजन, आइफैक्स गालरी, रफीमार्ग, सुबह 11 बजे से, 2 जनवरी 2020 तक।

सड़क पार करते समय हुआ हादसा

विंग कमांडर की मौत, पत्नी घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

द्वारका दक्षिण थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वायु सेना के एक विंग कमांडर की मौत हो गई, जबकि हादसे में उनकी पत्नी घायल हो गई। हादसे के वक्त विंग कमांडर अमरदीप सिंह गिल और उनकी पत्नी रजनी गिल सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच किसी अज्ञात वाहन चालक ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी थी। घटना की सूचना देर रात करीब 12 बजे पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को घायल हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने अमरदीप सिंह गिल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एक राहगीर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में कराया था भर्ती

द्वारका दक्षिण थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहते थे विंग कमांडर

जानकारी के मुताबिक अमरदीप सिंह गिल परिवार के साथ एयरफोर्स नेवल सोसायटी सेक्टर-7 द्वारका में रहते थे। बुधवार देर रात करीब 12 बजे सोसाइटी के सामने विंग कमांडर अमरदीप सिंह गिल पत्नी के साथ पैदल ही सड़क पार कर रहे थे। तभी अचानक एक कार ने दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। किसी राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खून से लथपथ हालत में दंपति को नजदीकी आयुष्मान अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने अमरदीप सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय की शवगृह में भेज दिया है। जबकि रजनी की हालत गंभीर बताई है, जिनका इलाज चल रहा है।

सिग्नेचर ब्रिज से नीचे गिरा शख्स, गई जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

सिग्नेचर ब्रिज से गिरकर एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। शख्स की पहचान नत्थूपुरा निवासी संदीप कुमार (36) के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि संदीप की मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी हो। इसके बाद संदीप मोटरसाइकिल समेत नीचे यमुना खादर में जा गिरा। सिर में गंभीर रूप से चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक संदीप अपने परिवार के साथ नत्थूपुरा इलाके में रहता था। उसके परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। संदीप बिजली का काम करता था। पुलिस की माने तो संदीप बुधवार को गोकलपुरी में किसी रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने के लिए गया था। देर रात वह मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। जैसे ही वह सिग्नेचर ब्रिज से होते हुए तिमारपुर की ओर आगे बढ़ा। तभी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी।

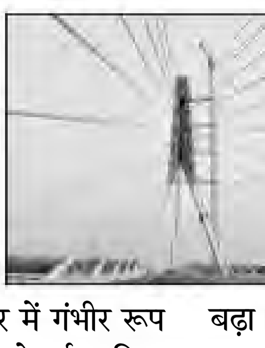

सीसीटीवी कैमरे की गुणवत्ता को लेकर अदालत ने जताई चिंता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

कश्मीरी गेट रोड पर पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने पर चिंता जताते हुए अदालत ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस साल इलाके में हुए अज्ञात सड़क हादसों की सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने गौर किया कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कथित अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकियों को बंद करते हुए अधिकतर रपट अज्ञात के रूप में दर्ज की जा रही हैं। लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण जहां एक तरफ लोगों की सुरक्षा को खतरा रहता है वहीं इस वजह से मौत भी हो रही है। मौके पर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की अनुपलब्धता के कारण पुलिस को इन मामलों में कोई सुराग नहीं मिल पाता है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) मोनिका भारद्वाज ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा की अदालत में कहा कि इलाके में लगाए गए 74 सीसीटीवी कैमरे पुराने पड़ गए हैं और तस्वीरों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी है लोगों का विरोध

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

राजधानी में पिछले कई दिनों से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी. (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में शुक्रवार को एक बार फिर से जामा मस्जिद, जामिया नगर और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में लोग जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद के बाहर पूर्व विधायक शोएब इकबाल और अल्का लांबा भी प्रदर्शन में शामिल हुईं। वहीं, जामिया समन्वय समिति के अवाह्न पर काफी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश भवन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बीते दिनों विरोध-प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वे बेकसूर हैं, जिन्हें वहां की पुलिस जानबूझकर फंसा रही है। उनकी मांग है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को बिना शर्त रिहा किया जाए और सीएए, एनआरसी तथा एनपीआर को वापस लिया जाए।

साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिया गया है। इस स्टेशन के आसपास से विरोध मार्च निकाले जाने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। डीएमअरसी ने ट्वीट किया कि लोक कल्याण मार्ग के प्रवेश एवं निकास द्वार को बंद कर दिया गया है। इस स्टेशन पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश भवन के बाहर नई दिल्ली जिला पुलिस के आला अधिकारी के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस ने यहां भी धारा 144 लागू की हुई थी। हिरासत में लिए लोगों को मंदिर मार्ग थाने में रखा गया बाद में सभी को रिहा कर दिया गया।

भीम आर्मी प्रमुख की रिहाई और सीएए के खिलाफ हाथ बांधकर किया प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की रिहाई की मांग और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर अपने हाथ बांधकर जा रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। भारी सुरक्षा व्यवस्था और ड्रोन निगरानी के बीच भीम आर्मी के सदस्यों समेत इन प्रदर्शनकारियों ने जोरबाग के दरगाह शाह-ए-मरदान से अपना मार्च शुरू किया। पुलिस ने उन्हें लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से पहले ही रोक दिया। इस मार्च में हिस्सा ले रहे प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथ बांध रखे थे ताकि उन पर इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी के आरोप नहीं लगाए जा सकें। इस दौरान प्रदर्शनकारी बाबा साहब आंबेडकर और आजाद का पोस्टर लेकर 'तानाशाही नहीं चलेगी' जैसे नारे लगा रहे थे।

चंद्रशेखर आजाद की रिहाई की मांग और सीएए, एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन करते लोगों को हिरासत में लेती पुलिस।

प्रदर्शन में शामिल माजिद जमाल ने कहा कि हमने अपने हाथ बांध रखे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ताकि वे हम पर हमला नहीं कर सकें और झूठ बोलें कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि नया कानून संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बिना गलती के जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोगों को गिरफ्तार किया गया, सरकार को याद रखना चाहिए कि जिन सांसदों को हम चुनते हैं, वे जब आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग अपनी आवाज उठाने खुद सड़कों पर उतरेंगे। आजाद को पिछले शुक्रवार को पुरानी दिल्ली के दरियागंज में भड़काऊ भाषण से प्रदर्शनकारियों को उकसाने व हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

पत्रकार सम्मान समारोह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

वसुंधरा स्थित मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सभागार में पंडित मदनमोहन मालवीय की जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन मिश्र व सलामत मियां समेत कुल पांच पत्रकारों को सम्मानित किया गया। अरविंद मोहन को पत्रकार भूषण सम्मान दिया गया तो नवभारत टाइम्स के फोटो पत्रकार अशोक शर्मा, दैनिक जागरण के फोटो पत्रकार मनोज कुमार व अमर उजाला के फोटो पत्रकार शिव कुमार को पत्रकार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सभी को शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिह्न व नकद राशि दी गई। वरिष्ठ पत्रकार एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्मश्री राम बहादुर राय, मेवाड़ के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार गदिया और निदेशिका डॉ. अलका अग्रवाल ने पत्रकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर राम बहादुर राय ने महामना के आदर्शों पर प्रकाश डाला। डॉ. गदिया ने कहा कि मालवीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी, पत्रकार, वकील, गायक, कथावाचक, देशभक्त व युगदृष्टा थे। अरविंद मोहन ने कहा कि मालवीय ने जो काम किए, उन्हें हम अपने जीवन में उतारें।

चार खुफिया एजंसियां तलाश रहीं भाजपा के भावी चेहरे

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

भावी विधायकों के चेहरे तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) खुफिया एंजसियों की मदद ले रही है। दिल्ली भर में ऐसी चार एंजसियां काम कर रही हैं। इनके सर्वेक्षण के आधार पर सामने आने वाले नामों को ही पार्टी इन चुनाव के लिए अपना चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि भाजपा आगामी सप्ताह के साथ ही नेताओं के आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर देगी।

फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए दिल्ली के नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। हर क्षेत्र में पार्टी के नेता खुद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी 70 सीट के लिए भाजपा के पास 6-8 तक नाम हैं। इन नामों की लोकप्रियता का स्तर जांचने के लिए भाजपा यह सर्वेक्षण करा रही है। दिल्ली पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक की टीम इस समय दिल्ली में सर्वेक्षण का काम कर रही है। इनके सर्वेक्षण से सामने आने वाली रिपोर्ट को ही भाजपा अपने टिकट का आधार बनाने जा रही है।

पार्टी सूत्र बताते हैं कि यह एक स्वतंत्र सर्वेक्षण है। इसमें यह तय है कि सभी एजंसियों के अंदर आने वाले नाम को पार्टी इस बार विधानसभा क्षेत्र में अपना चेहरा बनाएगी। इसके अतिरिक्त दो एजंसियों के सर्वेक्षण के तहत आने वाला भी। इसी प्रकार पहले ही चरण में स्वीकार किया जाएगा। लेकिन ऐसे प्रत्याशी जो नंबर तीन के दायरे पर आएंगे। उन नामों पर एक बार फिर से स्वतंत्र एजंसी पुनः जांच करेगी। इस जांच रिपोर्ट के बाद इन सीटों के नामों का चयन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एंजसियों से आने वाले नामों पर क्षेत्रीय सांसद व संगठन मंत्री की भी सहमति भी जरूरी होनी चाहिए। इसी आधार पर आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। हालांकि प्रदेश पदाधिकारी यह भी स्पष्ट कर चुके हैं किसी भी प्रत्याशी से कोई भेदभाव नहीं हो। इसके लिए प्रदेश स्तर पर भी प्रत्याशियों से आवेदन स्वीकारे जाएंगे।

अदालत ने सीलमपुर हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों की चिकित्सा रिपोर्ट तलब की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

अदालत ने शुक्रवार को मंडोली जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह सीलमपुर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों में से दो की चिकित्सा रिपोर्ट पेश करें। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बृजेश गर्ग ने चिकित्सकीय आधार पर आरोपी युसूफ अली की जमानत याचिका सुनने के बाद जांच अधिकारी से कहा कि वह मंडोली जेल अधिकारियों से युसूफ की चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त कर उसे 30 दिसंबर तक अदालत में प्रस्तुत करें।

इसके बाद अदालत ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 30 दिसंबर की तारीख तय कर दी। सुनवाई के दौरान अली की ओर से पेश हुए वकीलों जाकिर रजा और अब्दुल गफ्फार ने अदालत को बताया कि युसूफ थायराइड की समस्या से पीड़ित है। जिसके कारण उसे जेल में लगातार दौरे पड़ रहे हैं। युसूफ अली के वकील की ओर से पेश किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र का अवलोकन करते हुए अदालत ने गौर किया कि प्रमाण पत्र पर 23 दिसंबर की तारीख अंकित है जब आरोपी न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने पूछा कि डॉक्टर ने बिना मरीज को देखे प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया। आरोपी के वकील ने कहा कि अली की बीमारी का इलाज डॉक्टर लंबे समय से कर रहे थे इसलिए वह उसकी चिकित्सकीय स्थिति से अवगत थे। इसी बीच अदालत ने दूसरे आरोपी मोईनुद्दीन की जमानत याचिका भी सुनी जिसने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में घायल होने के कारण तुरंत सर्जरी कराने का हवाला देते हुए जमानत का अनुरोध किया है। अदालत ने जेल अधिकारियों को मोईनुद्दीन की चिकित्सा रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मोईनुद्दीन की जमानत याचिका सुनने के दौरान जज ने वकील से आरोपी के घायल होने का कारण पूछा। वकील ने बताया कि आरोपी कथित रूप से लाठी चार्ज में घायल हुआ। जज ने कहा-यह घाव लाठी का नहीं हो सकता। इस पर पुलिस ने कहा कि धमाके के कारण आरोपी को घाव लगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से पेट्रोल बमों का प्रयोग हुआ था।

शोध — आइआइटी रुड़की ने जैविक रूप से घुलनशील व किफायती आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण तैयार किया

अब टूटी हड्डी का इलाज कराना होगा आसान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आइआइटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने टूटी हड्डी (बोन फ्रैक्चर) को ठीक करने के लिए जैविक रूप से घुलनशील व किफायती आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण (इंप्लांट) तैयार किया है। इससे हड्डी के दोषों को ठीक करने के लिए दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें संक्रमण का खतरा नहीं है और यह किफायती भी है। इसमें मरीजों को ज्यादा दिन अस्पताल में रुकने को भी मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

मौजूदा चिकित्सकीय रणनीति के तहत जो हड्डी की ग्राफ्टिंग की जाती है उसमें आमतौर पर ग्राफ्ट पर बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है। जिसके कारण टूटी हड्डी जुड़ नहीं पाती है। तब प्राथमिक ग्राफ्ट को हटाने या उसका संक्रमण ठीक करने के लिए दोबारा सर्जरी की जरूरत होती है। मरीज को आराम भी नहीं मिलता। ऐसे में यह जीवाणुरोधी ज्यादा प्रभावी यांत्रिक शक्ति से युक्त और कमजोर हड्डी को मजबूत हड्डी के रूप में तैयार करने की क्षमता वाला इंप्लांट टूटी हड्डी की जगह पर नई हड्डी के निर्माण में मददगार होगी। यह अध्ययन दो स्वतंत्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स और आरएससी एडवांस में प्रकाशित हुए हैं।

झिल्लीनुमा (मेंब्रेन) प्रत्यारोपण का आधार

वैज्ञानिक सरीम खान ने बताया कि अध्ययन स्थापित करता है कि एक प्राकृतिक मिट्टी खनिज (हेलोसाइट) की एक तय मात्रा के अलावा एक चिटोसन मैट्रिक्स को मिलाकर एक झिल्ली का निर्माण होता है जो मनुष्यों में अस्थि ऊतक के पुनर्जनन के लिए बेहद अनुकूल है। यह जैविक रूप से घुलनशील भी है। इसे शरीर अवशोषित कर सकता है। यानी हड्डी जुड़ने के बाद इसे निकालने की जरूरत नहीं होगी। अध्ययन में उन्होंने दिखाया है कि यह झिल्ली हड्डी पुनर्जनन के लिए हड्डी की कोशिकाओं के लिए अनुकूल है। इस झिल्ली (मेंब्रेन) में जीवाणुरोधी प्रतिरोधक क्षमता होती है जो ऑपरेशन के बाद के संक्रमण से भी लड़ सकता है। खास बात यह भी है कि झिल्ली में 67 एमपीए की बेहतर तन्यता होती है यानी यह लचीली होती। तन सकती है। लिहाजा पारंपरिक धातु से बने स्टेंट और प्लेटों के बजाय इन झिल्लियों को प्रत्यारोपित किया जा सकता है।

संक्रमण से होगा बचाव

मौजूदा क्लिनिकल ग्राफ्टिंग के तरीके में ऑपरेशन के बाद के संक्रमण का खतरा रहता है और जुड़ रही हड्डी और आसपास के नरम ऊतकों के बीच गलत ढंग से जुड़ने का भी जोखिम रहता है। लेकिन इस झिल्लीनुमा (मेंब्रेन) प्रत्यारोपण में इतनी क्षमता होती है कि यह किसी भी तरह के संक्रमण को उसी जगह पर ही खत्म करने की क्षमता रखेगा। यह एक झिल्ली किसी भी माध्यमिक हस्तक्षेप या सर्जरी के बिना अपने दम पर किसी भी पोस्ट-ऑपरेटिव बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ती है। इस प्रकार लागत और चिकित्सा समय को कम करने में मदद भी करती है। एक यांत्रिक रूप से मजबूत झिल्ली हड्डी के मूल आकार को बनाए रखने के में भी सक्षम है। और हड्डी और आसपास के नरम ऊतको आमस में गलत ढंग से जुड़ने से रोकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मौजूदा मानकों के साथ इन दो जटिलताओं ने इन अध्ययनों को प्रेरित किया। इस अध्ययन के पहले लेखक सरीम खान हैं।

इनकी कीमतों के बारे में उन्होंने बताया कि यह पारंपरिक स्टेंट की तुलना में 300 गुना सस्ते होते हैं और स्टेंट और प्लेटों की तरह इसे हटाने के लिए फिर से सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती यह अंदर ही घुल जाते हैं। इस विधि के कई अन्य फायदे हैं जिनमें पारंपरिक विधियों में एक हड्डी को ठीक करने के लिए दूसरे जगह से हड्डी लेने की दरकार होती है जिससे मरीज को दोहरे आपरेशन का घाव झेलना पड़ता है। दूसरे जहां से हड्डी ली गई वहां संक्रमण (डोनर साइट) का खतरा, ग्राफ्टिंग सामग्री की सीमित आपूर्ति यानी ग्राफ्टिंग के लिए सीमित मात्रा में ही कहीं और से हड्डी ली जा सकती है और कई अन्य जटिलताएं आती हैं। लोकिन यह विधि इस सभी को को दूर करती है।

www.readwhere.com

बैंक प्रमुखों के साथ आज वित्त मंत्री की बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 दिसंबर ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन व उनके कारोबार की वृद्धि की समीक्षा करने के लिए इन बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ शनिवार को बैठक करेंगी। सूत्रों ने बताया कि मांग व उपभोग को तेज करने में बैंकों की भूमिका को देखते हुए बजट से पहले सरकारी बैंकों के सीईओ और प्रबंध निदेशकों के साथ वित्त मंत्री की यह बैठक विशेष महत्व रखती है। सीतारमण एक फरवरी को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं।

सूत्रों के अनुसार सीतारमण बैंकों द्वारा लिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क व रूपे कार्ड के जरिए पीएम जन धन योजना के खाताधारकों को खाते में मौजूदा राशि से अधिक की निकासी करने की सुविधा देने से संबंधित बजट घोषणाओं की भी समीक्षा करेंगी। इस बैठक में सरफेसी अधिनियम के तहत संपत्तियों की नीलामी के ऑनलाइन मंच के बारे में भी चर्चा की जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के जरिए व अन्य उपायों से गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वसूली के बारे में भी चर्चा हो सकती है। बैंकों ने पिछले चार साल में 4,01,393 करोड़ रुपए के एनपीए वसूले हैं। इनमें सिर्फ 2018-19 में ही 1,56,702 करोड़ रुपए वसूल किए गए । सूत्रों ने कहा कि बैठक में बैंकिंग क्षेत्र के हालातों पर चर्चा हो सकती है व उन्हें ऋण वितरण की वृद्धि दर तेज करने को कहा जा सकता है। इसके अलावा बैंकों को रेपो दर में की गई कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए भी कहा जा सकता है।

मिग-27 लड़ाकू विमानों को वायुसेना ने किया सेवामुक्त

जोधपुर, 27 दिसंबर (भाषा)।

जोधपुर एयर बेस से शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के बहुचर्चित लड़ाकू विमानों मिग-27 को सेवामुक्त कर दिया गया। तीन दशक से अधिक समय तक भारतीय वायुसेना की सेवा करने के बाद आखिरकार मिग-27 के बेड़े को एयर बेस से सेवामुक्त कर दिया।

जोधपुर एयर बेस स्थित बेड़े में सात मिग-27 विमान थे। दक्षिण पश्चिमी हवाई कमान के एयर ऑफिस कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल एस के घोटिया ने कहा कि इन लड़ाकू विमानों ने 1999 के करगिल युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारतीय पेशेवरों ने सीएए के खिलाफ खुला पत्र लिखा

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

गूगल, उबर, अमेजन और फेसबुक जैसी कंपनियों में काम करने वाले भारतीय और भारतीय मूल के कुछ पेशेवरों ने सीएए और एनआरसी की योजना के खिलाफ एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में इन दोनों को सरकार का 'फासीवादी' कदम बताया गया है। पेशेवरों ने सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला और मुकेश अंबानी जैसे दिग्गजों को पत्र लिखकर भारत सरकार के इस 'फासीवादी कदम' के खिलाफ रुख अपनाने और सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करने का आग्रह किया है।

ऑनलाइन प्रकाशन प्लेटफार्म मीडियम पर 'फासीवाद के खिलाफ प्रौद्योगिकीविद्' शीर्षक से डाले गए पत्र में नेताओं से सरकार के निर्देश पर इंटरनेट बंद करने से इनकार करने और यह सुनिश्चित करने को अनुरोध किया गया है कि सामग्री को संतुलित करने का काम ऐसा न हो कि उसमें सरकार की ओर झुकाव हो। पेशेवरों ने यह पत्र ऐसे समय लिखा है जब देश भर में हजारों की संख्या में सीएए और एनआरसी की योजना का विरोध कर रहे हैं। कुछ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ के उग्र होने पर पुलिस कार्रवाई में लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

पत्र में लिखा गया है, 'हम प्रौद्योगिकी उद्योग से जुड़े इंजीनियर, शोधकर्ता और डिजाइनर

पेशेवरों ने सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला और मुकेश अंबानी जैसे दिग्गजों को पत्र लिखकर सीएए और एनआरसी के खिलाफ रुख अपनाने और सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करने का आग्रह किया है।

फासीवादी भारत सरकार और प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर हो रही बर्बर कार्रवाई की पुरजोर निंदा करते हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राज्य प्रायोजित बर्बर कार्रवाई तत्काल रोकी जानी चाहिए।' इन कर्मचारियों ने यह भी लिखा है कि ये विचार उनके स्वयं के हैं और उनके नियोक्ताओं से इसका कोई लेना-देना नहीं है। इन कर्मचारियों का दावा है कि ये सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, लंदन और बेंगलुरू जैसे जगहों पर काम कर रहे हैं। पत्र के अनुसार, 'सीएए और एनआरसी मुसलिम विरोधी है और इससे मुसलमानों के खिलाफ असामानता बढ़ेगी।

कर्मचारियों ने सुंदर पिचाई (अल्फाबेट), सत्य नडेला (माइक्रोसाफ्ट), मार्क जुकरबर्ग (फेसबुक), जैक डोरसे (ट्विटर), डारा खोसरोवशाही (उबर), मुकेश अंबानी (जियो), गोपाल विट्टल (भारती एयरटेल), कल्याण कृष्णमूर्ति (फ्लिपकार्ट) और शांतनू नारायण (एडोब) जैसे दिग्गजों को पत्र लिखकर भारत सरकार के इस 'फासीवादी कदम' के खिलाफ रुख अपनाने और सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करने का आग्रह किया है।

पेशेवरों ने उद्योग के दिग्गजों से प्रौद्योगिकी का बेहतर कार्यों के लिए उपयोग करने, उपयोगकर्ता का ब्योरा सरकार के साथ साझा करने से इनकार करने, सरकार के निर्देश पर इंटरनेट सेवाएं बंद करने से मना करने, नागरिकों को एकत्रित करने के साधन उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि इंटरनेट की सामग्री में इस रूप से बदलाव नहीं किया जाए जिससे वह सरकार समर्थक दिखें।

राजनाथ ने चेन्नई स्थित निजी विश्वविद्यालय की यात्रा रद्द की

चेन्नई, 27 दिसंबर (भाषा)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मशहूर तमिल गीतकार वैरामुथू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि देने के विश्वविद्यालय के फैसले के बाद शनिवार को यहां निजी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शामिल होने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया।

भाजपा प्रवक्ता एस जी सुरया के अनुसार सिंह ने 'तमिलों और तमिलनाडु की भावना का सम्मान' करते हुए अपनी यात्रा 'रद्द' कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया, " हमें सुनने को मिल रहा है कि तमिलों और तमिलनाडु की भावना का सम्मान करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैरामुथू को डॉक्टरेट देने के सिलसिले में अपनी यात्रा रद्द कर दी है।' उन्होंने तमिल लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करने के लिए सिंह और भाजपा को धन्यवाद दिया। हवाई अड्डे के सूत्रों ने भी बताया कि रक्षा मंत्री ने अपनी चेन्नई यात्रा रद्द कर दी है। निजी विश्वविद्यालय की टिप्पणी नहीं मिल पाई है।

गुरुवार को जब विश्वविद्यालय का यह फैसला सामने आया था कि वह शनिवार को दीक्षांत समारोह में वैरामुथू को मानद डॉक्टरेट प्रदान करेगा और उस कार्यक्रम में सिंह भी शामिल होंगे तो विवाद खड़ा हो गया था। दो हिंदू संगठनों ने इस कदम का विरोध किया था कि और कहा कि वे विश्वविद्यालय के बाहर काला झंडा लेकर प्रदर्शन करेंगे। हिंदू मुन्नानी ने आरोप लगाया कि वैरामुथू ने महिला वैष्णव संत अंडाल के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी जिसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता गीतकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज है। हिंदू मुन्नानी ने कहा कि वह सिंह के खिलाफ भी प्रदर्शन करेगा।

इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को मिलेगा 1.3 करोड़ रुपए मुआवजा

तिरुवनंतपुरम, 27 दिसंबर (भाषा)।

केरल सरकार ने 1994 में जासूसी के एक मामले में गलत तरीके से फंसाए गए इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एन. नारायणन को सैद्धांतिक रूप से 1.3 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने का निर्णय किया है। नारायणन (77) ने यहां की एक उप अदालत ने एक मामला दायर किया था जिसमें उन्होंने अपनी अवैध गिरफ्तारी और परेशान किए जाने के लिए मुआवजा बढ़ाने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पूर्व वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए दिए थे तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी नारायणन को 10 लाख रुपए देने का सुझाव दिया था। यह मुआवजा इन राशियों के अतिरिक्त है। सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में बृहस्पतिवार को यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कानून विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद समझौता करार अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत के निर्देश के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने नारायणन द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच और मामले को निपटाने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्य सचिव के. जयकुमार को सौंपी थी।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)
"आईसीएआई भवन", इन्द्रप्रस्थ मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं. 7100, नई दिल्ली- 110002

निविदा आमंत्रण सूचना
विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या के लिए सुरक्षित वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का डिज़ाइन, विकास एवं कार्यान्वयन

विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या के लिए सुरक्षित वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का डिज़ाइन, विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं अधिकृत सेवा प्रदाताओं से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। मुहरबंद निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी, 2020 को दोपहर 3.00 बजे तक है। विस्तृत नियम व शर्तों सहित निविदा दस्तावेज आईसीएआई की वेबसाइट **www.icai.org** पर उपलब्ध हैं।

कार्यवाहक सचिव, आईसीएआई

RITES — राइट्स लिमिटेड
THE INFRASTRUCTURE PEOPLE
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: राइट्स लिमिटेड, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092 भारत
सीआईएन: L74899DL1974GOI007227

अंतरिम लाभांश के लिये रिकॉर्ड तिथि की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने शुक्रवार, 27 दिसंबर, 2019 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड द्वारा अपनी उपर्युक्त बैठक में घोषित प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयरों पर प्रति शेयर अंतरिम लाभांश @ 60% (₹ 6.00) के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के उद्देश्य के लिए 10 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) रिकॉर्ड तिथि के तौर पर निर्धारित की है। इसके अलावा अंतरिम लाभांश का निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा:-

(i) उन सदस्यों को जिनके नाम शुक्रवार, 10 जनवरी, 2020 को कार्य के घण्टे समाप्त होने पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे, और

(ii) उन सदस्यों के इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में, जिनके नाम नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रेषित शुक्रवार, 10 जनवरी, 2020 को कार्य के घन्टे समाप्त होने पर लाभार्थी स्वामित्व के विवरणों में मौजूद हैं।

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) के जरिए लाभांश के भुगतान की सुविधा लेने के लिए डीमेट मोड में अपने शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरा हुआ ईसीएस आज्ञापत्र फार्म डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत करें तथा जिनके पास भौतिक शेयर हैं वे हमारे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमि. नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लाट नं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, निकट सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को प्रस्तुत करें। सदस्य द्वारा ईसीएस अनुदेश एक बार प्रस्तुत कर दिए जाने पर यह उसके सभी पूर्ववर्ती बैंक आज्ञापत्रों/विवरणों का अधिक्रमण माना जाएगा। ईसीएस आज्ञापत्र कंपनी की वेबसाइट www.rites.com पर उपलब्ध है।

कृते राइट्स लिमिटेड
हस्ता/-
आशीष श्रीवास्तव
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 27.12.2019

APLAPOLLO STEEL PIPES
एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 37, हरगोबिन्द एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
कॉर्पोरेट कार्यालय: 36, कौशाम्बी, आनंद विहार टर्मिनल के निकट, दिल्ली, एनसीआर 201010
Phone No: +91-11-22373437, Fax No: +91-11-22373537
CIN: L74899DL1986PLC023443, Email: investors@aplapollo.com
Website: www.aplapollo.com

पोस्टल बैलॅट तथा रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुपालन में कम्पनी ने पोस्टल बैलट सूचना तिथि 26 दिसम्बर, 2019 में शामिल व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये पोस्टल बैलॅट प्रपत्र तथा स्व-पता लिखित पूर्व प्रदत्त व्यावसायिक शुल्क से युक्त जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलॅट सूचना का प्रेषण शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019 को पूरा कर लिया है जो सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर तथा साथ ही कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरीज के पास दर्ज उनके ईमेल आईडी पर भेजी गई है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपब्लध करा रही है। इस प्रकार, कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2019 को भौतिक अथवा डीमैटेरियलाईज्ड पद्धत्ति में अपना शेयर धारित करने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।

सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

क) ई-वोटिंग अवधि रविवार, 29 दिसम्बर, 2019 को प्रातः 10 बजे शुरु होगी तथा सोमवार, 27 जनवरी, 2019 को ऐसे सभी शेयरधारकों चाहे वे भौतिक पद्धत्ति या डीमैट पद्धत्ति में शेयर धारित करते हों, के लिये 5.00 बजे सायं में बंद होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिये ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। उक्त समय एवं तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ख) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉटिरीज द्वारा प्रबंधित लाभ योगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे हीं रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

ग) यह सूचना ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके नाम 20 दिसम्बर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज के अभिलेखों में शामिल हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे तदनुसार पोस्टल बैलॅट सूचना को केवल जानकारी के लिये जानें।

घ) स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में सम्पूर्ण पोस्टल बैलॅट प्रक्रिया का संचालन करने के लिये कम्पनी ने श्री दीपक कुमार लाथ, लाथ दीपक एंड एसोसिट्स, कम्पनी सेक्रैट्रीज को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलॅट प्रपत्र, जो विचार के लिये योग्य मानी जायेगी, अधिकतम सोमवार, 27 जनवरी, 2020 के सायं 5.00 बजे तक पर्यवेक्षक के पास पहुंच जाना चाहिये अन्यथा पूरी तरह से यह माना जायेगा कि सदस्य(यों) से उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

ङ) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलॅट प्रपत्र प्राप्त नहीं हो, वे investors@aplapollo.com पर कम्पनी के पास आवेदन कर सकते हैं।

च) सदस्यगण मतदान की केवल एक ही पद्धत्ति अर्थात् भौतिक मत-पत्र या ई-वोटिंग का चयन कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई सदस्य भौतिक मतपत्र तथा ई-वोटिंग दोनों से मतदान करते हैं तो वैध ई-वोटिंग प्लेटफार्म द्वारा किया गया मतदान लागू रहेगा तथा भौतिक मत-पत्र द्वारा किया गया मतदान अवैध माना जायेगा।

छ) सदस्यगण अधोलिखित लिंक्सः www.aplapollo.com तथा www.evotingindia.com पर जाकर उपरोक्त सभा की सूचना देख सकते हैं।

ज) पोस्टल बैलॅट/ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा 29 जून, 2020 को या उससे पूर्व की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ इन परिणामों को कम्पनी की वेबसाईट तथा सीडीएसएल की वेबसाईट पर स्थापित किया जाएगा तथा उन स्टॉक एक्सचैंजों को इसकी सूचना दी जायेगी जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

ई-वोटिंग प्रकिया से संबंधित किसी भी प्रश्नों अथवा समस्याओं के लिये शेयरधारक सहायता खंड के अंतर्गत www.evoting@cdsindia.com पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ईमेल करें।

आरटीए का पताः
अभिप्रा कैपिटल लि.
ए-387, अभिप्रा कॉम्प्लैक्स, दिलखुश इंडस्ट्रियल एरिया,
जी.टी. करनाल रोड, आजादपुर, नई दिल्ली-110033

एपीएल अपोलो, ट्यूब्स लि. के लिये
हस्ता./-
संजय गुप्ता
(निदेशक)
DIN: 00233188

तिथिः 28.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

TATA टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
शाखा पताः 7वां तल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 5518392, 6130455, 6130466 मीठी इंटेरियर्स प्रा.लि.

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की 1. मीठी इंटेरियर्स प्रा.लि. द्वारा उसके निदेशक श्री मिथिलेश झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, 2. मिथिलेश कुमार झा पुत्र राजेन्द्र झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ ही : फ्लैट नं. 70, छठा तल, मंजिल अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ ही : ए-903, प्लॉट नं. 3 डी अप्पू एन्कलेव, सीजीएचएस, सेक्टर-11, फेज द्वारका, नई दिल्ली-110075, स्व. श्री राजेन्द्र झा के कानूनी उत्तराधिकारी, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075,

3. अन्नपूर्णा झा पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ ही : ए-903, प्लॉट सं. 3 डी अप्पू एन्कलेव, सीजीएचएस, सेक्टर-11, फेज द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ ही : फ्लैट नं. 70, छठा तल, मंजिल अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ ही : यूनिट नं. टी 2 से टी 9, तीसरा तल, पंकज आर्केड, एमएलयू पॉकेट सेक्टर-5, प्लॉट नं. 16, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को 16 मई, 2019 को तीन ऋण खाताओं ऋण सं. 6130466, ऋण संख्या 6130455, एवं ऋण सं. 5518392 में रु. 2,65,96,607/- (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख छियानबे हजार छः सौ सात मात्र) की राशि की वसूली के लिये **"जैसा है जहां है" एवं "जो भी वहां है" आधार पर** 14 जनवरी, 2020 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 16 मई, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ तीन ऋण खाताओं ऋण सं. 6130466, ऋण संख्या 6130455, एवं ऋण सं. 5518392 में रु. 2,65,96,607/- (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख छियानबे हजार छः सौ सात मात्र) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 14 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 13 जनवरी, 2020 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	कब्जा का प्रकार रचनात्मक/ भौतिक
कॉमर्सियल शॉप/ कार्यालय/ यूनिट नं. टी 2, 3, टी 4, टी 5, टी 6, टी 7, टी 8, टी 9 तीसरा तल जो पंकज आर्केड प्लॉट नं. 16, एमएलयू पॉकेट, सेक्टर 5, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में स्थित है जिसका विशेष विवरण बिक्री प्रलेख में दिया गया है।	भौतिक
आरक्षित मूल्य (रु.): रु. 2,04,19,295/-	**धरोहर राशि (रु.):** रु. 20,41,930/-

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 14 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 1,00,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ "टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि." के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण **3 जनवरी, 2020 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं** तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल पच्चीस प्रतिशत क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड (डिस्पोजल हब), नामः हमारे बिक्री पार्टनर का क्लाइन्स सर्विस डेलिबरी (सीएसडी), द्वारा ई-मेल आईडीः csd@disposalhub.com टेली. नं.: +91 124 4233, 933, मोबाईल नं.+91 9810029926 एवं +91-9999105933 से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री आयन भट्टाचार्या, ई-मेलः Ayan.Bhattacharya@ TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.tat-acapital.com में दी गई लिंक देखें।

स्थानः दिल्ली/ एनसीआर
तिथिः 27.12.2019
हस्ता./-
(प्राधिकृत अधिकारी),
टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. मो. नं. 7290010751

एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड

एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. के प्रस्तावित स्ट्रेटजिक विक्रय तथा प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण हेतु वैश्विक स्तर पर आमंत्रित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का **ग्यारहवां शुद्धिपत्र**

एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) 12 फरवरी 2019 को पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसके बाद एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा 05 मार्च 2019, 26 मार्च 2019, 24 अप्रैल 2019, 25 मई 2019, 25 जून 2019, 26 जुलाई 2019, 26 अगस्त 2019, 24 सितम्बर 2019, 25 अक्टूबर 2019 और 30 नवंबर 2019 को क्रमशः पहला शुद्धिपत्र, दूसरा शुद्धिपत्र, तीसरा शुद्धिपत्र, चौथा शुद्धिपत्र, पांचवां शुद्धिपत्र, छठा शुद्धिपत्र, सातवां शुद्धिपत्र, आठवां शुद्धिपत्र, नौवां शुद्धिपत्र और दसवां शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

इच्छुक बोलीकर्ता पीआईएम के संबंध में ग्यारहवें शुद्धिपत्र को एआईएएचएल की वेबसाइट **http://www.aiahl.com/,** एआईएटीएसएल की वेबसाइट **http://www.aiatsl.com** तथा ट्रांजैक्शन सलाहकार की वेबसाइट **http://www.ey.com/in/en/home** से डाउनलोड कर सकते हैं।

मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड
(पूर्व में धानुका कर्मशियल लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय: 523-ए,सोमदत्त चैम्बर-II, 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
CIN: L30007DL1994PLC260191 | दूरभाष: 011-26171326 |
info@dhanukacommercial.com | www.moneyboxxfinance.com |

विशेष सामान्य साधारण बैठक की सूचना का शुद्विपत्र

यह शुद्विपत्र विशेष सामान्य साधारण बैठक की सूचना जो कि शुक्रवार, जनवरी 17, 2020 को होने वाली बैठक में कम्पनी द्वारा जारी किया जा रही है एवं यह शुद्विपत्र विशेष सामान्य साधारण बैठक की सूचना के साथ विस्तार एवं संयोजन पढ़ा जाए जिसको शेयरधारकों को दिसम्बर 23, 2019 को भेजा गया था, अन्यथा निर्दिष्ट किया गया।

मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड के शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विशेष सामान्य साधारण बैठक की सूचना के सम्बन्ध में घटनाक्रम/बदलाव को निम्नानुसार नोट करें:

सूचना में जहाँ पर भी प्रति इक्वीटी शेयर्स के फ्लोर मूल्य का खुलासा रू० 69.63 के बजाए रू० 68.09 प्रति इक्वीटी शेयर्स पढ़ा जाए।

बोर्ड के आदेसानुसार
कृते मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड
हस्ता०/-
राधिका गर्ग
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: दिसम्बर 27, 2019

परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना
एडवांस नवोटपेड सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड (परिसमापन में)

श्री सेतूरथनम रवि, परिसमापक द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अधीन परिसम्पत्तियों की बिक्री
परिसमापक का पंजी. पता: 505-ए, 5वां तल, रेक्टैंगल-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, दिल्ली-110017, ई-मेल: casravi.ip@gmail.com, liqansl@gmail.com
संपर्क नं.: 011-40548860

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 13.01.2020 को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि: 07.01.2020

परिसमापन एस्टेट के भाग के तौर पर एडवांस नवोटपेड सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों की बिक्री दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के प्रावधानों के अधीन माननीय एनसीएलटी, प्रधान बेंच द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा आयोजित की जा रही है। परिसंपत्तियों की बिक्री परिसमापक द्वारा ई-नीलामी मंच **https://eauctions.co.in** के माध्यम से की जाएगी।

बिक्री के लिए परिसंपत्तियों तथा संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण:

परिसंपत्तियां	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	वृद्धिशील राशि
भिवाड़ी, अलवर स्थित फैक्टरी- प्लॉट नं. एफ-56, एफ-57, इंडस्ट्रियल एरिया, चोपंकी, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी, फर्नीचर व फिक्चर्स से युक्त संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग।	ए	6.00 करोड़ रु.	30.00 लाख रु.	3.00 लाख रु.

परिसंपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा और शपथ फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य निबंधन एवं शर्तों से युक्त पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट **https://eauctions.co.in** पर उपलब्ध है।
ई-नीलामी सेवा प्रदाता की ओर से संपर्क व्यक्तिः दीक्षित प्रजापति-7874138237
परिसमापक की ओर से संपर्क व्यक्तिः
ईमेल- casravi.ip@gmail.com, liqansl@gmail.com

ह./- सेतूरथनम रवि, परिसमापक,
एडवांस नवोटपेड सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड
IBBI Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00372/2017-18/10629

दिनांक: 27.12.2019
स्थान: दिल्ली

अनुसूची II
प्रपत्र ख
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]
कॉम्पैक्ट लैम्प्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के अवधानार्थ सुसंगत विवरण1

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	कॉम्पैक्ट लैम्प्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	26/08/2005
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U31501DL2005PTC140073
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	सं. 101/एफ ग्राम घरौंदा नीम का बांगड़, मेन रोड, ग्राम पटपड़गंज, निकट मयूर विहार फेज-I, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली-110091 भारत
6.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया की अन्तिम तिथि	30.10.2019
7.	कार्पोरेट देनदार के परिसमापन के आरंभन की तिथि	31.10.2019 (सी.पी. (आईबी)-1372(पीबी)/2018 में माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ II के आदेश द्वारा) (इसकी एक प्रति 24.12.2019 को परिसमापक द्वारा ग्रहण की गयी)
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	सुश्री दीपिका भुगरा प्रसाद IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के रूप में परिसमापक का पता तथा ई-मेल	202, सम्राट अशोक एन्कलेव, सैक्टर-18ए, प्लॉट सं. 6, द्वारका, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110075 आईबीबीआई के साथ पंजीकृत ई-मेल पता : deepika.bhugra@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ होने वाले पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल	एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 सम्पर्क हेतु ई-मेल पता : Compact.lamps@aaainsolvency.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	22.01.2020

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-II, दिल्ली ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 33 के तहत दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को कॉम्पैक्ट लैम्प्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है (इसी की एक प्रति परिसमापक द्वारा 24.12.2019 को प्राप्त की गयी)।
एतद्वारा कॉम्पैक्ट लैम्प्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को मद सं. 10 के सम्मुख उल्लिखित परिसमापक के पते पर प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण या सीआईआरपी के दौरान जमा किये गये अपने दावे 02 जनवरी, 2020 को या इससे पूर्व अपडेट करके प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
निर्धारित प्रपत्र अग्रलिखित लिंक से डाउनलोड किये जा सकते हैं : http://ibbi.gov.in/downloadform.html
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

सुश्री दीपिका भुगरा प्रसाद
परिसमापक
पंजीकरण सं. IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186
तिथि : 26 दिसम्बर, 2019
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
ट्रेडिंग इंजीनियर्स (इण्टरनेशनल) लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ		
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ट्रेडिंग इंजीनियर्स (इण्टरनेशनल) लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	22 नवम्बर, 1972
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1972PLC108312
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	806, देविका टॉवर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	17 दिसम्बर, 2019 (मेरे द्वारा आदेश की प्रति 26 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त की गयी)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	14 जून, 2020 (आदेश की उद्घोषणा के अनुसार)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नाम : श्री कान्ति मोहन रुस्तगी** पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	**पता : ई-7, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली**-110048 ई-मेल आईडी : kanti.rustagi@patanjaliassociates.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	पता : रीसर्जेण्ट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी, 905, नवीं मंजिल, टॉवर सी, यूनिटेक बिजिनेस जोन, द क्लोज साउथ, सेक्टर-50, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 ई-मेल : cirp.tradingengineers@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	9 जनवरी, 2020 (माननीय एनसीएलटी के आदेश की प्राप्ति से 14 दिन)
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	अप्रयोज्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(अ) www.ibbi.gov.in (ब) अप्रयोज्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण विशेष पीठ (न्यायालय II), नई दिल्ली ने 17 दिसम्बर, 2019 को ट्रेडिंग इंजीनियर्स (इण्टरनेशनल) लिमिटेड के विरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है। (मेरे द्वारा आदेश की प्रति 26 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त की गयी)
ट्रेडिंग इंजीनियर्स (इण्टरनेशनल) लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 09 जनवरी, 2020 को अथवा इससे पूर्व (आदेश प्राप्ति की तिथि के अनुसार) अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में श्रेणी अप्रयोज्य के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से प्रपत्र सीए में अपनी पसन्द का अधिकृत प्रतिनिधि निर्दिशत करेगा।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

ह./-
कान्ति मोहन रुस्तगी
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240
दिनांक : 27 दिसम्बर, 2019
स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

जनसत्ता

पाबंदी का रास्ता

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के मसले पर समूचे देश में उभरे विरोध के दौरान कुछ जगहों पर हुई हिंसा निश्चित रूप से चिंता का विषय है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए, व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं, डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जाहिर है, ऐसी स्थिति फिर से नहीं आने देने के लिए कोई भी सरकार कदम उठाएगी। इस लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विरोध प्रदर्शनों की संभावना और उसके फिर से हिंसक होने की आशंका के मद्देनजर बीस से ज्यादा जिलों में इंटरनेट पर लगाई गई। अस्थायी पाबंदी प्रथम दृष्ट्या उचित ही लगती है। लेकिन सवाल है कि क्या यह मान लिया गया है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान होने वाली हिंसा को सिर्फ इंटरनेट पर पाबंदी लगा कर रोका जा सकता है! इसमें कोई शक नहीं है कि आज इंटरनेट पर निर्भर सोशल मीडिया के कुछ मंचों का सहारा लेकर कई बार झूठे ब्योरे फैलाए जाते हैं और उसकी वजह से अराजक स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन ऐसी घटनाएं तब भी होती देखी गई हैं, जब इंटरनेट की सुविधा स्थगित हो। ऐसे में किसी ऐसे माध्यम पर बड़े इलाके में पाबंदी लगाने को कैसे अकेला उपाय मान लिया जाता है जिस पर समूची व्यवस्था का ज्यादातर हिस्सा निर्भर हो!

गौरतलब है कि इस साल अब तक देश में सौ से ज्यादा बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। आमतौर पर हिंसा की आशंका, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया जाता है। लेकिन आज इंटरनेट पर निर्भरता का दायरा जितना व्यापक हो गया है, उसमें इस तरह की पाबंदी जैसे कदम से सारे कामकाज ठप्प हो जाते हैं। बैंकों के कामकाज, एटीएम सेवा, इंटरनेट आधारित पढ़ाई-लिखाई, कारोबार, पर्यटन, ट्रेन के टिकट लेने या इससे जुड़ी सारी गतिविधियों के रुक जाने से जितनी बड़ी आर्थिक क्षति होती है, उसका आकलन शायद ही कभी किया जाता है। इसके अलावा, कोई अफवाह अगर फैल गई है तो इंटरनेट के सहारे ही प्रशासनिक स्तर पर उसकी हकीकत तेज गति से बता कर उस पर लगाम लगाने की गुंजाइश भी बाधित होती है। जबकि किसी तरह की अव्यवस्था या अराजकता की स्थिति से निपटने में संचार सेवा की भूमिका आज काफी ज्यादा बढ़ गई है। कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार के पास निषेधात्मक कार्रवाई करने के तमाम उपाय मौजूद हैं। लेकिन पूरी तरह पाबंदी का असर सूचना के प्रसार से लेकर आम लोगों की रोजी-रोटी तक पड़ता है, जिनका किसी तरह की अराजकता से कोई लेना-देना नहीं होता।

अगर सरकार को लगता है कि किसी खास गतिविधि से अशांति, अराजकता और हिंसा फैलने की आशंका है, तो वह उस पर रोक लगाने जैसे कदम उठा सकती है। लेकिन इस तरह की पाबंदी से अगर खुद प्रशासनिक स्तर पर कानून और व्यवस्था लागू करने में बाधा पैदा होती है, अनिवार्य कामकाज बाधित होने की स्थिति पैदा हो जाती है, तो यह दूसरी तरह से पैदा हुई अव्यवस्था ही है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि सरकारें और प्रशासन गंभीर असर वाले सख्त कदम को प्राथमिक उपाय नहीं मान कर तब ऐसी पहलकदमी करेंगी, जब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा हो। विडंबना यह है कि हाल के दिनों में किसी मसले पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों में हिंसा की आशंका जता कर सरकार की ओर से इंटरनेट पर पाबंदी को प्राथमिक और सबसे महत्त्वपूर्ण रास्ता मान लिया गया है। इससे हिंसा फैलाने में इंटरनेट का सहारा लेने वाले लोगों को अपनी मंशा पूरा करने में कोई बाधा आती हो या नहीं, लेकिन अराजक समूहों से इतर ऐसे कदम से बहुत सारे लोगों की लोकतांत्रिक तरीके से अभिव्यक्ति का अधिकार भी बाधित होता है।

मुआवजा और सवाल

जासूसी के आरोपों में लंबे समय तक मुकदमे की प्रताड़ना झेलने के बाद बरी होने वाले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एस नांबी नारायणन को केरल सरकार ने अब मुआवजे के तौर पर एक करोड़ तीस लाख रुपए देने का फैसला किया है। केरल सरकार ने यह मेहरबानी इसलिए नहीं की है कि विज्ञान के क्षेत्र में नांबी नारायणन का बड़ा योगदान रहा या झूठे मुकदमे में फंसाए जाने से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी या केरल सरकार उनके प्रति कोई सद्भाव दिखा रही है, बल्कि नांबी नारायणन ने अदालत में मुकदमा दायर कर मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। इसरो जासूसी कांड से दोषमुक्त साबित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नांबी नारायणन को पचास लाख रुपए बतौर मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उन्हें दस लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार से कहा था। इसके बाद नांबी नारायणन ने फिर से स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया और मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। इसलिए सरकार हरकत में आई और एक करोड़ तीस लाख रुपए देने को मजबूर हुई, ताकि मामला तूल न पकड़े। जासूसी कांड में नांबी नारायणन के पाक साफ निकलने के बाद राज्य और केंद्र सरकार को जम कर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस साल गणतंत्र दिवस पर उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। लेकिन सवाल है कि ये क्या डेढ़-दो करोड़ रुपए का मुआवजा और पद्म सम्मान उनकी पीड़ा को कम कर सकते हैं? सरकारी तंत्र की लापरवाही, निकम्मेपन और साजिश की वजह से नांबी नारायणन ने अपने जीवन में जो खोया क्या वह उन्हें वापस मिल पाएगा?

आज सवाल इस बात का नहीं है कि नांबी नारायणन को कितना मुआवजा मिला, क्या सम्मान मिला। सवाल ये है कि जिन लोगों ने नांबी नारायणन का जीवन तबाह कर डाला, क्या उनकी पहचान हुई? अगर हुई तो क्या उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई? सुप्रीम कोर्ट ने मनगढ़ंत मामला बनाने और नारायणन की गिरफ्तारी और उन्हें भयानक प्रताड़ना देने को लेकर केरल पुलिस की भूमिका की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच का भी आदेश दिया था। पर अभी तक केरल सरकार ने इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया हो और दोषियों का पता लगा कर सजा दी हो, देखने को नहीं मिला है। यह घटनाक्रम भारत के पुलिस तंत्र और उसकी कारगुजारियों की पोल खोलने के लिए काफी है। पुलिस कैसे और किसके इशारे पर क्या-क्या कर सकती है, और कैसे एक बड़े वैज्ञानिक का जीवन खत्म कर सकती है, नांबी नारायणन के मामले से यह साफ हो जाता है। अगर मामला सीबीआइ को नहीं सौंपा जाता तो सच कभी सामने नहीं आ पाता।

जासूसी मामले में बरी होने के बाद नारायणन ने अपनी किताब 'रेडी टू फायरः हाउ इंडिया एंड आइ सरवाइव्ड द इसरो स्पाई केस' में इसरो जासूसी मामले को परत दर परत खोला है और बताया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे साजिशें रच कर भारत के क्रायोजनिक इंजन विकास में पंद्रह साल की देरी करवाई गई। नवंबर 1994 में नारायणन जब गिरफ्तार किए गए थे, तब वे स्वदेशी क्रायोजनिक इंजन परियोजना के प्रमुख थे। देश के एक होनहार वैज्ञानिक को अपने जीवन का लंबा वक्त कानूनी लड़ाई में झोंकने को मजबूर होना पड़ा और सिर्फ पुलिस की करतूतों से। वरना यह वैज्ञानिक देश को अपना अमूल्य योगदान देकर वैज्ञानिक उपलब्धियों से कितना समृद्ध बना सकता था, कोई नहीं जानता।

कल्पमेधा

दूसरों के मन का भाव समझने में समय लगता है, लेकिन कभी-कभी यह बात अपने विषय में भी लागू होती है। बहुत लोग अपने मन के भाव भी नहीं समझ पाते।

– रवींद्रनाथ ठाकुर

धरती को बचाने की अधूरी मुहिम

संजय कुमार सिंह

भारत ने मेड्रिड की इस बैठक में ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित देश 2020 से पहले और बाद के लक्ष्यों को हासिल करें और 2050 तक कार्बन निरपेक्षता हासिल करें। भारत को यह सख्त रवैया दिखाना जरूरी इसलिए था कि ज्यादातर विकसित देश 2020 से पहले के अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहे हैं, इन देशों को 2020 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में चालीस फीसद तक की कमी लानी थी।

दिल्ली की प्रदूषित हवा से लेकर समुद्री तूफान, प्लास्टिक कचरे और ऐसे कई अन्य कारणों से हमारा भविष्य गंभीर संकट में पड़ता जा रहा है। पर हम अभी तक इसके प्रति पर्याप्त रूप से सचेत नहीं हुए हैं। पर्यावरण और धरती का संकट इंसान का ही खड़ा किया हुआ है, इसलिए इससे निपटना भी हमें ही है। लेकिन पर्यावरण बचाने को लेकर इंसान की लापरवाही इस समस्या से निपटने में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। यह ऐसी समस्या है जो किसी भी सीमा को नहीं मानती और दुनिया में इतनी सीमाएं हैं कि सबके लिए इस समस्या को एक तरह से लेना संभव भी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली में जब प्रदूषित हवा की बात होती है तो उसका कारण आसपास के शहरों और राज्यों में भी पाया जाता है। दिल्ली की सरकार दूसरी है और आसपास के शहरों-राज्यों की सरकारें दूसरे दल की हैं। ऐसे में न समस्या के प्रति गंभीरता एक जैसी है, न ही एक जैसे हल लागू किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर कोई समस्या सारी दुनिया से जुड़ी हो तो उसका हल वाकई मुश्किल है।

जलवायु संकट से निपटने के लिए इमरजंसी घोषित करने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है। जलवायु परिवर्तन पर लंदन में ग्यारह दिनों तक विरोध चलने के बाद ब्रिटेन की संसद ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर इमरजंसी घोषित की थी। ब्रिटेन के मामले में दिलचस्प बात ये है कि देश में जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष ने इमरजंसी घोषित करने का प्रस्ताव किया और सरकार ने इसे मान लिया गया। जबकि भारत में ऐसे मुद्दों पर हम किसी सहमति बनाने के बजाय आपस में लड़ते रहते हैं।

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भारी औद्योगीकरण, ऊर्जा संसाधनों के बेहताशा दोहन जैसी गतिविधियों की देन हैं। यूरोप और अमेरिका में पिछली दो सदियों में जिस तेजी से औद्योगिक क्रांति हुई, उसका नतीजा यह हुआ कि कल-कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी और इसके लिए धरती पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन की एकमात्र साधन बना। आज हालत यह है कि सारे देश खासतौर से पश्चिमी देश एक दूसरे पर जलवायु संकट का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जलवायु संकट को लेकर होने वाले वैश्विक सम्मेलनों में बार-बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसों के उर्त्सजन में कमी लाने के लिए सभी देशों को कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की नीतियां तय करनी होंगी और इस लक्ष्य को 2050 तक हासिल करने के प्रयास करने होंगे। सरकारों को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे आने वाली हर नई कार या वाहन बिजली से चलने वाला हो, न कि पेट्रोल,डीजल से। यह इस दिशा में किए जा सकने वाला सबसे आसान काम है। भारत में बिजली कारों पर टैक्स कम करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो लेती है, जबकि बिजली वाहनों को चार्ज करने के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में कोई प्रयास होते नहीं दिख रहे। अगर हम इस दिशा में काम नहीं करेंगे तो लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे और पर्यावरण को साफ करने की मुहिम धरी रह जाएगी।

स्वीडन की स्कूली छात्रा ग्रेटा थनबर्ग ने जलवायु परिवर्तन को बड़ा खतरा बताते हुए बड़ा अभियान छेड़ा। ये सब घटनाएं तब हुईं, जब अदालत ने हीथ्रो हवाई अड्डे के विस्तार के तहत नया रनवे बनाने की मंजूरी दे दी, इसके बाद पेरिस के जलवायु समझौते में ब्रिटेन की भागीदारी को खत्म कर दिया गया। जलवायु संकट पर काम कर रहे सलाहकारों ने कहा है कि 2050 तक ग्रीनहाउस गैसों को शून्य तक करना संभव है, लेकिन उसके लिए सार्वजनिक उपभोग, उद्योग और सरकार की नीति में बड़े बदलाव करने होंगे। दूसरी ओर, यह भी तथ्य है कि जो उपाय अभी किए जाएंगे तो उसका प्रभाव 2030 से दिखना शुरू होगा, जबकि 2018 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी रिकार्ड टूट चुके हैं।

ऐसे में धरती को बचाने के लिए एक वैश्विक योजना और कार्यक्रम जरूरी है। इसके लिए स्पेन की राजधानी मेड्रिड में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन-कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (कॉप-25) पिछले दिनों संपन्न हुआ था। इस बार आयोजन से जुड़ी खास बात यह रही कि आयोजनकर्ता यूएनएफसीसीसी (युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) की स्थापना के पच्चीस वर्ष पूरे हुए हैं। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो द जनेरियो में हुआ था। रियो सम्मेलन में तय हुआ था कि यूएनएफसीसीसी के सदस्य राष्ट्र हर साल इकट्ठे होंगे और जलवायु संबंधित चिंताओं और कार्य-योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी या कॉप) नाम दिया गया था। पहला कॉप सम्मेलन 28 मार्च से सात अप्रैल 1995 तक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था।

पृथ्वी के धरातल पर निश्चित समय में तापमान एवं वर्षा में आए असंतुलन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मनुष्यों द्वारा किया गया प्रदूषण और गर्म हानिकारक गैसों का उत्सर्जन जलवायु संकट का प्रमुख कारण माना जाता है। हालांकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक चल रहा है। रियो बैठक में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक व्यापक संधि पर सहमति बनी थी। इसके साथ दो और संधियों की परिकल्पना की गई थी। इसमें एक है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन और दूसरा बढ़ते रेगिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। पर्यावरण से जुड़े ये सम्मेलन बड़े महत्त्व के हैं। इस बार मेड्रिड में जुटे वार्ताकारों ने जलवायु परिवर्तन पर सबसे मुश्किल समझे जाने वाले मुद्दों को निपटाने की कोशिश की, ताकि जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की दिशा में बढ़ा जा सके।

भारत ने मेड्रिड की इस बैठक में ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित देश 2020 से पहले और बाद के लक्ष्यों को हासिल करें और 2050 तक कार्बन निरपेक्षता हासिल करें। भारत को यह सख्त रवैया दिखाना जरूरी इसलिए था कि ज्यादातर विकसित देश 2020 से पहले के अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहे हैं, इन देशों को 2020 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में चालीस फीसद तक की कमी लानी थी। विकसित देशों को 2050 तक हर हाल में कार्बन निरक्षेपता का लक्ष्य हासिल करना है, यानी वे उतना ही उत्सर्जन करें जितना सोखने की क्षमता उनके पास है।

यूरोपीय संघ ने वर्ष 2050 तक संपूर्ण रूप से कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का संकल्प लिया है। सदस्य देशों वाले ब्लॉक में पोलैंड एकमात्र देश है जिसने इस संकल्प पर सहमति नहीं दी है। कुछ समूहों ने योजनाओं पर आगे बढ़ने के लिए वित्तीय संसाधनों की मांग की है, जिनमें तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के लिए मदद शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सांस्कृतिक बदलाव लाना, ताकि हर कोई यह बुनियादी सवाल पूछे कि अपना कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं?

सबसे बड़ा सवाल और लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाने का है। चौदह क्षेत्रों, करीब चार सौ शहरों, सात सौ छियासी व्यवसायों और सोलह निवेशकों ने कहा है कि वे वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपात स्थिति से निपटने की अहमियत और सख्त जरूरत को पहचाना जा रहा है। करीब पौने दो सौ कंपनियों ने कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखने का संकल्प किया है, ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेड्रिड सम्मेलन जिस उद्देश्य के लिए हुआ, वह पूरा नहीं हुआ और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक कार्ययोजना नहीं बन पाई।

नजरिए का फर्क

प्रदीप उपाध्याय

दुनिया मेरे आगे

लोग कहते हैं कि आप हर बात को एक ही नजर से देखते हैं। उनका कहना जायज हो सकता है, क्योंकि जब आपका नजरिया ही एकतरफा होगा तो नजर भी वही रहेगी। नजर-नजर का फर्क रहता है। हरेक व्यक्ति की किसी बात को देखने और समझने की एक दृष्टि होती है और उसी के अनुसार उसका दृष्टिकोण भी रहता है। यानी सोचने-समझने का नकारात्मक या सकारात्मक पक्ष हो सकता है। अगर आपकी सोच ही संकुचित होगी तो स्वाभाविक है कि आपके आचार-विचार और दृष्टिकोण भी संकुचित होंगे।

पिछले दिनों अयोध्या में सरयू के तट पर लाखों की संख्या में दीप जलाकर एक रिकॉर्ड कायम किए जाने के दौरान एक झुग्गी-झोपड़ी निवासी छोटी-सी बच्ची द्वारा बुझे दीपों से तेल संचित कर बोतल में भरने के सोशल मीडिया पर वायरल चित्र ने मुझे उद्वेलित कर दिया। इसी को आधार बना कर मैंने कल्पना की कि उस बच्ची को ऐसे बोतल भरते देख वहां उपस्थित चौकीदार ने उसे दो तमाचे जड़ते हुए भगा दिया और बोतल छीन कर फेंक दी और इस तरह उस बच्ची के घर इस बार भी दिवाली पर अंधेरा ही रहा।

यह मेरी नकारात्मक सोच थी। ऐसी सोच जब मैंने अपनी एक दीदी को सुनाई तो वह बोली कि इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि उस लड़की को बुझे हुए दीपों से तेल भरते देख कर चौकीदार का मन पसीज गया और उसने साथ में तेल से भरे हुए दीप भी दे दिए और उस कन्या की झोपड़ी भी दिवाली पर जगमगा उठी। वास्तव में यह सोच का फर्क है। मैंने बुराई खोजी तो इसी पर दूसरा नजरिया सकारात्मक था। अब वास्तव में क्या हुआ होगा, उसे वह बच्ची और उसका परिवार ही जानता है। लेकिन किसी उत्सव के बुझे दीपों से किसी गरीब बच्ची का तेल जमा करना कोई आदर्श स्थिति तो नहीं ही है।

दरअसल, हम अपनी संकुचित मानसिकता के चलते नकारात्मक प्रभाव की ओर तो तुरंत बढ़ जाते हैं, लेकिन सकारात्मकता नहीं देख पाते हैं। दृष्टि वही होती है, दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकते हैं। हमारे सामने एक चित्र रखा जाता है, चित्र में चित्रकार की अपनी कल्पना रहती है, लेकिन देखने वालों का समझने और उसकी व्याख्या करने का अपना अलग नजरिया हो सकता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उसमें कमियां खोजेगा तो दूसरी ओर सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति उसकी खूबियों को बताएगा।

यों भी आजकल हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा हो गया है कि हरेक बात में कमियां निकाल कर सामने रख देते हैं। सरकार की कोई योजना आई नहीं कि विपक्षी दल उसके सकारात्मक पक्ष को न देखते हुए बहुतेरी खामियां निकाल कर आलोचना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरह विपक्षी दल द्वारा सरकारी योजना और कार्यक्रमों में दर्शायी गई वास्तविक कमियों और कठिनाइयों को सत्ता पक्ष खुले दिल से स्वीकार न कर इन्हें महज विरोध के रूप में देखता है। जबकि इन सब बातों को सही नजरिए से लेकर खुले दिल से स्वीकारा जाना चाहिए।

यह तो सार्वजनिक जीवन की बात हुई। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कितने संकुचित, असहिष्णु और दुराग्रही विचारों के हो जाते हैं। कोई हमें हमारे हित की बात कहता है तो हमारी सोच उस बात में सामने वाले का स्वार्थ खोजती है। मान लीजिए कि सामने वाले का स्वार्थ भी है, तब भी उसकी कही बात में अगर जरा-सा भी हमारे हित की बात है, तो उसे खुशी-खुशी स्वीकार किया जाना चाहिए।

हरेक बात में कमियां, बुराइयां, विसंगतियां देखने के स्थान पर हमें उसके सकारात्मक पक्ष को तरजीह देना सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि सभी बातें अलाभकारी या अहितकारी ही हों। हमें अच्छाइयों को खोजने और देखने का भी अभ्यास होना चाहिए। हमें अपनी इस अवधारणा का परित्याग कर देना चाहिए कि पूरी दुनिया ही बुरी है। अगर बुराइयां हैं तो इसका दूसरा पहलू यह है कि दुनिया अच्छी भी है। बात वही है कि पानी से भरे आधे ग्लास को आप किस रूप में देखते हैं। यानी हमारा नजरिया यह हो सकता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, लेकिन नजरिया यह भी हो सकता है कि यह तो आधा खाली है। नजरिए का फर्क है। अगर शुरू से ही यह मान कर चलेंगे कि नहीं, हरेक व्यक्ति बुरा है, हरेक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है तो हमारी धारणा ही वैसी बन जाएगी। तब ईमानदार व्यक्ति भी हमें बेईमान ही दिखाई देगा।

मैंने एक सज्जन को हमेशा यह कहते हुए सुना है कि ईमानदार लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों को यह भी कहते सुना है कि सच्चाई का यहां कोई मोल नहीं है। लेकिन यह सही नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म, वचन और धर्म से ईमानदार और सच्चा बना रहे तो निस्संदेह उसे एक न एक दिन मान्यता मिलेगी ही। इसके लिए व्यक्ति में साहस के साथ सामने आने वाली बातों, विचारों, कार्यों को सही नजरिए से देखने का माद्दा होना जरूरी है।

जनहित से इतर

इस देश में जो सबसे जरूरी मुद्दे हैं, मसलन अस्पतालों में दवाइयों और ऑक्सीजन के अभाव में मरते इस देश के हजारों-लाखों नौनिहालों के लिए इस सरकार के पास पैसे की किल्लत है, लाखों प्राथमिक स्कूलों के खंडहर में बदलते भवनों के लिए बिल्कुल धनाभाव है, लाखों किसानों की खुदकुशी करने का कारण हर वर्ष उनको कृषि में हो रहे नुकसान को कम करने और उनकी फसलों का उचित मूल्य देने में इस सरकार की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा जाती है, लेकिन दूसरी तरफ व्यर्थ के मुद्दों, जिनका आमजन के जीवन के जीने-मरने से कोई सरोकार नहीं है, उसे लेकर तूफानी गति से काम किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, बुलेट ट्रेन, कुंभ मेला, चार धाम सड़क योजना, दुनिया में पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, अयोध्या में करोड़ों रुपए बहा कर दिवाली मनाने आदि व्यर्थ के मुद्दों पर अरबों-खरबों रुपए खर्च कर देने में इन सरकारों को जरा भी देर नहीं लगती!

कितने दुख और अफसोस की बात है कि इन सरकारों के सत्ता के कर्णधार सत्ता में आने से पूर्व जनता से 'सभी के अच्छे दिन लाने' के वादे के बल पर सत्तारूढ़ होती हैं, फिर वही विलासिता, व्यर्थ के मुद्दों और अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर देतीं हैं। आखिर भारत की जनता कब तक इन जुमलेबाजों के जाल में फंसती रहेगी? यह एक अंतहीन सिलसिला कब तक चलेगा? क्या कभी चुनाव से पूर्व अपने किए वायदों को ईमानदारी से लागू कर, जनहित, देशहित में काम करने वाले सच्चे, सच्चरित्र और ईमानदार नेता इस देश से विलुप्त हो गए हैं? सभी एक से बढ़ कर एक झूठे, चालबाज, चोंचलेबाज और जुमलेबाजी करने वाले ही नेतृत्व करने वाले नेता ही बचे हुए लगते हैं। क्या कभी इस देश में छाए घुप्प अंधेरे को तिरोहित करने वाला आशा की किरण जगाने वाला वास्तविक सूर्योदय भी होगा? देश में वास्तविक सूर्योदय होने में इतनी देरी क्यों हो रही है?

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

मंदी की चपेट

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर सुस्ती के दौर में है। दरअसल, वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से मंदी की चपेट में है, जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में निरंतर वृद्धि हुई है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों पर गहराए संकट का अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा असर हुआ है कि श्रमिक वर्ग के लाखों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। सरकार द्वारा भारी-भरकम पैकेज प्राप्त करने के बावजूद वित्त और गैर-वित्त बैंक संतोषजनक परिणाम देने में नाकाम साबित हुए। इस गंभीर समस्या से उबरने और गहराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार को तत्काल नीतिगत उपाय करने चाहिए और उन पर अमल सुनिश्चित करना चाहिए। वरना फिजूल के उन्माद फैलाने वाले मुद्दों में देश को उलझाने से अंतिम तौर पर देश कमजोर होगा और इसका खमियाजा देश को लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है।

● *मोहम्मद शायान, कैराना*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

चौपाल

धर्म की जगह

भारत में पंथनिरेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। हमारा संविधान भी धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारत सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाता है। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति काफी भयानक है। इस समय हम आए दिन मॉब लिचिंग, धार्मिक संघर्ष जैसी बहुत-सी घटनाएं होते देख रहे हैं। धर्म का प्रयोग बड़े स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में किया जा रहा है। यहां तक कि अब क्षेत्र के बहुसंख्यक जाति के आधार पर उम्मीदवार को चुनते हैं । राज्य स्तर पर भी बहुसंख्यक धर्म को ज्यादा महत्त्व दिया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि यह सब हमारी घोषित पंथनिरपेक्षता के बावजूद चल रहा है, जबकि भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और धार्मिक भेदभाव पर रोक लगता है। लेकिन बहुसंख्यक आबादी के धर्म की राजनीति देश के बुनियाद को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। यों भी मानवीयता किसी भी धर्म और उसकी राजनीति से श्रेष्ठ मूल्य है। अगर धर्म और उसकी विचारधारा मानवीयता को बाधित करती है तो उसे त्याज्य माना जाना चाहिए।

● *मृत्युंजय सिंह, इलाहाबाद विवि, प्रयागराज*

कुपोषित विकास

भारत में पोषण की स्थिति काफी खराब हैं, यह सामाजिक आर्थिक स्थितियों को देख कर कहा जाता रहा है। लेकिन सच यह है कि वैश्विक सूचकांक में भी इस मामले में भारत को 199 देशों में से 103 वां स्थान मिल पाया है। इसमें गरीब तबकों के साथ कुछ अन्य तबकों के परिवारो की स्थिति भी चिंताजनक पाई गई है। दरअसल भारत को एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है, जिसमें किफायती दर पर पर्याप्त पोषण मिले। नीतिगत स्तर पर इस ओर पहलकदमी नहीं हुई और केवल चिंता जताई जाती रही तो देश में सेहत की स्थिति इसी तरह दयनीय रहेगी और वैश्विक अध्ययनों में भारत को एक अभाव वाले देश के रूप में देखा जाता रहेगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कुपोषण के रहते विकास के तमाम दावे खोखले ही रहते हैं। इससे समाज कमजोर होता है और इसका असर देश पर पड़ता है। सवाल है कि ऊपरी चकाचौंध के तले पलते अंधेरे देश के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा?

● *पारस मल बोस, बाड़मेर, राजस्थान*

उपभोक्ता का हक

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है, वह उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल आदि संकटों से घिरा है। उपभोक्ता चूंकि संगठित नहीं है, इसलिए हर जगह ठगे जाते हैं। दरअसल, कम उपभोक्ता जानते होंगे कि अगर वे खरीद-बिक्री संबंधी धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली आदि के शिकार होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें शिकायत करने का अधिकार है। अब नए उपभोक्ता कानून में प्रस्तावित संशोधन के बाद ग्राहकों को प्रोडक्ट रिकॉल, मनी रिफंड और मनी रिटर्न का अधिकार भी मिल जाएगा। साथ ही मध्यस्थता का प्रावधान भी जुड़ जाएगा। फिर कंपनी और ग्राहक मध्यस्थ की मौजूदगी में विवाद का निपटारा कर सकते हैं। जिला फोरम और राज्य आयोग में हारने के बाद कंपनी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नहीं जा सकेगी। महत्त्वपूर्ण यह है कि फैसला नहीं मानने पर छह महीने की कैद और बीस लाख रुपए का जुर्माना लगेगा।

● *अमन सिंह, बरेली, उत्तर प्रदेश*

www.readwhere.com

बेचारा चैंपियन

विधायक कुंवर प्रणय सिंह उत्तराखंड भाजपा से निष्कासित हैं। लक्सर के गुर्जर राज परिवार से नाता है। भाजपा से पहले बसपा और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। यानी संघी अतीत वाले भाजपाई नहीं हैं। हरिद्वार जिले की खानपुर सीट के विधायक कुंवर प्रणय सिंह की पहचान सियासी गतिविधियों से कम दूसरे कारणों से ज्यादा रही है। पर आजकल अकड़ छूमंतर है। सरकारी तंत्र में कोई भाव नहीं दे रहा। वजह है-मुख्यमंत्री और पार्टी आलाकमान दोनों के वरदहस्त का अभाव। सो, पार्टी में वापसी के लिए हर जतन कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री के दरबार में मत्था टेक आए। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी अपनी पंचायत सदस्य पत्नी रानी देवयानी का वोट भाजपा उम्मीदवार सुभाष वर्मा को ही दिलाया। जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने में भी कामयाब हो गए। पर भाजपा के झबरेड़ा के दलित विधायक देशराज कर्णवाल हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। चैंपियन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर रखी है। हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली तो अब इस मामले में जेल जाना तय लग रहा है। विजय बहुगुणा के साथ भाजपा में आए थे पर अपनी विवादास्पद हरकतों के कारण अब कहीं के नहीं रहे। भाजपा उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे तो हसरत मंत्री बनने की पाली थी। मंत्री तो क्या बनते, पार्टी से ही निष्कासित कर दिए गए। सत्ता की हनक से वंचित रह जाने की बेचैनी चेहरे से साफ झलकती है।

बेबाक बोल

हरियाणा और महाराष्ट्र ने जो संकेत दिए थे झारखंड ने उस पर मुहर लगा दी। भारत जैसे सांस्कृतिक और भौगोलिक बहुलता वाले देश में क्षेत्रीय क्षत्रपों ने अपनी अहमियत एक बार और साबित कर दी है। हालांकि इससे पहले हुए राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी जनता ने स्थानीय मुद्दों पर ही अपनी सरकारें चुनी थीं। जनता लगातार यह संदेश दे रही है कि वह केंद्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को अलग कर देखना जानती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में जिस तरह से क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश शुरू की है उसका भी राजनीतिक संदेश है। एक समय था जब भाजपा ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया था। लेकिन अब कांग्रेस वाला अहंकार भाजपा में दिखना शुरू हो गया है। झारखंड में क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय शक्तियों की अनदेखी करना उसे महंगा पड़ा। क्षेत्रीय दलों के साथ आगे-पीछे होने के भाजपा और कांग्रेस की बदलती लीक से जो केंद्रीय समीकरण निकलता है उसे समझने की कोशिश करता बेबाक बोल।

उन्नीस-बीस

मुकेश भारद्वाज

'अब रघुवर दास किसी भी हाल में राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होंगे'। झारखंड चुनाव में यह आवाज सरयू राय की गूंजी थी। यह आवाज थी उस अहंकार के खिलाफ जो यह सुनने को तैयार नहीं था कि मुख्यमंत्री रघुवर दास का दावा हवाई है और झारखंड की जनता जमीन पर उन्हें नकार चुकी है। रघुवर दास के हवाई दावे के आगे सरयू राय के जमीनी सच से मुंह फेरा जा रहा था। यह वही राजनीतिक अहंकार है जिसमें शीला दीक्षित ने केजरीवाल के बारे में पूछा था कि 'हू इज ही', और अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्मृति ईरानी के विषय में पूछा था कि वह कौन? विपक्ष को 'कौन' पूछने वाली कांग्रेस को दिल्ली और अमेठी दोनों खोनी पड़ी थी। सच का सामना कराने के एवज में सरयू राय को चुनाव में टिकट नहीं मिला और उन्हें विपक्ष में खड़ा होना पड़ा। सत्ता के विपरीत खड़े होने वाले के पास खोने के लिए कुछ होता भी कहां है। उसका हौसला ही तो वह हासिल है जो अभी 'निर्दलीय' राय के पास है।

संघ की विचारधारा में प्रशिक्षित और झारखंड जैसे राज्य में भाजपा का जमीनी चेहरा थे सरयू राय। लेकिन चुनावों के पहले उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने अलग राह चुनी। उन्होंने निर्दलीय के नाम पर वोट पाया और रघुवर दास को राम के मंदिर के नाम पर भी वोट नहीं मिला। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) पार्टी पांच और सीटें चाहती थी। लेकिन उस पांच के नाम पर भी समझौता नहीं किया गया और गठबंधन टूट गया। नतीजा यह निकला कि महज छह महीने के अंदर भाजपा ने झारखंड में 17 फीसद वोट खो दिया। जिन शीबू सोरेन को दिल्ली वाला मीडिया भूल चुका था, वहां से निकले अखबारों के पहले पन्ने पर शीबू सोरेन के पांव छूते हुए हेमंत सोरेन की तस्वीरें छपीं। अब गैर की महफिल में सोरेन की सादगी का किस्सा और हारी सत्ता के खाते में कांग्रेस नहीं बनने के उपदेश का हिस्सा है।

कांग्रेस वाया भाजपा वाया कांग्रेस के इस क्रम का विश्लेषण इस स्तंभ में हम कई बार कर चुके हैं। इस पर एक बार फिर तवज्जो इसलिए कि दोनों दल इतिहास से कोई सबक लेने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। शायद इसलिए क्षेत्रीय क्षत्रपों की समय-समाप्ति का ऐलान भी बहुत जल्दी इतिहास बन गया। पिछले कई विधानसभा चुनावों में देखा गया कि देश की जनता केंद्रीय और स्थानीय मुद्दों में फर्क करती आ रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में जनता ने संदेश दिया कि उसके लिए केंद्र का मुद्दा अलग है तो वह अपने राज्य में स्थानीय मुद्दों की ही बात करना चाहती है। पिछले साल के अंत और इस साल के शुरू में हुए विधानसभा चुनावों में खेती-किसानी और बेरोजगारी ही अहम मुद्दा रहा। मजबूत राजनीतिक फैसलों का उसकी जिंदगी पर असर नहीं पड़ा तो वह बहुत दूर से आए भाषण को क्यों सुने। जब उसे अपनी रोज की रोटी जुटाने में मुश्किल हो रही है तो वह इस बात पर खुश हो भी तो कैसे कि अब कश्मीर में जमीन-जायदाद खरीद सकता है।

झारखंड में एक मतदान केंद्र की फाइल फोटो।

आम जनता तो केंद्र और राज्य का फर्क करना जानती है लेकिन अफसोस कि भाजपा के रणनीतिकार यह फर्क करना नहीं सीख पा रहे हैं। कश्मीर और झारखंड की समस्या एक नहीं है। देश की औद्योगिक राजधानी महाराष्ट्र और एक खनिज संसाधनों से भरपूर लेकिन आर्थिक विकास में बहुत पिछड़े समाज की जरूरतें अलग हैं। झारखंड भूख से मौत के लिए कुख्यात हुआ, आरोप लगा कि संतोषी नाम की बच्ची भात-भात कहते हुए मर गई। यहां तो आधार कार्ड भी आरोपी हुआ कि इसका नंबर नहीं होने के कारण गरीब को उसके हिस्से का राशन नहीं मिला।

कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष की एकता लंबे समय तक देखी गई। यह एकता राज्यों से होते हुए केंद्र तक बनी रही जिसका परिणाम हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनावों में आधुनिक भारत के इतिहास में अहम पार्टी रही कांग्रेस को ऐतिहासिक हार मिली। लेकिन 2014 के चुनावों में खासकर उत्तर प्रदेश से मिले प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा ने इस विपक्षी एकता की बेकद्री की, क्योंकि वह ऐतिहासिक रूप से अपने बूते पक्ष में थी। लेकिन दुखद है कि इसके बाद भाजपा ने अपने खिलाफ उठे हर सुर को 'भ्रष्ट' बोलना शुरू कर दिया। खासकर आइबी और सीबीआइ जैसी एजंसियों के सीमित इस्तेमाल का बुरा असर दिखने लगा और अपना अस्तित्व बचाने के लिए विपक्ष ने गोलबंदी शुरू की।

कानून बनाकर चुनावी फंडिंग पर सत्ता पक्ष का एकाधिकार जैसे हालात ने भी विपक्ष को एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जद (एकी) की जितनी मांगें मांग कर झुकना पसंद किया और कांग्रेस ने अकड़ना पसंद किया तो उसका नतीजा भी दिखा था। अब जबकि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के पास चुनावी चंदों का भी सहारा नहीं बचा तो उनके पास एक-दूसरे को सहारा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत जैसे देश में जब चुनावी प्रचार को बहुत महंगा बना दिया गया है तो चुनावी चंदा किसी भी पार्टी के वजूद के लिए अहम हो जाता है। अब विपक्ष के पास अपने-अपने अहंकार को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में जिस तरह कांग्रेस ने झुक कर क्षेत्रीय क्षत्रपों के छाते के नीचे चलना मंजूर किया, उसे राजनीतिक इतिहास में एक सबक के तौर पर ही देखा जाएगा।

इन सारे बिंदुओं के साथ सबसे अहम है अर्थव्यवस्था यानी आम लोगों की रोजी-रोटी की बात। नोटबंदी और जीएसटी का असर लंबे समय बाद जनजीवन पर साफ-साफ दिखने लगा है। यह छह-सात महीने जैसे छोटे समय की बात होती तो जनता इसमें भी अच्छे दिन देख लेती। लेकिन जिस तरह से हालात लंबे समय से बिगड़ रहे हैं उसके बाद प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जनता को अर्थव्यवस्था पर तसल्ली भी मिल जाती तो बात आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यहां तो 'हम लहसुन, प्याज नहीं खाते' से लेकर 'कहां है मंदी, कहां है मंदी' जैसे संवाद गूंजने लगे। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र व झारखंड तक में सत्ता पक्ष ने उस कमजोर वर्ग को कोई उम्मीद नहीं दिखाई जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था।

2014 में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन कर उभरा था और आज 2019 के अंत पर आम जनता के बीच यह कोई विमर्श ही नहीं है। भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी के मुद्दे पर ही कांग्रेस खारिज की गई थी। बिहार में नीतीश कुमार ईमानदार छवि वाले सुशासन के नाम पर ही कुर्सी हासिल कर पाए थे। लेकिन इस बार झारखंड में सवाल था कि रोजी-रोटी के बाद ही आगे की कोई बात होगी। क्षेत्रीय क्षत्रपों की वापसी ने केंद्र और राज्य की राजनीति को अलग-अलग तरीके से लेने का संदेश दे दिया है। दिल्ली के चुनावी मैदान में तो इस संदेश का सकारात्मक असर दिखने भी लगा है। केंद्र सरकार के पास अभी पर्याप्त समय है कि वह जनता की उन जरूरतों पर संवाद करे जिसका संदेश उसने दिया है। हमने 2019 का जो चुनावी पाठ शुरू किया था, झारखंड ने क्षेत्रीयता का झंडा बुलंद कर उसका उपसंहार भी रच दिया है। सत्ता और जनता के बीच के रिश्ते को समझने का, कभी जनता के आगे जाने और सत्ता के पीछे होने का यह क्रम अगले साल भी चलता रहेगा।

उम्मीदों भरे आने वाले नए साल के लिए शुभकामना।

राजपाट

अविजित नहीं भाजपा

झारखंड के चुनावी नतीजों ने भाजपा को झकझोर दिया है। जीत हुई हो तो स्थानीय निकाय तक के चुनाव पर ट्विट करने वाला भाजपा का शिखर नेतृत्व झारखंड की करारी हार पर चुप्पी साध गया। सारा ठीकरा अब रघुवर दास के सिर फोड़ा जा रहा है। टीवी चैनल भी पराजय की समीक्षा करते पार्टी के भोंपू की तरह नजर आए। जबकि झारखंड में भाजपा को गुमान था कि वह पहले की तरह बहुमत से भले पीछे रह जाए पर जोड़-तोड़ से सरकार जरूर बनाएगी। रघुवर दास तो मतगणना के दिन खुद पिछड़ते हुए भी सरकार बनाने का दम भरते रहे। इसमें दो राय नहीं कि सत्ता के दंभ ने भाजपा के शिखर नेतृत्व को लोगों की नब्ज से काट रखा है। पार्टी में असहमति के सुर सुने नहीं जा रहे और आलोचना को बगावत समझना परिपाटी बन गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इतनी दुर्गति नहीं हुई थी जितनी झारखंड में हो गई। नतीजों ने साफ कर दिया कि लोग इमरान-पाकिस्तान, मंदिर-मस्जिद, तीन तलाक और धारा 370 जैसे मुद्दों को अपनी रोजमर्रा की समस्याओं पर तरजीह नहीं दे रहे। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में होगा भाजपा के चुनावी कौशल का अगला इम्तिहान।

सवालिया निशान

योगी सरकार ने साबित कर दिखाया कि विकास के एजंडे में भले उसकी रैंकिंग बाकी राज्यों के मुकाबले काफी नीचे हो पर एक खास वर्ग के विरोध और उग्र प्रदर्शन से निपटना उसे बखूबी आता है। पिछले शुक्रवार को सूबे के बीस से ज्यादा स्थानों पर केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई ही नहीं की बल्कि बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई फायरिंग को भी नकार दिया। सूबे के डीजीपी लगातार बोलते रहे कि दंगों में मरे बीस से ज्यादा लोग उपद्रवी थे और उपद्रवियों की गोलियों का ही शिकार हुए। उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक नजरिए से देश का सबसे संवेदनशील सूबा रहा है। लेकिन इस बार कहीं भी नाराज मुसलमानों ने किसी भी गैरमुसलमान खासकर हिंदू से कहीं कोई झगड़ा नहीं किया। पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगली खूब उठ रही है। बेकसूरों पर कार्रवाई में भेदभाव का सवाल हो या सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वसूली के कानून पर अमल का सवाल। जब पहले से अशांति की आशंका में पूरे सूबे में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू थी तो पुलिस प्रशासन ने नमाज के वक्त चाकचौबंद बंदोबस्त क्यों नहीं किए थे? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं भी शांति और सद्भाव के लिए सियासी प्रयास नहीं दिखे। सरकार शुरू से ही हिंदू-मुसलमान के खास एजंडे पर चली है। विकास कहीं प्राथमिकता में नहीं। और तो और सूबे में पिछले चार महीने से मुख्य सचिव की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है। अपने ही उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्तों की कड़वाहट लखनऊ के सियासी गलियारों में किसी से नहीं छिपी है। मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग की निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय इस तर्ज पर कर रहा है मानो वे किसी विपक्षी दल के हों। पार्टी के जिस विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विधानसभा के भीतर भ्रष्टाचार शिखर पर होने का आरोप लगाया था, उसका समर्थन करने वाले पार्टी विधायकों को अब आलाकमान के निर्देश पर फटकार लगाई जा रही है। अच्छा होता कि विधायक के दर्द को जनभावनाओं का आईना मान अपने तौर-तरीकों और प्राथमिकताओं पर मंथन करते योगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो सीधे आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की भाषा के कारण सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में लोगों की जानें गई हैं। उनकी बदला लो और ठोको नीति के परिणाम स्वरूप प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हुई है। पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी हैं और घरों में लूटपाट की है। जिनकी मौतें हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। मृतकों के परिजनों से विपक्षी नेताओं को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश इस मामले में खामोश नहीं रहे। डंके की चोट पर फरमाया है कि जिसके साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। भले वह किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो।

सब्र का इम्तिहान

अशोक गहलोत अपनी पार्टी के नेताओं ही नहीं सरकार का समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों के सब्र का भी जैसे इम्तिहान ले रहे हैं। सरकार बने एक साल से भी ज्यादा हो गया है। पर सत्ता सुख की रेवड़ियां बांटी न मंत्रिमंडल का विस्तार ही किया। जबकि उनकी सरकार बसपा से कांग्रेस में आए और निर्दलीय दोनों श्रेणी वाले विधायकों के बिना बहुमत न दिखा पाती। हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती है। या यूं कहें कि गहलोत को बहाना मिल जाता है बर्र के छत्ते में हाथ डालने से बचने का। अब पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव का एलान हो गया है तो आचार संहिता की बंदिश शुरू हो गई। यानी इस दौरान किसी को लाभ का पद न दे पाएंगे। हां, ढाढस बंधाने के लिए गहलोत ही नहीं उनके उपमुख्यमंत्री और सियासी रूप से विरोधी गुट के अगुआ सचिन पायलट ने भी अपनी-अपनी सूची बना रखी है। किसे कहां एडजस्ट करना है। यह बात अलग है कि इन दोनों सूचियों पर आखिरी मुहर आलाकमान ही लगाएगा। आलाकमान की नुमाइंदगी कर रहे हैं सूबे के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडेय। सूबे में पार्टी को गुटबाजी और कलह से बचा पाए तो पांडेय भी पूरा कर पाएंगे इस सूबे से राज्यसभा में दाखिल होने का अपना सपना। अगले साल राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होगा यहां चुनाव। दो पर कांग्रेस की जीत तय लगती है। जहां तक समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों के धीरज का सवाल है, ज्यादातर कांग्रेसी अतीत वाले ठहरे। तो भी तेरह में से तीन से ज्यादा को मंत्री पद दे पाना मुमकिन नहीं लग रहा। इसमें भी सचिन पायलट ने फच्चर अलग फंसाई है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों का भी ख्याल रखना ही होगा। मंत्री पद की संख्या असीमित हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री समेत बस 30 का ही हो सकता है अधिकतम गहलोत का मंत्रिमंडल। अविनाश पांडेय ने भी फिलहाल लालबत्ती और रेवड़ियों की बाट जोह रहे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में बेहतर नतीजे दिखाने की चुनौती दी है। जो इस कसौटी पर खरा साबित होगा उसी को देंगे पद। जाहिर है कि कम से कम छह महीने के लिए तो मामला लटक ही गया।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

विद्यार्थियों पर क्रूरता क्यों?

काश राजनीति विद्यार्थियों के जज्बातों की कद्र करती तो नतीजे दिल दहलाने वाले नहीं होते। राजनीति के क्रूर चेहरों के आगे बेबस छात्र-छात्राओं की ट्रॉलियां सड़कों पर घड़घड़ाने लगीं, हॉस्टल खाली हो गए और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नारे पीछे छूटने लगे। आखिर विद्यार्थियों पर इतनी क्रूरता क्यों? हैरान करती सच्चाई तो यह है कि अब तक देश के नामचीन नायकों में ज्यादातर वहीं से हैं जहां लाठिया बरस रही हैं। सियासत की तो हमने बहुत सुनी एक बार उनकी भी तो सुन लें।

-एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनगर, रातू।

अराजकता बनाम आंदोलन

'हिंदुस्तान हूं मैं' द्वारा जो विश्वविद्यालय परिसर की प्रतिकूल घटनाओं के हालात अंकित किए गए हैं उसमें मात्र पुलिस बल की अधिकता के चित्रण अंश से विषय निष्पक्षता से खिसकता नजर आता है। यह सही है कि पुलिस बल ने कहीं-कहीं अपने अधिकारों की लक्ष्मण-रेखा को भंग किया है लेकिन जब भीड़ का रौद्र रूप पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे तो वह आत्मरक्षा में वह सब करने को स्वतंत्र हो जाती है जो उसे पुलिस नियमावली ने अधिकार दिया है। बुनियादी सवाल यह है कि विद्यार्थियों पर जुल्म ढाने वाले पुलिस पदाधिकारी हमारे समाज के ही अंग हैं और ऐसे ही महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर वे नौकरी पाए हैं। सो आखिर उनके शिक्षकगण ने जो उन्हें पढ़ाया और सिखाया-उसके मर्म और ज्ञान की कुंजी आज कहां और क्यों लुप्त हो गई? यद्यपि विद्यालय का प्राथमिक विद्यालय घर है जहां उसे संस्कार के लेपन से एक योग्य नागरिक बनाने के सभी यत्न किए जाते हैं। लेकिन विश्वविद्यालयों में विभिन्न राजनीतिक दलों के अनुषांगिक छात्र संगठनों के रूप में छात्रों की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के पक्षीय और विरोधी विचारों की प्रतिबद्धता से बंध जाया करती हैं। यह विचार दर्शन छात्रों तक सीमित नहीं होकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी अपने आगोश में जकड़ लेता है जो छात्रों के आंदोलन नेतृत्व को अपरोक्ष रूप में सहायता करते हैं। कोई भी शांतिप्रिय आंदोलन जब हिंसात्मक रूप लेता है तो फिर शासन को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। यही कुछ अभी विश्वविद्यालय परिसर में घटित हुआ। अब वो जमाना गया जब विद्या मंदिर के प्रांगण में स्वतःस्फूर्त अनुशासन अंगड़ाई लिया करती थी और शासन शीतनिष्क्रियता में विश्रामित हुआ करता था। शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध पिता-पुत्र के रूप में कभी मान्यता प्राप्त थे जो अब दिवास्वप्न सा हो गया है। 1974 का गुजरात एवं 1975 का राष्ट्रीय छात्र आंदोलन गवाह है कि पुलिसिया जुल्म के बाद भी पूरा आंदोलन 'हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा' के एक अहिंसक दौर में था। सारांशतः चिंता यही है कि जब अराजकता की भेंट चढ़ता ज्ञान परिसर राजनीति के दलदल में जा गिरेगा तो सही मायने में विद्या अर्जन करने वाले बहुसंख्यक पीड़ित छात्र जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन से मौन रूप से ही सही यह तो पूछेगा ही, 'तू इधर उधर की न बात कर, बता कि ये काफिला क्यों लुटा'।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

शक्ति का केंद्र विश्वविद्यालय

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सरकार के किसी भी नियम और कानून पर विचार-विमर्श का होना स्वाभाविक है। विश्वविद्यालयों को देखा जाए तो वह राजनीति की शुरुआती सीढ़ी है। अगर इसी शक्ति के केंद्र को ही उखाड़ कर फेंक दिया जाए तो वह किसी काम का नहीं बचेगा। जब हम 1975 के आपातकाल को याद करते हैं तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन का संघर्ष ताजा हो आता है, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली की तानाशाही सत्ता को हिला कर रख दिया था। लेकिन चार दशक बाद युवाओं की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पहले तर्क, विचार के साथ आगे शांति आंदोलन के रूप में आते थे, अब हिंसक भीड़ के रूप में आगे आ रहे हैं। यह किसी बढ़ते हुए समाज का अच्छा संकेत नहीं है। वहीं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में विद्यार्थियों पर बाहरी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसक मारपीट की खबरें आईं, वह बेहद निराशाजनक संदेश देता है। इसका सबसे बुरा असर लड़कियों के ऊपर पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर जो लड़कियां देश के विभिन्न शहरों में पहुंची हैं, उनके माता-पिता के द्वारा विश्वविद्यालय जैसी सुरक्षित जगह पर भय का माहौल देखा जाना आने वाली पीढ़ी की दिशा-दशा को तय करेगी। यह एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था व सामाजिकरण में भय का माहौल पैदा करता है।

-नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

www.readwhere.com

गरीब लोगों पर टैक्स हैं एनआरसी और एनपीआर : राहुल

रायपुर, 27 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन) और एनपीआर (नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) को हिंदुस्तान की गरीब जनता पर लगाया गया टैक्स बताया है। गांधी ने आज यहां हवाईअड्डे पर संवाददताओं से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, 'चाहे एनआरसी हो या एनपीआर हो, यह हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है।' उन्होंने कहा, '(जिस तरह) नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। बैंक में जाइए, पैसा दीजिए, अपने एकाउंट से पैसा नहीं निकालिए और पूरा का पूरा पैसा 15 से 20 लोगों को दे दिया गया। यह (एनआरसी, एनपीआर) भी बिल्कुल वही चीज है।' उन्होंने आरोप लगाया कि अब गरीबों को कागज बनवाने के नाम पर रिश्वत देनी पड़ेगी। उन्होंने इसे गरीबों पर हमला करार दिया।

गांधी ने अर्थव्यवस्था और रोगजार की स्थित पर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस के नेता ने कहा, 'आज पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हिंसा हो रही है। महिलाओं को यहां सड़कों पर नहीं चलने दिया जा रहा है और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है...लेकिन प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं।' राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे थे।

इस मौके पर आयोजित एक सभा में गांधी ने कहा, 'सभी धर्मों, जातियों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को साथ लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती।' केंद्र सरकार को इंगित करते हुए गांधी ने कहा, 'जब तक आप इस देश को जोड़ेंगे नहीं, जब तक देश के लोगों की आवाज विधानसभाओं और लोकसभा में सुनाई नहीं देगी, तब तक न हीं रोजगार और न हीं अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ किया जा सकेगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था को किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी ही चलाते हैं।'

कांग्रेस देश को गुमराह कर रही : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

भाजपा ने सीएए, एनपीआर और नागरिकता जैसे मुद्दों पर कांग्रेस एवं राहुल गांधी पर झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि जनता, कांग्रेस को खारिज कर चुकी है और अब उसके झूठ के झांसे में नहीं आएगी। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस की संस्कृति अफरा तफरी व अस्थिरता फैलाने व हर चीज में भ्रष्टाचार करने की है। लेकिन उसे समझना चाहिए कि जनता ने चुनाव में उसे खारिज कर दिया है और उसके झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हम आज कांग्रेस से मांग करते हैं कि वह झूठ बोलना बंद करें इससे देश गुमराह नहीं होगा। देश ने आपको रिजेक्ट किया है। वह कर्ज माफी जैसे झूठे वादे करना बंद करें, जो उसने कभी पूरे नहीं किए।

जावडेकर ने कहा कि लाभार्थियों की पहचान में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का बहुत बड़ा योगदान होता है और एनपीआर एवं आधार दोनों उसकी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आधार के विषय में कांग्रेस केवल बोलती थी, 120 करोड़ भारतीयों को आधार देने का काम मोदी सरकार ने किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पहले राहुल के बयानों से परिवार परेशान था अब जनता और पूरी कांग्रेस परेशान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी और अब नहीं हैं तब भी कुछ भी बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं। वह 2019 के वर्ष के सबसे बड़े झूठे बनने के पात्र हैं।

जावडेकर ने कहा कि आज राहुल गांधी ने कहा कि एनपीआर गरीब पर टैक्स है। एनपीआर तो जनसंख्या रजिस्टर है, लोग जो अपनी जानकारी देते हैं वह इसमें इकट्ठा करके रखते हैं, इसमें टैक्स कहां से आया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स कांग्रेस की संस्कृति है और इस संदर्भ में उन्होंने जयंती टैक्स, कोयला टैक्स, 2जी टैक्स, जीजा जी टैक्स का जिक्र किया । केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनपीआर और आधार से पारर्दिशता आयेगी और लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, जहां कोटा के एक अस्पताल में एक महीने में 77 बच्चों की मृत्यु की खबर सामने आई है । राहुल गांधी को अगर जाना है तो वहां जाएं और अपनी सरकार को सुधारें।

उन्होंने कहा कि राहुल बेतुके बयान देना बंद करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन) और एनपीआर (नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) को हिंदुस्तान की गरीब जनता पर लगाया गया टैक्स बताया है।

मानवाधिकार कानूनों का बहुत सम्मान करते हैं सशस्त्र बल : सेना प्रमुख रावत

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि सशस्त्र बल मानवाधिकार कानूनों का अत्यधिक सम्मान करते है और उन्होंने न केवल देश के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा की है बल्कि अपने दुश्मनों के मानवाधिकारों की रक्षा भी की है।

वह यहां मानवाधिकार भवन में 'युद्धकाल में और युद्धबंदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण' विषय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के प्रशिक्षुओं और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। एक बयान में जनरल रावत के हवाले से बताया गया, 'भारतीय सशस्त्र बल बेहद अनुशासित हैं और वे मानवाधिकार कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का अत्यधिक सम्मान करते हैं। भारतीय सशस्त्र बल न केवल अपने लोगों के मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं, बल्कि दुश्मनों के मानवाधिकारों की भी रक्षा करते हैं और युद्ध बंदियों के साथ भी जिनेवा संधि के अनुसार व्यवहार करते हैं।' एक दिन पहले सेना प्रमुख ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी और कहा था कि नेतृत्व करना लोगों को आगजनी और हिंसा के लिए उकसाना नहीं होता है।

उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई।

एनएचआरसी के कार्यक्रम में रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों के स्वभाव में 'इंसानियत' और 'शराफत' है और कहा कि वे 'पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष' हैं। उन्होंने कहा, 'चुनौती युद्ध नीति में बदलाव होना और तकनीक का आविष्कार होना है।' उन्होंने कहा, 'आतंकवाद निरोधक और उग्रवाद निरोधक अभियानों में लोगों का दिल जीतने होगा।' जनरल रावत ने कहा कि सेना मुख्यालय ने 1993 में 'मानवाधिकार प्रकोष्ठ' बनाए थे जिसे अब निदेशालय स्तर तक उन्नयन किया जा रहा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक होंगे।

प्रदर्शन में शामिल नॉर्वे की महिला को भारत छोड़ने का निर्देश

पेज 1 का बाकी

कार्यालय (एफआरआरओ) के अधिकारी अनूप कृष्णन ने बताया, ' हमारी जांच में पाया गया कि उसने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए उसे जाने के लिए कहा गया।' कोच्चि में 23 दिसंबर को सीएए विरोधी प्रदर्शन में जेने मेटे जोहानसन के हिस्सा लेने की तस्वीरें और वीडियो साशेल मीडिया पर फैलने के बाद गुरुवार को आव्रजन अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एफआरआरओ ने मामले की जांच की। कार्यालय के अधिकारी फोर्ट कोच्चि में होटल में उसके कमरे में गए और उन्होंने उनसे पूछताछ के लिए कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कार्यालय पहुंचने को कहा। जोहानसन ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि आव्रजन अधिकरण ब्यूरो ने उन्हें फौरन देश छोड़ कर जाने के निर्देश दिए हैं।

मुसलिमों की चिंताएं दूर करने के लिए भाजपा बुला सकती है राष्ट्रीय सम्मेलन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर मुसलिम समुदाय की चिंताओं को दूर करने एवं विपक्ष के अभियान का जवाब देने के लिए भाजपा राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस संबंध में शुक्रवार को एक बैठक की जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जी हसन रिजवी एवं भाजपा के कुछ अन्य मुसलिम नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें इस विषय को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जी हसन रिजवी के अलावा पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अब्दुल राशिद अंसारी ने भी हिस्सा लिया।

सूत्रों ने कहा कि इसमें विचार किया गया कि किस प्रकार से संशोधित नागरिकता कानून, एनसीआर और एनपीआर को लेकर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को नाकाम किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसी सिलसिले में जनवरी के पहले सप्ताह में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है ताकि उन्हें इस मुद्दे पर तथ्यों से अवगत कराया जा सके।

आर्थिक वृद्धि दर कम लेकिन वित्तीय प्रणाली मजबूत : आरबीआइ

पेज 1 का बाकी

की सोच, वित्तीय बाजारों के जोखिम और संस्थागत स्थितियों समेत सभी प्रमुख जोखिम समूहों को वित्तीय प्रणाली पर असर डालने के हिसाब से मध्यम श्रेणी का जोखिम माना गया है।

हालांकि सोच यह है कि अप्रैल-अक्टूबर 2019 के दौरान घरेलू आर्थिक वृद्धि दर, राजकोषीय स्थिति, कॉरपोरेट जगत व बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता जैसे विभिन्न मोर्चों पर जोखिम बढ़े हैं।

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार कम होकर छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर आ गई।

कभी धर्म बदलने की जरूरत नहीं समझी

पेज 1 का बाकी

आस्था है और कभी मुझ पर दबाव भी नहीं बनाया गया।

कनेरिया ने अख्तर की टिप्पणी आने के बाद भेदभाव की बात स्वीकार की थी और कहा था कि वे नामों का खुलासा करेंगे लेकिन अब उन्होंने नरम रवैया अपनाया। उन्होंने कहा- शोएब भाई ने जो कहा, उन्होंने उसे सुना होगा या किसी ने उन्हें बताया होगा लेकिन मैंने शीर्ष स्तर पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है और मुझे उस पर गर्व है। जब मैं क्रिकेट में आया तो मैं शुरू से ही शीर्ष स्तर पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना चाहता था और मैंने ऐसा किया।

अपने करिअर में 61 टैस्ट खेलने वाले इस लेग स्पिनर ने स्पष्ट किया कि पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने हमेशा उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा- इंजमाम ने मुझे मैच विजेता कहा था। मैं कह सकता हूं कि कई संस्थानों ने मेरे करिअर को संवारने में मेरी मदद की। मैंने इंजमाम को सही साबित करने के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सच्चाई यह है कि मुझे पाकिस्तानी होने पर गर्व है।

कनेरिया से जब उन खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए कहा गया जिन्होंने उन्हें निशाना बनाया, तो उन्होंने कहा कि वे अपने यूट्यूब चैनल पर बाद में इन नामों का खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि उसके लिए यह सही वक्त नहीं है। मैं अपने चैनल पर इस संबंध में बात करूंगा। कनेरिया से उस घटना के बारे में बताने के लिए कहा गया जब खिलाड़ियों ने उनके साथ खाने से इनकार कर दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि है और कुछ खिलाड़ियों के व्यवहार के कारण किसी को इस मसले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इसे गलत दिशा नहीं दें।

छह दशक के निचले स्तर पर आ सकती है ऋण वृद्धि दर

पेज 1 का बाकी

आर्थिक वृद्धि दर, परिचालन के लिए पूंजी की कम जरूरत तथा बैंकों व वित्तीय संस्थानों के बीच जोखिम को लेकर बढ़ी सतर्कता के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में ऋण वितरण की वृद्धि दर प्रभावित हो सकती है।' रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में छह दिसंबर तक ऋण वितरण में महज 80 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2018-19 और 2017-18 के दौरान समान अवधि में इसमें क्रमशः 5.4 लाख करोड़ रुपए और 1.7 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी।

इक्रा ने कहा कि इस वित्त वर्ष में सितंबर महीने तक 37 बैंकों का वितरित ऋण सालाना आधार पर 7.9 फीसद की दर से बढ़ा है। इसमें सरकारी बैंकों की वृद्धि दर महज 4.4 फीसद जबकि निजी बैंकों की 15 फीसद रही है। एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज का बड़ा हिस्सा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हिस्से गया। चालू वित्त वर्ष में एनबीएफसी में कायम संकट के कारण बैंकों के पास पूंजी की उपलब्धता प्रभावित हुई है, जिसका असर अंततः ऋण वितरण पर पड़ा है।

फंदे से लटका मिला अभिनेता कुशल पंजाबी का शव

पेज 1 का बाकी

माता-पिता ने मृत पाया। वह फोन नहीं उठा रहे थे जिसके बाद उनके माता-पिता उनके घर पहुंचे। उन्होंने डेढ़ पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा है।' अधिकारी ने बताया कि अभिनेता ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उनकी संपत्ति उनके माता-पिता, बेटे और बहनों के बीच बांट दी जाए। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक सूचना के आधार पर दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की गई है।

कुशल की मौत के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद जैसे मुद्दे फिर सतह पर आ गए। टीवी अभिनेता चेतन हंसराज ने बताया कि कुशल और उनकी पत्नी अलग रह रहे थे। उन्होंने कहा, 'इस वक्त मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वे अलग तो नहीं हुए थे लेकिन अलग होने वाले थे। वह यहां रहते थे और उनकी पत्नी बेटे के साथ विदेश में रहती थी। यह मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था। वह अवसाद में थे।' पंजाबी के करीबी दोस्त करणवीर बोहरा ने उनके निधन की जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें कुशल की कमी बहुत खलेगी। गायक बाबा सहगल और अभिनेता करण पटेल ने भी कुशल के निधन पर शोक जताया।

कुशल ने एक नर्तक और मॉडल के रूप में करियर शुरू किया था। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया। फरहान अख्तर की फिल्म 'लक्ष्य' में वह प्रिटी जिंटा के मंगेतर की भूमिका में थे। उन्होंने अनेक धारावाहिकों और फिल्मों में काम किया है।

कड़ी सुरक्षा के बीच बना रहा अमन चैन

पेज 1 का बाकी

व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। पिछले सप्ताह विभिन्न जिलों में हिंसा भड़क गई थी। इसके मद्देनजर राज्य में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया। संवेदनशील इलाकों में अर्द्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए थे। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के मुताबिक, पूरे प्रदेश में शांति रही। प्रदेश के किसी भी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की गईं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, ताकि अफवाहें न फैलें।

डीजीपी ने बताया कि शांति व्ययवस्था बनाए रखने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के लगभग 3500 जवान और पीएसी के 12 हजार जवान तैनात किए गए थे। एहतियातन गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और आगरा सहित 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। मुरादाबाद, अमरोहा और हाथरस जिलों से मिली खबरों के मुताबिक विभिन्न मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पुराने लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद के बाहर अर्द्धसैनिक बलों के जवान भारी संख्या में तैनात थे। सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। संवेदनशील जगहों पर लगातार गश्त की जा रही थी।

हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अलग-अलग जिलों में 372 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि हिंसा में 288 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 61 गोली लगने से जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि 327 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं जबकि 5558 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सबसे अधिक 200 नोटिस मुरादाबाद में दिए गए। लखनऊ में 100, गोरखपुर में 34 और फिरोजाबाद में 29 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। प्रदेश भर में 1113 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उधर, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वोत्तर, मुंबई समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कानून के पक्ष-विपक्ष में जुलूस और प्रदर्शन जारी हैं। शुक्रवार को देश भर में कहीं से किसी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं मिली। बंगाल में कांग्रेस-वाममोर्चा ने मिलकर विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस ने अलग से जुलूस निकाले। मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में शुक्रवार को हुई रैली में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। पिछले हफ्ते इस कानून के खिलाफ इसी मैदान पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ था। भाजपा के संविधान सम्मान मंच द्वारा आयोजित रैली में सीएए के समर्थन में काफी संख्या में इस कानून के समर्थक तिरंगा झंडा लिए दिखे।

145 दिन बाद करगिल में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल

पेज 1 का बाकी

इंटरनेट सेवा निलंबित थी। उन्होंने बताया कि बीते चार महीने में कोई अप्रिय घटना यहां नहीं घटी है और हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। इसे देखते हुए सेवाएं बहाल की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय धार्मिक नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे इस सुविधा का गलत फायदा न उठाएं।यहां ब्रॉडबैंड सुविधा पहले से चल रही थी।

पीएसए : हिरासत में लेने के तीन आदेश खारिज

पेज 1 का बाकी

कुमार ने सरकार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आदेश रद्द कर दिए। अदालत से राहत पाए व्यक्तियों में बारामुला जिले के पट्टन क्षेत्र के पीडीपी के युवा अध्यक्ष जावेद अहमद परे शामिल हैं। अन्य दो व्यक्ति सोपोर के निवासी इम्तियाज हुसैन मीर और इरशाद अहमद हैं।

दोनों को आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

फिलहाल राहत नहीं, अभी और बढ़ेगा सर्दी का सितम

पेज 1 का बाकी

सेल्सियस नीचे लुढ़क गया। विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्से में 31 दिसंबर से दो जनवरी के बीच बारिश होने और छिटपुट स्थानों पर ओले पड़ने की संभावना है।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिसंबर में औसत अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम 1919, 1929, 1961 और 1997 में रहा है। इस साल दिसंबर माह में गुरुवार तक औसत अधिकतम तापमान 19.85 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके 31 दिसंबर तक 19.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की संभावना है। यह 1901 के बाद दूसरा सबसे सर्द दिसंबर होगा। दिसंबर 1997 में औसत अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में लगातार 14वें दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इससे पहले 1997 में ऐसा हुआ था जब ऐसे ही लगातार 13 दिन कड़ाके की सर्दी पड़ी थी। वर्ष 1992 के बाद दिल्ली में कड़ाके की ठंड केवल 1997, 1998, 2003 और 2014 में पड़ी थी। अगले सप्ताह हवा की दिशा में बदलाव के कारण राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार एक 'शीत दिवस' तब होता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री कम हो और 'गंभीर शीत दिवस' तब होता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है।

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम रहा। यहां सफदरजंग में पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। हवा में नमी का स्तर 86 फीसद रहा। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से नौ डिग्री कम है। सफदरजंग में यह क्रमशः 4.2 और 14.4 रहा। दिल्ली में आयानगर सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3.6 दर्ज किया गया जो सामान्य से चार डिग्री कम रहा। ठंड बढ़ने से वायु गुणवत्ता भी बेहद खराब बनी रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 दर्ज किया गया जो 'बहुत खराब' दर्जे में आता है।

राजस्थान के जयपुर, सीकर सहित अधिकतर हिस्सों में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ शेखावटी अंचल के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सीकर और पिलानी में जमाव बिंदु से नीचे शून्य से आठ व चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

फतेहपुर मौसम केंद्र ने बताया कि शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान शून्य से तीन डिग्री नीचे दर्ज किया गया। बाजार सूने पड़े है लोग भी घरों में कैद हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। चुरू में तापमान शून्य से छह डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। श्रीगंगानगर में तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 3.2 डिग्री, अजमेर-जयपुर में चार-चार डिग्री जोधपुर में 4.4 डिग्री, कोटा-ऐरनपुरा में 4.6-4.6 डिग्री, सवाई माधोपुर में 5.2 डिग्री, बीकानेर में 5.8 डिग्री, बाड़मेर में 7.8 डिग्री और जैसलमेर में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पिलानी, वनस्थली, श्रीगंगानगर और अलवर में घना कोहरा छाया रहा जिसके कारण सड़क व रेल यातायात पर भी असर पड़ा। यहां दृश्यता 50 मीटर से नीचे दर्ज की गई। इलाके में ठंड और बढ़ेगी जिससे फसल खराब होने की आशंका है।

हरियाणा के मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हिसार में पिछली रात मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जब न्यूनतम तापमान छह डिग्री नीचे गिर गया। राज्य के सिरसा (दो डिग्री सेल्सियस), नारनौल (तीन डिग्री), रोहतक (3.2 डिग्री) और भिवानी (चार डिग्री) में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम हो गया। अंबाला (5.5 डिग्री) और करनाल (सात डिग्री) में भी रात बेहद ठंड रही। वहीं पंजाब के बठिंडा में सबसे कम 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

श्रीनगर नगर निगम के पूर्व उपमहापौर हिरासत में

पेज 1 का बाकी

रूप से हेरफेर करने के सिलसिले में एसीबी ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। एसीबी के एक प्रवक्ता ने कहा, 'एसीबी की जांच में खुलासा हुआ कि सीए केंद्र स्थापित करने संबंधी कर्ज के बड़े हिस्से का हेरफेर किया गया। बैंक जालसाजी के और विवरण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। शेख इमरान को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

चार पाक रेंजर ढेर, तीन चौकियां तबाह

पेज 1 का बाकी

की हर कोशिश नाकाम की जा रही है।

इससे पहले गुरुवार को दो पाकिस्तानी रेंजर्स भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे। बुधवार को पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई में एक भारतीय जेसीओ शहीद हो गए थे। उसके बाद से उस पार से संघर्षविराम उल्लंघन तेज हो गया है। भारतीय जवानों ने 48 घंटे से भी कम समय में जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कुल छह जवानों को अब तक ढेर कर दिया है।

कृष्णा घाटी सेक्टर के बलनोई और मनकोट में गोलाबारी की। पाकिस्तानी सैनिकों ने लगातार तीन दिन एलओसी पर उड़ी और पुंछ-राजौरी में संघर्ष विराम उल्लंघन करते हुए स्नाइपर राइफलें दागीं और मोर्टार के गोले दागे। शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के साथ ही सिलिकूट, चुरंडा और आस-पास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोले दागे गए। सेना ने भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी कार्रवाई में पाकिस्तान के चार सैनिक मारे गए।

भारत की ओर से दागे गए मोर्टार और भारी गोलाबारी में पाकिस्तानी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। बुधवार को भारतीय सेना के जेसीओ के शहीद होने के बाद भारतीय सेना ने कड़ी चेतावनी दी थी। फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और संघर्षविराम उल्लंघन जारी रहा। पाकिस्तानी सेना ने बारामुला जिले के कई सेक्टरों में कई नागरिक और रक्षा ठिकानों को हल्के हथियारों से भी निशाना बनाया है।

तोपों से हुई गोलाबारी के कारण नियंत्रण रेखा के इस पार भीतरी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। नियंत्रण रेखा के पास वाले गांवों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। सैन्य प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को निचले इलाकों में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए वाहन व एंबुलेंस तैयार रखे गए हैं।

पाकिस्तानी सेना उड़ी सेक्टर के सिलिकूट, हथलंगा, मोथल, सोवरा, बालकोट, चुरंडा और आस-पास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी कर रही है। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी, मनकोट, शाहपुर, कस्बा और किरनी में मोर्टार से गोलाबारी की। बीते रविवार को भी नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था।

21 और 22 दिसंबर की रात भी पाकिस्तानी सेना ने मेंढर, कृष्णा घाटी और पुंछ में गोलाबारी की थी। इसके जवाब में भारतीय सेना के जवानों ने तंगडार सेक्टर के नीलम घाटी में पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेड मुख्यालय और एसएसजी यूनिट मुख्यालय में भारी तबाही मचाई। इसके बाद पाकिस्तानी सेना पिछले मंगलवार की रात तक पूरी तरह शांत रही। लेकिन बुधवार से एलओसी पार से नए सिरे से हिमाकत की जा रही है।

www.readwhere.com

कजाखस्तान विमान हादसे में 12 लोगों की मौत, 66 अन्य घायल

अल्माती, 27 दिसंबर (एपी)।

कजाखस्तान के अल्माती अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और कम से कम 66 अन्य घायल हुए हैं। इनमें से 50 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल्माती के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। विमान में 98 लोग सवार थे।

उड़ान भरने के तुरंत बाद बेक एयर का विमान कंक्रीट के बाड़े और दो मंजिला भवन से टकरा गया था। हवाईअड्डे के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 7 बजकर 22 मिनट पर विमान ने अपना संतुलन खो दिया। अल्माती हवाईअड्डे ने अपने फेसबुक पन्ने पर एक बयान में कहा कि कोई आग नहीं लगी थी। हादसे के तुरंत बाद राहत कार्य शुरू हो गया। विमान नूर-सुल्तान जा रहा था। बर्फ से ढके दुर्घटना स्थल पर करीब 1,000 लोग राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अल्माती में फिलहाल मौसम साफ है और तापमान शून्य से कुछ ही नीचे है, जो इस मौसम के लिहाज से सामान्य है।

बांग्लादेश के अल्संख्यकों ने सीएए को बताया मानवतावादी कानून

वाशिंगटन, 27 दिसंबर (भाषा)।

बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों और संगठनों के एक समूह ने संशोधित नागरिकता कानून को मानवीय बताते हुए कहा है कि इस कानून के माध्यम से भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लाखों गैर-मुसलमानों के प्रति अपने कर्तव्य को आंशिक रूप से पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इन गैर-मुसलमानों को हाल के वर्षों में अपना देश छोड़ना पड़ा है और वे अपने अधिकारों के लिए दावा भी नहीं कर सकते।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–II

एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, फोन नं. 28752163, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना

शाखा के प्राधिकृत अधिकारी का विवरण पता

नामः श्री एस.के. कोहली | ईमेल : kohli.satish@sbi.co.in | मो. नं.: 8527117373 | शाखा का फोन नं. 011-28753163

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक के प्रभारित चल / अचल आस्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति(यों) का कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है, कि बैंक के बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित सम्पत्ति / यों की ई–नीलामी **"जैसा है जहां है आधार और जैसा है जो कुछ भी है"** आधार पर की जाएगी।

ई–नीलामी की तिथि व समय दो घंटे (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) 29-01-2020 दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाईटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी	धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10%	बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	मैसर्स डीजीएस इलैक्ट्रॉनिक्स् वर्ल्ड	₹ 1,58,89,369.72 दिनांक 01.07.2017 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	भूतल पर दुकान नं. 1–2, एसआरडी कृष्णा टॉवर, चिम्नीभाई धर्मशाला / डीएवी कॉलेज रोड, प्लॉट नं. 3ए / 157 पर, ब्लॉक–ए, एनएच–3, एन आई टी, फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल (22.30 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति मंजू देवी पत्नी के पी सिंह और के पी सिंह पुत्र श्री हरि सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 21.12 लाख	₹ 2.12 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एस. के. कोहली मो. 8527117373
			भूतल पर दुकान नं. 17, एसआरडी कृष्णा टॉवर, चिम्नीभाई धर्मशाला / डीएवी कॉलेज रोड, प्लॉट नं. 3ए / 157 पर, ब्लॉक–ए, एनएच–3, एन आई टी, फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल (37.16 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति मंजू देवी पत्नी के पी सिंह और के पी सिंह पुत्र श्री हरि सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 19.89 लाख	₹ 1.99 लाख	₹ 0.10 लाख	
			बेसमेंट पर दुकान नं. 19(बी), एसआरडी कृष्णा टॉवर, चिम्नीभाई धर्मशाला / डीएवी कॉलेज रोड, प्लॉट नं. 3ए / 157 पर, ब्लॉक–ए, एन एच–3, एन आई टी, फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल 29.72 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती मंजू देवी पत्नी के पी सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 15.18 लाख	₹ 1.52 लाख	₹ 0.10 लाख	
2	मैसर्स कृष्णा टेक्सटाईल्स्	₹ 37,79,215.00 दिनांक 20.10.2005 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	1. भूमि से जुड़े दो टॉयलेट, खसरा नं. 426 / 1 में से, जोकि मोहल्ला मण्डी चमड़ा सरधना जिला मेरठ, क्षेत्रफल 284.24 वर्ग मी., टाईटल डीड उपलब्ध नहीं है।, (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 8.93 लाख	₹ 0.90 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री एस. के. कोहली मो. 8527117373
			2. प्लॉट भूमि खसरा नं. 426 / 1, जोकि मोहल्ला मण्डी चमड़ा सरधना जिला मेरठ में स्थित, क्षेत्रफल 800 वर्ग मी., टाईटल डीड उपलब्ध नहीं है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 26.99 लाख	₹ 2.70 लाख	₹ 0.10 लाख	
3	श्री मित्रा पाल गारंटर - श्री ललित कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह	₹ 17,04,410.00 दिनांक 20.11.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. 40ए, भूतल, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 117.05 वर्ग मी., जोकि गोविंद पुरम, रैसीडेन्सी गाँव डासना, खसरा नं. 19, गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री मित्रा पाल सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 14.45 लाख	₹ 1.45 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री नरेश कुमार मो. 9999409002
4	श्री नरेन्द्र पाल	₹ 20,69,262.77 दिनांक 02.06.2017 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. 44सी, द्वितीय तल, छत के अधिकार सहित, खसरा नं. 19 और 22, गोविन्दपुरम रैजीडेन्सी ब्लॉक–16, न्यू शताब्दी नगर, गाँव डासना, गाजियाबाद में स्थित, (क्षेत्रफल 117.05 वर्ग मी.), यह सम्पत्ति नरेन्द्र पाल के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 15.00 लाख	₹ 1.50 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री नरेश कुमार मो. 9999409002
5	राज कुमार रुहेला	₹ 20,63,787.00 दिनांक 27.06.2014 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	एमआईजी प्रथम तल, फ्लैट नं. एफ–2, प्लॉट नं. 159ए, तुराब नगर, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 753.55 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री राज कुमार रुहेला पुत्र श्री राम चन्द्रा रुहेला के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 14.00 लाख	₹ 1.40 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री नरेश कुमार मो. 9999409002
6	श्री अरूण जैन	₹ 42,84,287.39 दिनांक 17.11.2015 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फ्लैट नं. ई–232, द्वितीय तल स्वर्णजयंती पुरम, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 160 वर्ग मी., बिना छत के अधिकार के, यह सम्पत्ति श्री अरूण जैन के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 37.95 लाख	₹ 3.80 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री नरेश कुमार मो. 9999409002
7	मैसर्स मोहन ट्रेडर्स गारंटर : श्रीमती सुशीला देवी	₹ 243.35 लाख दिनांक 31.12.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	250 वर्ग गज, रिहायशी प्लॉट जोकि प्लॉट नं. 2374–टी–21 के पीछे, खसरा नं. 271 / 284 में से, गाँव–पाना मामुरपुर, राज शाही रोड, बवाना रोड, नरेला, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री राम कुमार के नाम पर है। (खुला प्लॉट)	₹ 74.00 लाख	₹ 7.40 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
8	मैसर्स सी एयर कंसोलिडेटर्स प्रा. लि. गारंटर: 1. श्री जय पाल सिंह 2. श्री विशाल सेठी 3. श्री स्वतंत्र कुमार सिंह 4. श्री सुशील कुमार सिंह	₹ 477.37 लाख दिनांक 31.12.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	लीज होल्ड व्यवसायिक ऑफिस नं. 304, तीसरा तल, बिना छत के अधिकार के, म्युनिसीपल नं. 5041, खसरा नं. 80 / 31, 6–फैज बाजार, प्रकाश चैम्बर, 06–नेताजी सुभाष मार्ग, वार्ड नं. 9, दरियागंज, दिल्ली–02 में स्थित, क्षेत्रफल 43.47 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री स्वतंत्र कुमार सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 22.95 लाख	₹ 2.30 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
9	श्री योगेश कुमार शर्मा और श्री अवनीश कुमार शर्मा	₹ 27,14,681.00 दिनांक 14.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	प्लॉट नं. 159ए, फ्लैट नं. 3, प्रथम तल, तुराब नगर, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 70 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री योगेश कुमार शर्मा और श्री अवनीश कुमार शर्मा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 16.43 लाख	₹ 1.64 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
10	श्रीमती आशा गोयल पत्नी श्री दिनेश कुमार गोयल, गारंटरः दिनेश कुमार गोयल	₹ 13,21,269.00 दिनांक 15.10.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 175, खसरा नं. 199 में से, पुराना लाल डोरा आबदी मेन बाजार गांव, बवाना दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती आशा गोयल के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 18.51 लाख	₹ 1.85 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
11	पंकज कुमार गारंटर: श्री मनोज भाटी	₹ 14,16,809.25 दिनांक 24.04.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	तृतीय तल पर फ्लैट नं. 425–डी, राम नगर मोह. ईस्माईल खान @ तुराब नगर, गाजियाबाद में स्थित, छत के अधिकार सहित, क्षेत्रफल 30.75 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दास के नाम पर है (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 8.01 लाख	₹ 0.80 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
12	मैसर्स भारद्वाज मेटल उद्योग गारंटर: 1. श्रीमती विजय भारद्वाज 2. श्रीमती सुनीता देवी 3. श्री त्रिलोक चंद भारद्वाज	₹ 4,35,69,000/- दिनांक 20.12.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	1. मकान नं. 1सी / 123, एनएच–1, एनआईटी फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 181 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती भारद्वाज पत्नी त्रिलोक चंद भारद्वाज और श्रीमती ममता भारद्वाज पत्नी उदय चंद के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 85.29 लाख	₹ 8.53 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
			2. दुकान नं. ई–109, (ई–292), एमसीएफ नं. 5738, गली नं. 26, संजय कॉलोनी, सैक्टर–23 एनआईटी, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 30 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री त्रिलोक चंद भारद्वाज के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 12.94 लाख	₹ 1.29 लाख	₹ 0.10 लाख	
			3. दुकान नं. सी–23ए, प्रथम तल, नेहरू ग्राउंड, एनआईटी फरीदाबाद, क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री विजय भारद्वाज पत्नी श्री त्रिलोक चंद भारद्वाज और श्रीमती ममता भारद्वाज पत्नी श्री उदय चंद के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 19.93 लाख	₹ 1.99 लाख	₹ 0.10 लाख	
			4. दुकान नं. सी–23ए, भूतल, नेहरू ग्राउंड, एनआईटी फरीदाबाद, क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री विजय भारद्वाज पत्नी श्री त्रिलोक चंद भारद्वाज और श्रीमती ममता भारद्वाज पत्नी श्री उदय चंद के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 48.57 लाख	₹ 4.86 लाख	₹ 0.10 लाख	
			5. मकान नं. 261, प्रेम नगर, मोहन रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 120 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती सुनिता देवी पत्नी श्री योगेन्द कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 50.45 लाख	₹ 5.05 लाख	₹ 0.10 लाख	
13	श्री शिथिन साइरिक वर्गीज पुत्र साइरिएक वी कुरियन गारंटर : नंद किशोर गौड़ा	₹ 16,26,000.00 दिनांक 31.10.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. 14–सी, खसरा नं. 19 और 22, द्वितीय तल, गोविन्दपुरम, रैसीडेन्सी गाँव डासना, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 84.91 वर्ग मी., यह सम्पत्ति **श्री शिथिन साइरिक वर्गीज के नाम पर है।** (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 13.76 लाख	₹ 1.38 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
14	श्री सुखविन्दर सिंह	₹ 38,36,777.04 दिनांक 18.06.2016 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	सम्पत्ति क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी., 39 / 3सी–34, उमेश विहार, टीपी नगर, गाँव हाजिफाबाद, मेवला, मेरठ में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुखविन्दर सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 25.35 लाख	₹ 2.54 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
15	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 40,60,112.00 दिनांक 19.08.2016 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. जी–1, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–I, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 41.805 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 15.80 लाख	₹ 1.58 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
16	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 40,60,112.00 दिनांक 19.08.2016 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एफ–2, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–I, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 41.805 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 15.39 लाख	₹ 1.54 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
17	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 40,60,112.00 दिनांक 19.08.2016 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एफ–3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–I, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 41.805 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 15.39 लाख	₹ 1.54 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
18	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 40,60,112.00 दिनांक 19.08.2016 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एस–2, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–I, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 32.51 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 11.66 लाख	₹ 1.17 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
19	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 40,60,112.00 दिनांक 19.08.2016 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एस–3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–I, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 32.51 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 11.66 लाख	₹ 1.17 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
20	मैसर्स आर एस बी इंडस्ट्रीज, गारंटरः 1. अनूप कुमार गुप्ता 2. मुकेश कुमार गुप्ता 3. विजय कुमार गुप्ता 4. मुनिश कुमार गुप्ता 5. ममता गर्ग 6. कुसुम रानी	₹ 8.95 करोड़ दिनांक 12.10.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फैक्ट्री भूमि एवं भवन, खसरा नं. 24 / 2, 025 मल्कश्री, गाँव कुदारी, तहसील बरेली, जिला रॉयसेन–एमपी, क्षेत्रफल 8.35 एकड़, या 3.384 हैक्ट., यह सम्पत्ति श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र सतपाल गुप्ता के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 82.50 लाख	₹ 8.25 लाख	₹ 1.00 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
21	श्री गजेन्द्र डागर और श्रीमती वसुंधरा डागर	₹ 70,96,544.00 दिनांक 14.11.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 1575, सैक्टर 7–ई, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री गजेन्द्र डागर और श्रीमती वसुंधरा डागर के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 249.62 लाख	₹ 25.00 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
22	श्री मनुद्दीन पुत्र श्री बादल खान गारंटरः श्री हरचरण सिंह	₹ 11,78,490.00 दिनांक 19.01.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	तृतीय तल पर फ्लैट नं. 402, बिना छत के अधिकार, प्लॉट नं. 232 / 71 पर निर्मित, खसरा नं. 20एम का भाग, गाँव मेहमारापी बनाम कोट गाँव, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, (क्षेत्रफल 65.03 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्री मनुद्दीन पुत्र श्री बादल खान के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 10.86 लाख	₹ 1.09 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
23	मैसर्स माया देवी शिक्षा समिति, गारंटरः 1. अनूप कुमार 2. राजीव शर्मा, 3. वंदना	₹ 28.75 लाख दिनांक 28.06.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी मकान मोहल्ला दयानंद नगर, बुढाना रोड, शामली (यू.पी) में स्थित, क्षेत्रफल 217.94 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती वंदना पत्नी श्री अरूण कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 37.83 लाख	₹ 3.79 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
24	श्री विरेन्द्र ठाकुर और श्री शैफाली ठाकुर	₹ 81,57,121.00 दिनांक 01.12.2015 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	सम्पत्ति मकान नं. एल–42, सैक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल प्लॉट एरिया 107.50 वर्ग मी. और कुल कवर्ड क्षेत्रफल 307.50 वर्ग मी. भूतल, प्रथम और द्वितीय तल का, यह सम्पत्ति श्री विरेन्द्र ठाकुर के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 79.50 लाख	₹ 7.95 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
25	सुश्री शालिनी शर्मा पत्नी श्री हेमंत कुमार सोनी गारंटरः सुनील कुमार पुत्र राजमल सिंह	₹ 15.45 Lacs दिनांक 30.06.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. 1बी, प्रथम तल, प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 26, एम आई शताब्दीपुरम गोविन्दपुरम, डासना, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 69.67 वर्ग मी., बिना छत के अधिकार के, यह सम्पत्ति सुश्री शालिनी शर्मा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 12.00 लाख	₹ 1.20 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
26	मैसर्स एरेन्स गोल्ड सूक इंटरनेशनल लि.	₹ 4,66,66,644.00 दिनांक 01.04.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	दुकान नं. एफएफ–09, प्रथम तल, गोल्ड सूक मॉल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक–सी, सुशांत लोक, फेज–1, सैक्टर–43, गुड़गाँव में स्थित, सुपर निर्मित क्षेत्रफल 1248 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति **मैसर्स एरेन्स गोल्ड सूक इंटरनेशनल लि.** के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 193.00 लाख	₹ 19.30 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
27	मैसर्स एरेन्स गोल्ड सूक इंटरनेशनल लि.	₹ 4,66,66,644.00 दिनांक 01.04.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	दुकान नं. एसएफ–14, द्वितीय तल, गोल्ड सूक मॉल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक–सी, सुशांत लोक, फेज–1, सैक्टर–43, गुड़गाँव में स्थित, सुपर निर्मित क्षेत्रफल 1412 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति **मैसर्स एरेन्स गोल्ड सूक इंटरनेशनल लि.** के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 156.00 लाख	₹ 15.60 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
28	मैसर्स एरेन्स गोल्ड सूक इंटरनेशनल लि.	₹ 4,66,66,644.00 दिनांक 01.04.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	दुकान नं. जीएफ–02, भूतल, गोल्ड सूक मॉल कॉम्पलैक्स, ब्लॉक–सी, सुशांत लोक, फेज–1, सैक्टर–43, गुड़गाँव में स्थित, सुपर निर्मित क्षेत्रफल 942 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति **मैसर्स एरेन्स गोल्ड सूक इंटरनेशनल लि.** के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 175.00 लाख	₹ 17.50 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
29	मैसर्स एरेन्स गोल्ड सूक इंटरनेशनल लि.	₹ 4,66,66,644.00 दिनांक 01.04.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	दुकान नं. टीएफ–03, तृतीय तल, गोल्ड सूक मॉल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक–सी, सुशांत लोक, फेज–1, सैक्टर–43, गुड़गाँव में स्थित, सुपर निर्मित क्षेत्रफल 665 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति **मैसर्स एरेन्स गोल्ड सूक इंटरनेशनल लि.** के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 60.00 लाख	₹ 6.00 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
30	श्री दिनेश कुमार वर्मा	₹ 13,25,407.00 दिनांक 21.09.2017 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. एफ–72 / 1, प्रथम तल, प्लॉट नं. 72, खसरा नं. 314, सरस्वती लोक कॉलोनी एक्सटेंशन, दिल्ली रोड मेरठ में स्थित, (कवर्ड क्षेत्रफल 753.48 वर्ग फीट), यह सम्पत्ति दिनेश कुमार वर्मा और नविता वर्मा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 13.77 लाख	₹ 1.38 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
31	श्री कपिल मनचंदा	₹ 30,18,153.00 दिनांक 03.07.2017 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. ए–286, सैक्टर–2, वॉटर टैंक के पास, शताब्दी नगर मेरठ में स्थित, क्षेत्रफल 300 वर्ग मी., यह सम्पत्ति कपिल मनचंदा और श्रीमती निधि मनचंदा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 29.75 लाख	₹ 2.98 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
32	श्री मंगखोथांग हाओकिप	₹ 20,50,952.00 दिनांक 03.11.2017 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट डीडीए एलआईजी 694, तृतीय तल, पॉकेट – ए, ब्लॉक – सी, लोक नायक पुरम, बक्करवाला, नई दिल्ली–110041 में स्थित क्षेत्रफल 452 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति **मंगखोथांग हाओकिप** के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 12.00 लाख	₹ 1.20 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
33	मैसर्स एम आर के इंटरप्राईजेज़	₹ 30,03,679.00 दिनांक 23.11.2017 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	व्यावसायिक दुकान, प्लॉट नं. 13 / 25, स्कीम नं.2, टीपी नगर, मेरठ में स्थित, क्षेत्रफल 30.40 वर्ग मी., यह सम्पत्ति **निधि मनचंदा** के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 14.64 लाख	₹ 1.47 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
34	श्री प्रेम प्रकाश और कृष्णा देवी	₹ 31,54,656.00 दिनांक 26.06.2017 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. एस–1, द्वितीय तल, प्लॉट न. 630, सैक्टर–1, वसुंधरा, गाजियाबाद में स्थित, (क्षेत्रफल 56 वर्ग मी.), यह सम्पत्ति श्री प्रेम प्रकाश और कृष्णा देवी के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 30.38 लाख	₹ 3.04 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
35	मैसर्स भगवती सेल्स् कार्पोरेशन	₹ 31,25,116.00 दिनांक 15.07.2016 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	भूतल पर दुकान नं. 1, बिना छत के अधिकार के, जिसका क्षेत्रफल 8.19 वर्ग मी., निर्मित सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. **VIII/173** का भाग, गली बंदूक वाली, अजमेरी गेट, दिल्ली–110006 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री राजेश कुमार शर्मा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 18.00 लाख	₹ 1.80 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
36	श्रीमती वीना अरोड़ा और श्री प्रेम चंद्रा	₹ 49,55,553.63 दिनांक 17.11.2015 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 5ए / 5, भूतल, क्षेत्रफल 155.50 वर्ग गज, एनआईटी फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री प्रेम चंद और श्रीमती वीना अरोड़ा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 41.65 लाख	₹ 4.17 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
37	मैसर्स साई बिल्डकॉन गारंटर श्री प्रवीन कुमार सरीन	₹ 26,77,064.00 दिनांक 06.09.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	अर्ध निर्मित मकान प्लॉट नं. 21, क्षेत्रफल 429.21 वर्ग मी., खसरा नं. 314, रेवेन्यू कनौरा परगना दरौला, तहसील सरधाना जिला मेरठ में स्थित, यह सम्पत्ति श्री प्रवीन कुमार सरीन के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 18.32 लाख	₹ 1.84 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
38	श्री जयदीप सैन और श्रीमती पल्लवी सैन	₹ 25,11,900.00 दिनांक 26.06.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फ्लैट नं. डी–103, प्रथम तल, प्रतीक लॉरेल, प्लॉट नं. जीएच–01, सैक्टर–120 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी में स्थित, सुपर क्षेत्रफल 195 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री जयदीप सैन और श्रीमती पल्लवी सैन के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 77.58 लाख	₹ 7.76 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
39	मैसर्स अमन ट्रेडर्स	₹ 10,04,921.00 दिनांक 24.05.2011 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 725 (पूर्वी हिस्सा) मोहल्ला नई बस्ती किशन पाल वाली गली, फिरोजाबाद (यू.पी.) में स्थित, क्षेत्रफल 100.21 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती नसीफा बेगम पत्नी नाबी आलम खान के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 12.39 लाख	₹ 1.24 लाख	₹ 0.10 लाख	श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285

भागीदारी हेतु अनुरोध पत्र / केवाईसी / ईएमडी के प्रमाण आदि की प्रस्तुति की तिथि व समय 27.01.2020 को अप. 4.00 बजे तक या उससे पहले
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 23.01.2020 को अर्पा. 04.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया भारतीय स्टेट बैंक के सिक्योर क्रेडिटर्स की वेबसाइट **www.sbi.co.in** पर दिए गए लिंक को देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 28.12.2019, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–II, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)

www.readwhere.com

गिरावट का सिलसिला थमा, सूचकांक 411 अंक चढ़ा

मुंबई, 27 दिसंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में पिछले तीन कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को थम गया। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बैंकिंग, ऊर्जा और वाहन कंपनियों के शेयरों में लिवाली चलने से सेंसेक्स 411 अंक की छलांग लगा गया।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 411.38 अंक यानी एक फीसद की बढ़त के साथ 41,575.14 अंक पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 41,611.27 अंक तक चला गया था। इसी तरह एनएसइ का निफ्टी 119.25 अंक यानी 0.98 फीसद बढ़त के साथ 12,245.80 अंक पर बंद हुआ।

छुट्टियों की वजह से कम कारोबारी सत्र के सप्ताह में सेंसेक्स 106.4 अंक या 0.25 फीसद टूटा है। वहीं निफ्टी 26 अंक या 0.21 फीसद नीचे आया है।

कारोबारियों ने कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की शनिवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक होने वाली है। इसमें बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और कारोबार वृद्धि की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक से पहले बैंकिंग शेयरों में तेजी आई।

इस बैठक में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के जरिए या उसके बिना गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की वसूली पर चर्चा होगी। सूत्रों ने कहा कि बैठक में ऋण की वृद्धि बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा होगी।

सेंसेक्स की कंपनियों में एक्सिस बैंक में 3.33 फीसद की तेजी रही। पावरग्रिड, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), भारती एयरटेल, आइसीआइसीआइ बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मारुति के शेयर लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन और टीसीएस के शेयर 0.42 फीसद तक टूट गए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि लगातार गिरावट के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मदद से बाजार ऊपर गया। केंद्रीय बैंक की अगले सप्ताह एक और बांड बिक्री की घोषणा से वित्तीय कंपनियों के शेयर चढ़ गए।

एसबीआइ के एटीएम से रात में निकासी पर अब आएगा ओटीपी

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

एटीएम धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआइ ने अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाया है। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने अपने एटीएम से रात आठ बजे के बाद 10,000 रुपए से अधिक की राशि निकालने को लेकर ओटीपी (वन टाइम पासवार्ड) आधारित निकासी सेवा शुरू करने की घोषणा की है।

एसबीआइ के शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक के लिए यह सेवा एक जनवरी 2020 से लागू होगी।

पीएमसी बैंक घोटाला
आरोपियों के खिलाफ 32 हजार पन्नों का आरोप पत्र दायर

मुंबई, 27 दिसंबर (भाषा)।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने करोड़ों रुपए के पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में पांच आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को यहां मेट्रोपोलिटन अदालत में 32 हजार पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस, पूर्व चेयरमेन वरयाम सिंह, बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा के अलावा हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) के प्रमोटर राकेश वधावन और सारंग वधावन का नाम है। आरोपियों को ठगी, धोखाधड़ी, सबूत मिटाने और दस्तावेजों की जालसाजी समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया है।

सितंबर में बैंक घोटाला सामने आते ही सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। इन पांचों आरोपियों के अलावा पुलिस ने बैंक के सात अन्य अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ बाद में पूरक आरोप पत्र दायर किया जाएगा।

श्रम मंत्रालय एक जनवरी से पेंशन 'कम्युटेशन' सुविधा लागू करेगा

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी 'कम्युटेशन' की सुविधा एक जनवरी से देगा। इस कदम से 6.3 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।

इन 6.3 लाख पेंशनभोगियों ने अपनी पेंशन निकासी का विकल्प चुना था और 2009 से पहले सेवानिवृत्ति के समय उन्हें पेंशन मद में जमा राशि में से कुछ हिस्सा एक मुश्त निकालने की अनुमति मिल गई थी। ईपीएफओ ने 2009 में पेंशन मद में से निकासी के प्रावधान को वापस ले लिया था।

सूत्र ने कहा, 'श्रम मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन 'कम्युटेशन' सुविधा लागू करने के ईपीएफओ के निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर एक जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी करेगा।'

इंडियन बैंक Indian Bank
डिजिटल बैंकिंग प्रभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, नं 254-260, अवी षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014.

इंडियन बैंक, जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक है, निम्नलिखित में अभिरुचि रखता है:
1) एचपी नॉन स्टॉप सर्वर डेटाबेस में संग्रहित डेबिट कार्ड नंबरों के टोकन को लागू करना।
2) क्यूआर कोड प्रिंटर के साथ 1,000 स्व-सेवा पासबुक कियोस्क की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव।
विवरण के लिए इच्छुक पार्टियां बैंक की वेबसाइट https://www.indianbank.in/tenders का संदर्भ लें।

CORRIGENDUM

With reference to the Form G issued in accordance with Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, for the Corporate Debtor-M/s Proactive Plast Private Ltd on 27.12.2019, was inadvertently published as 'FOR THE ATTENTION OF CREDITORS OF M/S ANNIES APPAREL PRIVATE LIMTED' in place of 'FOR THE ATTENTION OF CREDITORS OF M/S PROACTIVE PLAST PRIVATE LIMITED'. Please read it accordingly. Inconvenience regratted.

Rakesh Kumar Jain
Interim Insolvency Professional
Proactive Plast Private Limited
Regd No:IBBI/IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068

प्रपत्र ख
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]

यमुना इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ
प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	यमुना इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	02.04.2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70200DL2012PTC233903
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	खसरा नंबर 432, सिरसपुर गुरुद्वारा मार्केट, बादली, दिल्ली उत्तर पश्चिम डीएल-110042, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	18.12.2019
7.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	27.12.2019 माननीय एनसीएलटी ने, 18.12.2019 के अपने आदेश को रद्द करते हुए कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही शुरू की, दिनांक 27.12.2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त आदेश की प्रति प्राप्त की गई
8.	परिसमापक का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम : रीटा गुप्ता पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00149/2017-18/10313
9.	परिसमापक का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	पता : 45-46, बेसमेंट, सत्य निकेतन, मोती बाग – II, नई दिल्ली -110021 ईमेल : ritaca_1996@yahoo.co.in
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	पता : 45-46, बेसमेंट, सत्य निकेतन, मोती बाग – II, नई दिल्ली -110021 ईमेल : lq.yipl@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	26.01.2020

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने 18 दिसम्बर, 2019 को यमुना इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापन का आदेश दिया है (27.12.2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त आदेश की प्रति प्राप्त हुई)।
यमुना इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को इसके द्वारा 26 जनवरी 2020 को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे परिसमापक के पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिस की मद संख्या 10 के सामुख उल्लेख किया गया है।
वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।
असत्य या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

हस्ता./-
रीटा गुप्ता
परिसमापक, यमुना इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक : 27.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

मांग सूचना

जबकि, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (इसमें आगे 'आर्सिल' कही गई है), जो कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित एक प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण कम्पनी है तथा प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण चार्ट की धारा 3 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है, के प्राधिकृत अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और जबकि आर्सिल नीचे वर्णित चार्ट के कालम 2 में वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का धारक है और जबकि आर्सिल ने, अधिनियम के अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) दिनांक 24/10/2019 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कालम 2 में वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उनसे सूचनाओं में वर्णित राशि उस पर आगे ब्याज के साथ सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी, परंतु विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचनाएं सुपुर्द नहीं की जा सकीं।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/सह-कर्जदार का नाम ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रु. में)/ नियत तिथि
1	श्री सत्य नारायण मीणा (उधारकर्ता) / सुश्री सुनीता मीणा (सह-उधारकर्ता) / लैन – 401DHL34411292	29,76,078.45 24 अक्टूबर 2019 तक

प्रतिभूत सम्पत्ति का पता : डीडीए फ्लैट नंबर 18, 4थी मंजिल, ब्लॉक-ई, पॉकेट-1, सेक्टर 18, रोहिणी आवासीय योजना, दिल्ली पिनकोड 110089 में स्थित बंधक संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल।

अतएव कालम नंबर 2 में वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को सूचना दी जाती है तथा कालम 3 में संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार के सामने दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान, इस सूचना के 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, क्योंकि उक्त राशि कालम नंबर 3 में दर्शित तिथि को संबंधित ऋण खातों के संबंध में देय पाई गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कुल राशि, भुगतान की तिथि तक आगे ब्याज और अन्य राशियों, जो देय हो सकती हैं, के सहित नहीं चुकाए जाने की स्थिति में आर्सिल उपरिवर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतु उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। अधिनियम और तदधीन विरचित नियमों के अधीन निर्धारित अन्य विधियों से सूचना प्रदान करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

स्थान : दिल्ली — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 28-12-2019 — असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, फोन : + 91 2266581300
शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्ड्री स्कूल, एमओबार लैन्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060, फोन : 011-46370444

फॉर्म-जी
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन)
संबंधित विवरण

1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	गुप्ता मैरिज हॉल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी की संस्थापना की तिथि	23 फरवरी, 1996
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ज/पंजीकृत है	(कंपनीज अधिनियम, 1956 के अधीन) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज-दिल्ली
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U55101DL1996PTC076553
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजी. कार्यालय: सी-7, पुष्पांजली एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, प्रधान कार्यालय- होटल सम्राट हेवन्स, गढ़ रोड, सम्राट प्लेस, विपरीत लोकप्रिय हॉस्पिटल, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉल्वेंसी शुरुआती तिथि	03 सितंबर, 2019 (आदेश 23 अक्तूबर, 2019 को अपलोड तथा प्राप्त हुआ)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	30 दिसंबर, 2019
8.	कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध है	विवरण lp.guptamarriagehalls@gmail.com पर इमेल भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	वेबसाइट www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध या lp.guptamarriagehalls@gmail.com पर इमेल भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	14 जनवरी, 2020
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	24 जनवरी, 2020
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	29 जनवरी, 2020
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	8 फरवरी, 2020
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि	29 जनवरी, 2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	विवरण lp.guptamarriagehalls@gmail.com पर इमेल भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
16.	प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28 फरवरी, 2020
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका	क्रम संख्या 21 पर दिए गए पते पर सीलबंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट या दस्ती तौर और lp.guptamarriagehalls@gmail.com पर इमेल भेजने द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में।
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना की प्रस्तुति हेतु अनुमानित तिथि	29 मार्च, 2020
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.	महेश बंसल IBBI/IPA-001/IP-P00785/2017-2018/ 11341
20.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम, पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	महेश बंसल, मै. महेश बंसल एंड एसोसिएट्स, एससीएफ-24, प्रथम तल, भदौर हाउस, लुधियाना-141008 (पंजाब) इ-मेल: emmbee.consulting@gmail.com
21.	प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	महेश बंसल, मै. महेश बंसल एंड एसोसिएट्स, एससीएफ-24, प्रथम तल, भदौर हाउस, लुधियाना-141008 (पंजाब) इ-मेल: lp.guptamarriagehalls@gmail.com
22.	आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध है	आगामी विवरण lp.guptamarriagehalls@gmail.com पर इमेल भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
23.	फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि	30 दिसंबर, 2019

सीए महेश बंसल
गुप्ता मैरिज हॉल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रस्ताव पेशेवर
IBBI/IPA-001/IP-P00785/2017-2018/ 11341
प्रस्ताव पेशेवर का पंजीकृत कार्यालय
मै. महेश बंसल एंड एसोसिएट्स,
एससीएफ-24, प्रथम तल, भदौर हाउस, लुधियाना-141008 (पंजाब)
दिनांक: 30 दिसंबर, 2019
स्थान: लुधियाना

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (क) के विषय में तथा इन्टेरोपैक प्राईवेट लिमिटेड (सिन: U74999HR2018PTC076299), जिसका पंजीकृत कार्यालय: 336, द्वितीय तल, उद्योग विहार, फेस-4, गुड़गांव, हरियाणा-122001, गुड़गांव, हरियाणा-122005 भारत में स्थित है, के विषय में – आवेदक

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" से "कर्नाटक राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 8 नवम्बर, 2019 को सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन के संशोधन की पुष्टि के लिए एक आवेदन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा **क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र बी-2, विंग द्वितीय तल पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स नई दिल्ली-110003** को इस सूचना के प्रकाशन के 14 दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक को भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को ऊपर लिखे गये पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।

कृते एवं हिते इन्टेरोपैक प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
सुनील कुमार, निदेशक
डीआईएन – 07109006
12/बी, शिवम डूप्लेक्स, हुन्डई मोटर्स के सामने, मकरपुरा रोड, वडोदरा, गुजरात-390010
तिथि : 28.12.2019
स्थान : गुड़गांव

Fullerton India फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
शाखा कार्यालय: बी-45/47, 3रा तल, पीबीआर प्लाजा के निकट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों एवं गारन्टरों जैसे श्री हितेश टंडन, श्रीमती पूजा टंडन, सुश्री कमलेश एवं मै. एच.पी. डीजायन एंड प्रिन्ट्स प्रा.लि. से फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये राशि 12.10.17 को रु. 3,22,46,129/- (रुपये तीन करोड़ बाईस लाख छियालिस हजार एक सौ उन्नतीस मात्र) एवं उक्त राशि पर ब्याज तथा अन्य चार्जेज की वसूली के लिये 3.2.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो भी वहां है आधार" पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 2,45,00,000/- (रुपये दो करोड़ पैंतालिस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 24,50,000/- (रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र) है ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 1.2.2020 है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति एच.नं. ए-28, सेक. 56, नोएडा का सभी भाग तथा हिस्सा।
बिक्री के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिये फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लि./प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट www.fullertonindia.com अर्थात में दी गई लिंक देखें।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
मो.नं.- 8826205836/9717739880
तिथि: 27.12.2019
स्थान: दिल्ली

फॉर्म-जी
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन)
संबंधित विवरण

1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	श्री अम्बिका इंटरनेशनल फूड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी की संस्थापना की तिथि	15 नवंबर, 2006
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ज/पंजीकृत है	(कंपनीज अधिनियम, 1956 के अधीन) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज-दिल्ली
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51109DL2006PTC155525
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजी. कार्यालय: 1008 डी मॉल, प्लाट नं. ए1, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर जिला केंद्र, पीतमपुरा, दिल्ली-110034/3949 बी, नया बाजार, दिल्ली-100006 कार्य स्थल नदाना रोड, तारोरी, करनाल, हरियाणा-132116
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉल्वेंसी शुरुआती तिथि	16 अक्तूबर, 2019 (आदेश 21.10.2019 को प्राप्त हुआ)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	28 दिसंबर, 2019
8.	कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध है	विवरण lp.shriambicainternational@gmail.com पर इमेल भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	वेबसाइट www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध या lp.shriambicainternational@gmail.com पर इमेल भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	12 जनवरी, 2020
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	22 जनवरी, 2020
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	27 जनवरी, 2020
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	6 फरवरी, 2020
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि	27 जनवरी, 2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	विवरण lp.shriambicainternational@gmail.com पर इमेल भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
16.	प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26 फरवरी, 2020
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका	क्रम संख्या 21 पर दिए गए पते पर सीलबंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट या दस्ती तौर और lp.shriambicainternational@gmail.com पर इमेल भेजने द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में।
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना की प्रस्तुति हेतु अनुमानित तिथि	25 मार्च, 2020
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.	महेश बंसल IBBI/IPA-001/IP-P00785/2017-2018/ 11341
20.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम, पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	महेश बंसल, मै. महेश बंसल एंड एसोसिएट्स, एससीएफ-24, प्रथम तल, भदौर हाउस, लुधियाना-141008 (पंजाब) इ-मेल: emmbee.consulting@gmail.com
21.	प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	महेश बंसल, मै. महेश बंसल एंड एसोसिएट्स, एससीएफ-24, प्रथम तल, भदौर हाउस, लुधियाना-141008 (पंजाब) इ-मेल: lp.shriambicainternational@gmail.com
22.	आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध है	आगामी विवरण lp.shriambicainternational@gmail.com पर इमेल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
23.	फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि	28 दिसंबर, 2019

सीए महेश बंसल
श्री अम्बिका इंटरनेशनल फूड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रस्ताव पेशेवर
IBBI/IPA-001/IP-P00785/2017-2018/ 11341
प्रस्ताव पेशेवर का पंजीकृत कार्यालय
मै. महेश बंसल एंड एसोसिएट्स,
एससीएफ-24, प्रथम तल, भदौर हाउस, लुधियाना-141008 (पंजाब)
दिनांक: 28 दिसंबर, 2019
स्थान: लुधियाना

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में तथा
मै. आर्क ट्रान्सलॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः बी-1/24, जी/एफ, यमुना विहार, दिल्ली-110053 में है, के मामले में .... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये 12 दिसम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिये इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

आर्क ट्रान्सलोजिस्टिक इंडिया लिमिटेड
CIN: U63011DL2010PLC353134
पंजी. कार्यालयः बी-1/24, जी/एफ, यमुना विहार, दिल्ली-110053
ईमेल आईडीः ho@arctranslogistic.in
कृते एवं के लिये, आवेदक
रमेश कुमार शर्मा
प्रबंध निदेशक (DIN-03262275)
बी-1/24, जी/एफ, यमुना विहार, दिल्ली-110053
तिथि: 23.12.2019
स्थान: दिल्ली

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Before the Office of Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, India.

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of ACTIVE WELLNESS PRIVATE LIMITED having its registered office at GREEN ACRES FARM HOUSE, KHASRA NO. 9, VILLAGE JOUNAPUR, SOUTH WEST DELHI, NEW DELHI.
.... Petitioner

Notice
Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed in the Extra Ordinary General Meeting held on 9th October, 2019 to enable the company to shift its Registered office from the "National Capital Territory of Delhi" to the "Union Territory of Chandigarh".
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, at B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below.
GREEN ACRES FARM HOUSE
KHASRA NO. 9, VILLAGE JOUNAPUR
SOUTH WEST DELHI, NEW DELHI.

For and on behalf
ACTIVE WELLNESS PRIVATE LIMITED.
Rukmini Grewal, Director
DIN: 07142901

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Canara Bank (A Govt. of India Undertaking)
प्लॉट नं. 40, वार्ड नं. 4, पटौदी रेलवे स्टेशन रोड, हैली मंडी-123504

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागत आदि के अतिरिक्त नीचे वर्णित राशि के लिये केनरा बैंक, प्लॉट नं. 40, वार्ड नं. 4, पटौदी रेलवे स्टेशन रोड, हैली मंडी-123504 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि
1. मै. एचआरएन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग	खेवत नं. 310, खतोनी नं. 348, मुस्तिल नं. 16, किल्ला नं. 15, 349/46/146, 348/47/20, मोहल्ला न्यू कॉलोनी, हरचंदपुर रोड, मारुति सुजुकी शोरूम के निकट, बाबल, हरियाणा के भाग में आवासीय सम्पत्ति का एसएमटी। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** उत्तरः एनए, दक्षिण- एनए, पूर्वः एनए, पश्चिमः एनए	रु. 20,71,405.69 (रुपये बीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ पांच तथा पैसे उन्हत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज	15.10.2019	24.12.2019
2. मै. टीएमएस एण्टरप्राईजेज	वर्ष 2010-11 के फर्द जमाबंदी के माध्यम से ग्राम जटौली, तहसील पटौदी, जिला गुड़गाँव की राजस्व सम्पदा के भीतर खेवत नं. 1957/2063, खतोनी नं. 2063, रेक्ट. नं. 77, किल्ला 12/2/5(0-16), कुल क्षेत्र 01 माप 00 कनाल 16 मरला में उसका 7/32वाँ शेयर अर्थात् 00 कनाल 3 एवं 1/2 मरला एवं खेवत नं. 1961/1834, खतोनी नं. 2067, रेक्ट. नं. 77, किल्ला नं. 19/1(1-6), कुल क्षेत्र 01 माप 01 कनाल 16 मरला में उसके 1/6वाँ शेयर अर्थात 00 कनाल 06 मरला का एसएमटी। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** उत्तरः एनए, दक्षिणः एनए, पूर्वः एनए, पश्चिमः एनए	रु. 28,62,477.00 (रुपये अट्ठाईस लाख बासठ हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज	11.9.2019	24.12.2019

तिथि: 28.12.2019, स्थान: हैली मंडी — प्राधिकृत अधिकारी: केनरा बैंक

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (उत्तर-पूर्व)-I
2142 जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093
प्रैस एनआईटी सं. 82 (2019-20)

1) कार्य का विवरणः

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	टुण्डा नगर एरिया, वार्ड नं. 52-ई, एसी-68, एलई-1 में दि.ज.बो. के निकटतम मैन हॉल से इंडिविजुअल हाउस तक हाउस सर्विस सीवर कनैक्शन्स का प्रावधान करना।	रु. 41,18,051.00	24.12.2019 2019_DJB_186447_1	9.1.2020 के 2.10 अप. में।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://delhi.govtprocurement.com पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/724 — कार्यपालक अभियंता (उत्तर पूर्व) I

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (मध्य)-I
निकट यूजीआर एवं बीपीएस, रामलीला मैदान, जेएलएन मार्ग, नई दिल्ली-110002
प्रैस एनआईटी सं. 63 (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. में)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई(मध्य)-I, एसी-21 के अंतर्गत एमसीडी स्कूल से तुर्कमान गेट तक पुराने तथा क्षतिग्रस्त 600 एमएम डाया पेरीफेरल सीवर लाइन का सुधार।	रु. 33,15,803.00	27.12.2019 6.00 बजे अप. से निविदा आई.डीः 2019_DJB_186579_2	6.1.2020 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/728 — कार्यपालक अभियंता (मध्य) I

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK
दूसरा तल, जीएमटीटी भवन
डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण की धारा 13 (2) के अधीन मांग सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणियों ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के ब्याज एवं मुख्य राशि की अदायगी करने में चूक की है तथा कथित सुविधाएं **गैर निष्पादन आस्तियों** में परिवर्तित हो गई हैं। प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण की धारा 13 (2) के अधीन सूचना पंजीकृत डाक द्वारा उनके ज्ञात पतों पर ऋणियों/गारंटरों को जारी की गई थी। तथापि, सूचना अवितरित वापस प्राप्त हुई हैं तथा प्राधिकृत अधिकारी को इस कारण पर विश्वास हो गया है कि ऋणी/गारंटर सूचना की सेवा से बच रहे हैं। इसलिए यहाँ इस हेतु सार्वजनिक सूचना द्वारा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

ऋणी/गारंटर का नाम	प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
1. **सुनील कुमार पुत्र मंगल लाल प्रोप. मेसर्स बिलवारा किराणा (किराना)** मकान नं. 15, गली नं.3, सूर्या विहार पार्ट (फेस) 3, दीक्षा पब्लिक स्कूल, सेहतपुर, अमर नगर, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन-121003. 2. **सुनीता बिलवारा पत्नी सुनील बिलवारा,** मकान नं. 15, गली नं.3, सूर्या विहार पार्ट (फेस) 3, दीक्षा पब्लिक स्कूल, सेहतपुर, अमर नगर, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन-121003 **कार्यशील पूंजी ऋण, ऋण खाता सं. 220375700000002**	भवन, स्ट्रक्चर तथा उस पर सभी सुधारों के साथ वाका मौजा अंगवानपुर, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा पर स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय प्लाट सं. अनिर्दिष्ट क्षेत्र माप 200 वर्ग गज के सभी पीस एवं पार्सल। चौहद्दी : पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः सड़क 18 फीट, उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः सड़क 15 फीट। संपत्ति सुश्री सुनीता बिलवारा अर्थात आपमें से नं.2 से संबंधित है। दिनांक 23.09.2016 को बंधक बनाने हेतु शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।	13.11.2019	07.07.2019	06.11.2019 को रु. 4,04,130/- जमा ब्याज एवं अन्य प्रभार
1. **नियाजू पुत्र सिराजुद्दीन,** बुढेरा जाहिदपुर, इस्लाम कालोनी, पीछे पीएसी, भूतल, मेरठ, उ.प्र.-250002, **पर भीः** किंग ब्रेड्स फैक्टरी, जमना नगर, गली नं.6, हौज रोड, मेरठ, उ.प्र.- 250002, पर भीः मकान नं.58, गली नं.6, जमना नगर, पीएस खरखोदा, मेरठ, उ.प्र.-250002, 2. **आशिफ पुत्र सिराजुद्दीन,** बुढेरा जाहिदपुर, इस्लाम कालोनी, पीछे पीएसी, भूतल, मेरठ, उ.प्र.- 250002, **पर भीः** मकान नं.3, अमन गार्डन कालोनी, गांव बुढेरा, जाहिदपुर, जमना नगर, मेरठ, उ.प्र.-250002, 3. **सराजुद्दीन पुत्र मुन्नी,** नया नूरगंज, मेम्बर वाली गली, मुरादनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201206, **पर भीः** मकान नं.3, अमन गार्डन कालोनी, गांव बुढेरा, जाहिदपुर, जमना नगर, मेरठ, उ.प्र.-250002, 4. **हमीदा पत्नी सराजुद्दीन,** नया नूरगंज, मेम्बर वाली गली, मुरादनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201206, **पर भीः** इन्द्रापुरी, खेकड़ा बागपत, उ.प्र. 250101 **गृह ऋण- स्वयं निर्माण (खाता सं. 222079700000018**	प्लाट सं.3 एवं 4, खसरा नं. 44बी, अमन गार्डन कालोनी, गांव बुढेरा, जाहिदपुर, तहसील एवं जिला मेरठ, उ.प्र. माप 50 वर्ग गज का आवासीय भाग। चौहद्दीः पूर्वः 38.50 फीट/अन्य का प्लाट, पश्चिमः 38.50 फीट/हाजी महबूबल्लाही का प्लाट, उत्तरः 11.68 फीट/अन्य स्वामी का प्लाट, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क। संपत्ति आपमें से नं.4 अर्थात हमीदा से संबंधित है। शीर्षक विलेख दिनांक 09.03.2016 के जमा से ज्ञापन।	11.11.2019	11.07.2019	06.11.2019 को रु. 1,34,393/- जमा ब्याज एवं अन्य प्रभार
1. **आदेश कुमार शर्मा पुत्र चन्द्र भान,** मकान नं.193, गली नं.4, टिवारा रोड, भूपेन्द्रपुरी-2, मोदीनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201204, **पर भीः** खसरा नं. 464, मोहल्ला इन्द्रपुरी, सीकरी खुर्द परगना जलालाबाद मोदीनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.- 201204, 2. **आकाश शर्मा पुत्र आदेश कुमार शर्मा,** मकान नं.193, गली नं.4, टिवारा रोड, भूपेन्द्रपुरी-2, मोदीनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201204, 3. **सुषमा शर्मा पत्नी आदेश कुमार शर्मा,** मकान नं.193, गली नं.4, टिवारा रोड, भूपेन्द्रपुरी-2, मोदीनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201204 **गृह ऋण खाता सं. 224979700000011**	भवन, स्ट्रक्चर तथा उस पर सभी सुधारों के साथ मोहल्ला इन्द्रपुरी, मोदीनगर, राजस्व गांव सीकरी खुर्द, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर एवं जिला गाजियाबाद पर स्थित खसरा सं. 464 से संबंधित, एक रिहायशी प्लाट क्षेत्र 62.71 वर्ग मीटर अथवा 75 वर्ग गज पर भूमि एवं भवन के सभी पीस एवं पार्सल। चौहद्दीः पूर्व 45 फीट प्लाट सुनीता, पश्चिमः 45 फीट प्लाट कुसुम कक्कड़, उत्तरः 15 फीट प्लाट बंटी, दक्षिणः 15 फीट/20 फीट चौड़ी सड़क। संपत्ति श्री आदेश कुमार एवं श्रीमती सुषमा शर्मा पत्नी आदेश कुमार शर्मा अर्थात आपमें से नं. 1 एवं 3 से संबंधित है। मोर्टगेज दिनांक 26.04.2016 को सृजन हेतु शीर्षक विलेखों के जमा हेतु ज्ञापन।	23.09.2019	12.07.2019	22.09.2019 को रु. 3,04,242/- जमा ब्याज एवं अन्य प्रभार

उक्त ऋणियों/गारंटरों को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि की अदायगी हेतु परामर्श दिया जाता है, जिसमें असफल होने पर प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के प्रावधानों के अनुसार इस सूचना की तिथि के 60 दिनों के पश्चात आगामी कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ऋणियों/गारंटरों को एतद्द्वारा हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी रूप में उक्त वर्णित उक्त किसी सिक्योर्ड परिसंपत्ति के साथ लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह विषय अधिनियम तथा/अथवा लागू में किसी अन्य विधि के अधीन हमारे से उपलब्ध किसी अन्य अधिकार से पूर्वाग्रह के बिना है।

दिनांक: 27.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी

www.readwhere.com

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भारतीय रेल का ट्रायल शुरू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

भारतीय रेल के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) का शनिवार को ट्रायल रन शुरू हो गया है। रेवाड़ी से मदार के बीच यह ट्रायल मालवाहक गाड़ियों के साथ शुरू किया गया है। यह कॉरिडोर करीब 306 किलोमीटर लंबा है। इस कॉरिडोर पर गाड़ियां करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। रेलवे के मुताबिक इसकी मदद से मालवाहक गाड़ियां कम होंगी और यात्री गाड़ियों के लिए रास्ता साफ होगा। कॉरिडोर की मदद से यात्री गाड़ियों की समय व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा।

डीएफसी कॉरिडोर 663 किलोमीटर का है। इस ट्रायल रन की शुरुआत किशनगढ़ स्टेशन से हुई। रेवाड़ी – मदार के बीच का 79 किलोमीटर का दायरा हरियाणा और करीब 227 किलोमीटर जयपुर क्षेत्र में आता है। इसके कॉरिडोर के दायरें में 16 बड़े ब्रिज, 270 छोटे ब्रिज, 19 मार्ग के ऊपर बने ब्रिज, 178 भूमिगत ब्रिज आते हैं। इसके अतिरिक्त डीएफसी ने मार्ग पर 9 नए

मालवाहक गाड़ियों से शुरू हुआ है ट्रायल, यात्री गाड़ियों को भी देगा राहत

स्टेशन तैयार किए हैं ताकि इस कॉरिडोर पर रेल की बाधाओं को खत्म किया जा सके। वर्तमान में इस कॉरिडोर पर रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस कॉरिडोर की मदद से दिल्ली और मुंबई में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने में मदद मिलेगी। ऊर्जा की खपत कम करने के लिए भी रेलवे इस कॉरिडोर पर अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रहा है।

इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 3918 करोड़ रुपए की राशि जमीन अधिग्रहण पर खर्च की गई है। इस कॉरिडोर के शुरू होने से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इनमें मानेसर, नारनौल, किशनगढ़ समेत अन्य क्षेत्र शामिल है। बताया जा रहा है कि डीएफसी की मदद से तैयार किए गए इस कॉरिडोर की बदौलत मालढुलाई का खर्च कम किया जा सकेगा और इसका सीधा लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को होगा। इस कॉरिडोर को 2021 तक पूरी तरीके से चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिमी कॉरिडोर पर रेवाड़ी से पालनपुर के बीच ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कॉरिडोर का कार्य तेजी से पूरा किया जा सके इसके लिए रेलवे अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहा है। इसकी मदद से प्रतिदिन तीन किलोमीटर से अधिक रफ्तार से कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है।

उत्तर भारत में इस वर्ष बाढ़ से 1900 लोगों की मौत

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर भारत में इस वर्ष बाढ़ से 1900 लोगों की मौत हो गई और 30 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि मौसम से जुड़ी इस प्रकार की घटनाएं जलवायु परिवर्तन के कारण हैं।

ब्रिटेन के एक संगठन 'क्रिस्चन एड' ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि चक्रवात फोनी जैसी भीषण मौसमी घटनाओं से 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और देश भर में एक करोड़ पेड़ उखड़ गए। रिपोर्ट के अनुसार, 'चक्रवात फोनी 20 वर्षों में भारत में आया सबसे शक्तिशाली तूफान था। यह तूफान दो से चार मई 2019 में भारत और बांग्लादेश पहुंचा। इसके असर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं।'

रिपोर्ट में कहा गया, 'मई और जून में एशिया में 28 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। चक्रवात फोनी भारत और बांग्लादेश में आया, चीन के कुछ हिस्सों में 60 साल की तुलना में अधिकतम बारिश हुई, वहीं उत्तर भारत में मजबूत मॉनसून से अनेक हिस्सों में बाढ़ आई जिसमें 1900 लोग मारे गए।' रिपोर्ट में कहा गया,'इसका एक कारण यह है कि ऐसा वातावरण जो गर्म हो वह अधिक जलवाष्प ग्रहण कर सकता है। दुनिया में अभी तक तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा है।' इसमें कहा गया है कि उत्तर भारत में आंधी-तूफान सामान्य से 50 फीसद बढ़े हैं और इसकी अवधि 80 फीसद लंबी हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'भारत में अधिक अप्रत्याशित और अत्यधिक बारिश की प्रवृत्ति उस बात को दर्शाती है जिसका पर्यावरणविदों ने अनुमान लगाया था कि अगर उत्सर्जन में गिरावट नहीं आती तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये घटनाएं होंगी। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि अगर उत्सर्जन बढ़ता रहा तो इस सदी में मानसून की बारिश अधिक अप्रत्याशित हो जाएगी, यह 50 फीसद तक बढ़ जाएगी।' रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात फोनी ने 34 लाख लोगों को विस्थापित करने के अलावा भारत और बांग्लादेश में एक करोड़ पेड़ों को नुकसान पहुंचाया।

हिमाचल में फैक्टरी में धमाका, एक की मौत

शिमला, 27 दिसंबर (जनसत्ता)।

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक फैक्टरी की भट्ठी में शुक्रवार को हुए धमाके में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के नालागढ़ क्षेत्र के नांगल गांव में स्थित सिद्धिविनायक सरिया फैक्टरी में सुबह लगभग साढ़े सात बजे यह धमाका हुआ। बद्दी के पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने बताया कि अस्पताल में एक घायल ने दम तोड़ दिया जबकि चार अन्य की हालत नाजुक है।

उन्होंने बताया कि हादसे के बाद सभी घायलों को पहले पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से उन्हें चंडीगढ़ स्थित पीजीआइ में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336, 304 ए तथा 337 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।

प्रश्नपत्र में 'क्रांतिकारी आतंकवादी' शब्द आने से छात्र नाराज

ग्वालियर, 27 दिसंबर (भाषा)।

ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की कला परास्नातक परीक्षा के एक प्रश्नपत्र में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कथित रूप से 'क्रांतिकारी आतंकवादी' शब्द के इस्तेमाल पर छात्रों और विपक्षी भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया।

राजनीतिक शास्त्र के परास्नातक पाठ्यक्रम के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में बुधवार को प्रश्नपत्र 'राजनीतिक दर्शन-3, आधुनिक भारत का राजनीतिक विचार' में सवाल पूछा गया, 'क्रांतिकारी आतंकवादियों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। चरमपंथियों और क्रांतिकारी आतंकवादियों में क्या अंतर है?' विद्यार्थियों के संगठन अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन (एआइडीएसओ) ने प्रश्नपत्र में क्रांतिकारी आतंकवादी शब्द लिखे जाने पर आपत्ति जताते हुए विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और कहा कि क्रांतिकारी हमारे आदर्श हैं लेकिन उनको आतंकवादी कहना गलत है।

विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार राजीव मिश्रा ने कहा कि प्रश्नपत्र बनाने वाले प्रोफेसर से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा

विद्यार्थियों से ज्ञापन लेते हुए विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार राजीव मिश्रा ने कहा कि प्रश्नपत्र बनाने वाले प्रोफेसर से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और संबंधित प्रोफेसर का उत्तर आने के बाद परीक्षा समिति इस पर निर्णय लेगी। एआइडीएसओ की जिलाध्यक्ष मिताली शुक्ला ने सवाल किया कि क्या क्रांतिकारी आतंकवादी थे। उन्होंने कहा, 'क्रांतिकारी हमारे आदर्श हैं और देश को आजादी दिलाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। ऐसे में उनको आतंकवादी कहना गलत है। इससे युवाओं में गलत संदेश जाएगा।'

छात्रों की मांग है कि प्रश्नपत्र बनाने वाले प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विद्यार्थी आंदोलन करेंगे।

सीटीईटी के नतीजे घोषित, 22.55 फीसद उत्तीर्ण

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (जनसत्ता)।

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। परीक्षार्थी सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर के जरिए नतीजे देख सकते है। इस बार परीक्षा में कुल 5.42 लाख उम्मीदवार पास हुए हैं। पास उम्मीदवारों का फीसद 22.55 हैं।

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
प्रधान कार्यालय, मंगला देवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु, कर्नाटक राज्य – 575001

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र खो / गुम / चोरी हो गए हैं। यदि इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	फोलिओ सं. सीबीडी	शेयरों की सं.	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.
1	पी एस पुष्पलता	029282	500	404815	2812906-2813405
2	अस्मिता पी खाडके पंकज गंगाधर खाडके	064436	500	401537	867521-868020

स्थान : मंगलूरु
तिथि : 26.12.2019

हस्ताक्षरित/-
(एस.के. दाश)
कंपनी सचिव

सोओएससी बैटन हस्तांतरण समारोह रद्द किया गया

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) की बैटन सौंपने को लेकर आयोजित किए जाने वाले पूर्व निर्धारित समारोह को शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस समारोह में 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को यह बैटन नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को सौंपनी थी। थलसेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सदस्य होते हैं और इनमें से वरिष्ठतम अधिकारी को सीओएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यह दायित्व एक समारोह में 'बैटन' हस्तांतरित कर सौंपा जाता है। इस बार यह आयोजन शुक्रवार को आखिरी वक्त में रद्द कर दिया गया।

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त कर देगी इसीलिए यह समारोह रद्द किया गया। सीडीएस, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जनरल रावत को ही थलसेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत का पहला सीडीएस नियुक्त किया जाएगा।

ईसा मसीह की प्रतिमा के लिए धन देने का मामला

शिवकुमार भाजपा के निशाने पर

बंगलुरु, 27 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक में अपने निर्वाचन क्षेत्र में 114 फुट ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए धन देने को लेकर कांग्रेस नेता डी शिवकुमार भाजपा के निशाने पर आ गए हैं और उसने उन पर कांग्रेस आलाकमान की नजर में बने रहने के लिए 'तुष्टिकरण की राजनीति' करने का आरोप लगाया। हरोबेले के ईसाई बहुल गांव कपालीबेट्टा में 13 फुट ऊंची पीठिका पर 101 फुट ऊंची प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव है। शिवकुमार के कार्यालय ने बताया कि उन्होंने अपने फंड से कपालीबेट्टा में न्यास के लिए सरकार से 10 एकड़ जमीन ली थी। यह न्यास ही इस प्रतिमा का निर्माण करवा रहा है।

शिवकुमार के कार्यालय का दावा है कि यह दुनिया में ईसामसीह की सबसे बड़ी एकाश्म प्रतिमा होगी। उन्होंने 25 दिसंबर को एक प्रार्थना सभा में इसकी आधारशिला रखी थी और परियोजना के

SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARD, KATRA
Abridged Notice Inviting Tender

For and on behalf of the Chairman, Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board sealed tenders are invited on the prescribed format, duly affixed with revenue stamps worth Rupees Six only for supply of Pouch Prasad, Fullian Prasad and Makhana Prasad F.O.R. at Non-Engineering Store, Banganga, Katra by or before **06.01.2020 upto 3.00 P.M. IST.** The Tender documents containing detailed terms and conditions and Tender Format can be had from the Central Office of the Shrine Board Katra against cash payment of Rs 500/- (Non-transferable and Non-refundable) on any working day and same can be downloaded from our website **www.maavaishnodevi.org**.

No. CO/ Pur/ NE/ 307/ 10496
Dated: 27.12.2019

Sd/- (Amit Vermani) KAS,
Dy. Chief Executive Officer,
Shri Mata Vaishno Devi
Shrine Board, Katra.

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SHRIRAM

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अनगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001.
मुख्य कार्यालय : लेवल-1, वोखार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051,
दूरभाष : 022 4241 0400, 022 4060 3100 वेबसाइट : www.shriramhousing.in

भौतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं।

कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएचएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित [अधिनियम] की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 24 दिसम्बर, 2019 को भौतिक कब्जा कर लिया है।

कर्जदार का नाम तथा पता	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण
श्रीमती मालती दत्ता पत्नी कृष्ण कुमार तथा श्री संजू दत्ता पुत्रश्री कृष्ण कुमार सभी निवासी : मकान नं. के-124, फ्लैट सं. I-C, एमआईजी श्रेणी, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद-201 009	पूर्ण भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज सहित 10.07.2019 तक ऋण खाता सं. SLPHDLHI0000318 के सन्दर्भ के तहत रु. 12,64,386/- (रुपये बारह लाख चौंसठ हजार तीन सौ छियासी मात्र), कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर। माँग सूचना की तिथि दिनांक : 10.07.2019 भौतिक कब्जा की तिथि : 24.12.2019	सम्पत्ति सं. के-124, फ्लैट सं. आई-सी, एमआईजी श्रेणी, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद-201 009 पर निर्मित सम्पत्ति फ्लैट सं. I-C का सम्पूर्ण भाग। माप : 750 वर्ग फीट (सुपर बिल्टअप एरिया)

[प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है]

एतद्वारा यह सूचना व्यापक रूप से जनसामान्य को चेतावनी भी है कि एसएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों के विधिक भौतिक कब्जेदार हैं और कर्जदार अथवा कोई भी व्यक्ति इस सूचना में सन्दर्भित उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों में किसी भी अंश को बिक्री, पट्टे अथवा अन्य संव्यवहार/हस्तान्तरण द्वारा इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात एसएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं करेगा।

स्थान : गाजियाबाद (उ.प्र.)
तिथि : 27.12.2019

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. नं. 380/16 तिथि: 05.12.2019

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 5.12.2019 के अनुसार 29.01.2020 को सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगी:

यह नीलामी बिक्री वेबसाईटः www.ucobank.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।

नीलामी की तिथि एवं समयः 29.01.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. (4 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
दूसरा तल (छत के अधिकार के साथ), कुल प्लॉट एरिया 80 वर्ग मी., प्रा. फ्लैट नं. एसएफ-1, प्लॉट नं. 279, ब्लॉक-जे, सेक्टर-12, जीएमपी, प्रताप विहार, तहसील/जिला-गाजियाबाद, उ.प्र.	रु. 28.42 लाख (रुपये अटठ्ाईस लाख बयालिस हजार मात्र)	रु. 2.84 लाख (रुपये दो लाख चौड़ासी हजार मात्र)

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाईट : www.ucobank.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
2. **ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता "आर.सी. नं. 380/16" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा किया जाएगा** जिसके साथ पहचान के स्व- सत्यापित प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित **प्रति अधिकतम 27.01.2020 के 5.00 बजे अप. तक** रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर 'आरसी नं. 380/16' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री "**जैसा है जहां है आधार**" पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टलः www.ucobank.auctiontiger.net देखें एवं/अथवा श्री नेमी चंद सहा. महा प्रबंधक, मोबाईल नं. 8447776715, टेली.नं. 011-23753278, ई-मेलः newamb@ucobank.co.in से सम्पर्क करें।
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger), बी-704/5, वाल स्ट्रीट-2, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अहमदाबाद-3800006 (गुजरात), सम्पर्क व्यक्तिः श्री राम कुमार, मो.नं. 8000023297 तथा श्री नितीश झा, मो.नं. 7982880393, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, वेबसाईटः ucobank.auctiontiger.net@auctiontiger.net से प्राप्त करना अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता मै ई-प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी-704/5, वाल स्ट्रीट-2, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अहमदाबाद-3800006 (गुजरात), सम्पर्क व्यक्तिः श्री राम कुमार, मो.नं. 8000023297 तथा श्री नितीश झा, मो.नं. 7982880393, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, वेबसाईटः www.ucobank@auctiontiger.net से ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा ईएमडी के भुगतान का पुष्ट प्रमाण हो।
9. जो इच्छुक बोलीदाता 27.01.2020 **के 5 बजे अप.** तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 29.01.2020 **को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच** आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
10. बोलीदाता **रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र)** के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
11. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के बाद धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली खाता "**आरसी नं. 380/16**" के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह ई-नीलामी की समाप्ति से 3 दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी कार्यालय में पहुंच जाए अन्यथा धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जायेगी।
12. सफल उच्चतम बोलीदाता को रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली "**आर.सी. नं. 380/16**" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को शेष 75% बोली राशि के साथ 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क का रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।)
13. असफल बोलीदाता ई-नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
14. रिकवरी अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने या किसी समय नीलामी को स्थगित अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

न्यायालय की मोहर

(संजु स्नेही)
वसूली अधिकारी-1, डीआरटी-1, दिल्ली

सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रतिभूतिकरण सूचना

सिटीबैंक एन.ए., जिसका एक कार्यालय 27, सेंट्रल मार्केट, (तीसरी मंजिल), वेस्टर्न एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 (इसके पश्चात "बैंक") कहा जायेगा, एतद्वारा यह विषयगत सूचना निम्नवत देता है;

सिटीबैंक ने विशेष रूप से निम्नलिखित राशि के लिए निम्नलिखित ग्राहकों द्वारा निवेदन एवं प्रतिनिधान पर गृह ऋण सुविधा प्रदान की थी और अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जिस सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण ग्रहण किया गया था उसे इक्विटेबल बन्धक द्वारा प्रतिभूत किया गया था।

कर्जदार का नाम, ऋण की राशि तथा ऋण खाता सं.	बंधक सम्पत्ति का विवरण	एनपीए तिथि तथा बकाया राशि
1. श्री गुरबक्श सिंह चावला (मृत) अपने विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिनिधानित, आर-2/9-राजनगर, गाजियाबाद-201001 .... कर्जदार साथ ही : श्री गुरबक्श सिंह चावला (मृत) अपने विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिनिधानित, सेक्टर 21 एवं 22, दूसरी मंजिल, सेलेक्ट सिटी वाक, साकेत, नई दिल्ली-110017 2. श्री देविन्द्र सिंह चावला, आर-2/9-राजनगर, गाजियाबाद-201001 .... जमानती/सह-कर्जदार साथ ही : श्री देविन्द्र सिंह चावला, सेक्टर 21 एवं 22, दूसरी मंजिल, सेलेक्ट सिटी वाक, साकेत, नई दिल्ली-110017 3. प्रेशस हॉस्पिटैलिटी एण्ड लेजर प्रा.लि., सेक्टर 21 एवं 22, दूसरी मंजिल, सेलेक्ट सिटी वाक, साकेत, नई दिल्ली-110017 ... सह-कर्जदार ऋण की राशि : रु. 2,98,94,687/- ऋण खाता सं. : 130035	सम्पत्ति सं. आर-2/9-राजनगर, गाजियाबाद-201001 का सम्पूर्ण भाग	एनपीए तिथि : 31.01.2019 25.01.2019 तक कुल राशि रु. 2,37,97,893.12/-

अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार आप उपर्युक्त कर्जदारों को समविभाजित मासिक किस्तें जब भी बकाया हों तो उनके भुगतान द्वारा ऋण खाता विनियमित करना अपेक्षित था। किन्तु उपर्युक्त ऋण सुविधा के परिप्रेक्ष्य में खाते का प्रचालन एवं संचालन अनियमित हो गया और इस प्रकार सिटीबैंक एनए आरबीआई प्रक्रिया के अनुसार आपके खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बाध्य था। अब बैंक सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(2) की शर्तों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों के तहत आपसे उक्त राशि पर ब्याज एवं लेन-देन में शामिल अन्य लागतों सहित इस तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया कुल राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहता है। आपके असफल होने पर बैंक पूर्णतः आपके जोखिम पर लागतों और उससे सम्बद्ध परिणामों पर प्रतिभूत आस्ति के विरुद्ध कथित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का आश्रय लेने के लिए बाध्य होगा।

कथित अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार एतद्वारा आपको बिना हमारे ग्राहक की पूर्व सहमति के इस सूचना में संदर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति का बिक्री, पट्टे या अन्य माध्यम से (आपके सामान्य प्रकार्य के अतिरिक्त) अन्तरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है।

सूचना की प्रति उनके मकान पर चिपका दी गयी है और इसे ही समाचार-पत्र में प्रकाशित किया गया है।

स्थान : दिल्ली
तिथि : 28.12.2019

कृते सिटीबैंक एन.ए.
अधिकृत प्राधिकारी

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

HeroFin Corp.

CIN:U74899DL1991PLC046774
पंजी. कार्यालयः 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057
टेलीः 011-49487150, फैक्सः 011-49487150,
ई-मेलः litigation@herofincorp.com, वेबसाईटः www.herofincorp.com

पूर्वाग्रह-रहित ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अनुसार हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के पास गिरवी रखी गई चल सम्पत्ति की ई-नीलामी बिक्री

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी की गई सूचना तिथि 23.7.2018 के अनुसार तथा "हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड बनाम मै. श्री पार्थ ग्रैफिक्स एवं अन्य" शीर्षक मामले में जिला मजिस्टेट, उदयपुर द्वारा पारित आदेश तिथि 14.2.2019 के अनुपालन में एचएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित सभी शुल्कों के साथ एचएफसीएल के बकाये की वसूली के लिये "जैसा है जहां है आधार" एवं "जो भी वहां है आधार" एवं "जैसा है जो है आधार" एवं "उपचार रहित आधार" पर पूरी तरह से उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है तथा जैसा कि बकाये के भुगतान में विफलता के बाद प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री द्वारा एचएफसीएल के बकाये की वसूली करने का प्रस्ताव करते हैं। जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक से एचएफसीएल के बकाये प्रतिभूत ऋण की वूसली के लिये सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा की जायेगी।

आम जनता को व्यक्तिगत अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्टों के माध्यम से बोली करने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

ऋणधारक का नाम एवं पता:
1. मै. श्री पार्थ ग्रैफिक्स (ऋणधारक), द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री सुभाशीष सोनी, जिसका कार्यालय यूजी 36, श्री बालाजी टावर, खजूरी बाजार, मैन रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001 में है
2. श्री सुभाशीष सोनी (गारन्टर), निवासीः ए-501, शुभ लाभ हाइट्स, एम.आर.-9, रिंग रोड, इन्दौर-452001
3. श्रीमती अनुराधा सोनी (गारन्टर), निवासीः ए-501, शुभ लाभ हाइट्स, एम.आर.-9, रिंग रोड, इन्दौर-452001

मास्टर फैसिलिटी अनुबंध तिथि 26.12.2016, पूरक अनुबंध तिथिः 26.12.2016 तथा मै. श्री पार्थ ग्रैफिक्स तथा हीरो फिन कार्प लिमिटेड के बीच निष्पादित संबर्धन अनुबंध

मांग सूचना की तिथिः 23.7.2018 — **वास्तविक कब्जा की तिथिः** 11.12.2019

ऋणधारकों पर बकाया राशिः 18.7.2018 को रु. 1,37,03,393.85/- (रुपए एक करोड़ सैंतीस लाख तीन हजार तीन सौ तिड़ानवे तथा पैसे पचासी मात्र)

प्रतिभूत परिसम्पत्ति

प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि
जापानी ऑरिजन, सीरियल नं. 285 के स्टैंडर्ड फिटमेन्ट्स/उपस्करों के साथ पीसीसी के साथ कोमोरी ब्रैण्ड फोर कलर शीट-फेड ऑफसेट प्रिटिंग प्रैस "एन्थ्रोन-29" मॉडलः ई-429	कोमोरी कॉर्पोरेशन	1.	18500000/-	1850000/-

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 4.2.2020 को 10 बजे पूर्वा. से 01 बजे अप. तक।

ऑन लाइन निविदा ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें:
1. नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 4.2.2020 को 10 बजे पूर्वा. से 1 बजे अप. (आईएसटी) तक वेबसाईट "https://www.bankauctions.in" के माध्यम से "ऑन लाइन ई-नीलामी" होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता के पास वैध ई-मेल पता होना चाहिये।
3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये वेबसाईटः https://www.bankauctions.in देखें।
4. संभावित बोलीदाताओं को https://www.bankauctions.in पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा।
5. संभावित बोलीदाता हेल्पलाइन नं.: 040-23836405, +91-8142000809/8142000066/67 पर सम्पर्क कर अथवा info @ bankauctions.com/vikas@bankauctions.in पर ई-मेल भेजकर हमारे सेवा प्रदाता मै. 4 क्लोजर से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. संबंधित विवरणों के साथ बोलियां निर्धारित प्रारूप में केवल ऑन लाइन जमा की जायेगी।
7. ऑन लाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 3.2.2020 के 5.00 बजे अप. तक है।
8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं को नीचे वर्णित खाता में आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा ईएमडी जमा करना होगाः

बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लि.
खाता धारक का नाम	हीरो फिनकॉर्प लि.
बैंक का पता	209-214, कैलाश बिल्डिंग 26, केजी मार्ग, नई दिल्ली
खाता सं.	00030310016156
आईएफएससी कोड	HDFC0000003

9. सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाता को ईएमडी एचएफसीएल द्वारा वापस लौटा दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। बोली के लिए न्यूनतम वृद्धि राशि रु. 100000/- (रुपए एक लाख मात्र) है।
10. एचएफसीएल को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों/प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी बिक्री को स्थगित/निलंबति/रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
11. उपरोक्त सम्पत्ति को वर्णित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
12. यदि एचएफसीएल द्वारा बोली/प्रस्ताव स्वीकार की जाती है, बोली में उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले सफल बोलीदाता को एचएफसीएल के पास उसी दिन ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद के 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी तथा तत्काल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।
13. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य चेक/पेआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा।
14. निर्धारित अवधि अर्थात् बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली राशि का भुगतान नहीं करने पर जमा राशि (25% बोली राशि सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा क्रेता उस सम्पत्ति अथवा राशि के किसी भाग जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
15. एचएफसीएल द्वारा बिक्री की पुष्टि पर तथा यदि नियमों एवं शर्तों का पालन किया गया हो, बिक्री करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट V में दी गई प्रपत्र में क्रेता के पक्ष में अचल सम्पत्ति का बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
16. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार" एवं "जो भी वहां है आधार" एवं "जैसा है जो भी है आधार" एवं उपचार-रहित आधार पर की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति के संदर्भ में टाइटल, पहचान, विस्तार, व्यास, सर्वे नम्बर, डोर नम्बर, चौहद्दी अथवा अधिभारों के विषय में संतुष्ट होने के लिये राजस्व/एसआरओ के अभिलेखों की जांच कर लें। एचएफसीएल उपरोक्त सम्पत्ति पर लम्बित किसी भी प्रकार की देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
17. इच्छुक पार्टी/बोलीदाता 2.2.2020 को या उससे पूर्व कार्यावधि के दौरान नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये वे अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं।
18. सफल बोलीदाता को एकाकी रूप से लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, पंजीकरण शुल्कों, स्टाम्प शुल्क, करों, सांविधिक देयताओं के लिये देय सभी चार्जेज का वहन करना होगा।
19. यह ई-नीलामी बिक्री एचएफसीएल द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
20. यह बिक्री/नीलामी सरफेसी अधिनियम, 2002 (उसके अंतर्गत निर्मित नियमों) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।
21. नीलामी की गई सम्पत्ति के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, सम्पत्ति कर तथा सरकार या किसी व्यक्ति के किसी अन्य बकाये के लिये एचएफसीएल उत्तरदायी नहीं होगा।
22. यदि वे अपनी सम्पूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान नहीं करते हैं तो उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उपरोक्त ऋण के ऋणधारक/अथवा सह-ऋणधारक के लिये यह प्रकाशन 30 दिनों की बिक्री सूचना है। ऋणधारक सह-ऋणधारक को ई-नीलामी की तिथि को या उससे पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिये सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की बिक्री सूचना दी जाती है जिसमें विफल होने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी। यदि ई-नीलामी बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक एचएफसीएल की संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान कर देते हैं तो ई-नीलामी बिक्री रोक दी जायेगी।
23. एतद्द्वारा ऋणधारक तथा मार्टगैजर को सूचित किया जाता है कि बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां ऊपर निर्दिष्ट अचल सम्पत्ति की खरीद के लिये वे इच्छुक क्रेताओं/खरीदारों को सामने ला सकते हैं।
24. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें, इंटर-से बोली की अनुमति देने का सम्प्रभु अधिकार है।
25. ऊपर वर्णित ऋण की राशि, ऋण फोक्लोजर राशि नहीं है। उक्त ऋण के लिये लम्बित ईएमआई सहित अन्य सभी चार्जो की ऋण समापन के समय में गणना की जायेगी।

तिथिः 28.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

श्री कैलाश सैनी,
मोबा. 9599111970
प्राधिकृत अधिकारी
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

www.readwhere.com

सोशल मीडिया पर बहसों से टूट रहे बरसों पुराने रिश्ते

सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में जारी बहस और विरोध प्रदर्शनों का असर सोशल मीडिया मंचों पर खासतौर से देखने को मिल रहा है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सऐप पर तीखी बहस और नोंकझोंक जारी है। इसकी वजह से कई संस्थानों के पूर्व छात्र अपने सहपाठियों के व्हाट्सऐप ग्रुप छोड़ रहे हैं।

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के पक्ष-विपक्ष में सोशल मीडिया पर हो रही बहस लोगों की बचपन की दोस्ती, शिक्षक-छात्र संबंधों, स्कूलों और कालेजों के पूर्व छात्रों के व्हाट्सऐप समूहों पर भारी पड़ रहा है। इस बहस के कारण दोस्ती टूट रही है, शिक्षकों-छात्रों के संबंध खराब हो रहे हैं और प्रतिष्ठित संस्थानों के पूर्व छात्र अपने-अपने संस्थानों के व्हाट्सऐप समूह छोड़ रहे हैं।

सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में 20 लोग मारे गए हैं और तमाम लोग घायल हुए हैं। इसे लेकर फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सऐप पर तीखी बहस और नोंकझोंक भी जारी है।

इलाहाबाद की रहने वाली 23 साल की रोशनी अहमद के लिए सीएए और एनआरसी पर बहस बहुत ही दुखदायी रहा। वह उस वक्त सकते में आ गई जब उसके बचपन के दो मित्रों ने उसपर आतंकवादी का लेबल चस्पां कर दिया और कह दिया कि अगर वह सीएए और एनआरसी का समर्थन नहीं कर सकती है तो उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर कर चुकी अहमद ने बताया कि दोनों बहुत प्यारे दोस्त थे। स्कूल और कॉलेज में उनके साथ पढ़ाई की थी, अपना खाना बांटकर खाया था। लेकिन जब फेसबुक और व्हाट्सऐप स्टेटस पर सीएए और एनआरसी को लेकर चिंता जताई तो उनकी प्रतिक्रिया ने हमें सकते में डाल दिया।

अहमद ने बताया, 'मैंने सपने में भी नहीं सोचा थी कि मेरे दोस्त ऐसा करेंगे। एक को मेरा दोस्त होने, कॉलेज में मेरी मदद करने का अफसोस है। वह सोचती है कि मैं आतंकवादी हूं क्योंकि मैं उसकी राजनीतिक विचारधारा से सहमति नहीं जताती हूं।' उन्होंने कहा कि यह बेहद अपमानजनक और तकलीफदेह है। मेरे पास उसे जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, इसलिए मैंने उसके संदेशों का उत्तर ही नहीं दिया। यह पूछने पर कि क्या दोनों के बीच संबंध फिर से सामान्य हो सकेंगे, अहमद ने कहा, 'मैंने उन्हें खो दिया है और उन्होंने मुझे। मुझे तो यह तक नहीं पता कि मेरे चले जाने से उन्हें कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं।

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ने वाली 20 साल की किसा जेहरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसके विश्वविद्यालय में हिंसक प्रदर्शनों के बाद उसके गृहनगर के दोस्तों ने अब उसपर 'पत्थरबाज' का लेबल चिपकाना शुरू कर दिया है। गणित ऑनर्स की अंतिम वर्ष की छात्रा कहती हैं, 'उनके अनुसार यह प्रदर्शन करना का सही तरीका नहीं था.... वे मुझे और मेरे विश्वविद्यालय को गालियां दे रहे हैं।' आइआइएम से 2014 में एक्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम करने वाले 37 वर्षीय फैज रहमान ने बताया कि पढ़ाई खत्म होने के बाद उनके बैच के लोगों ने एक व्हाट्सऐप समूह बनाया जिसका मुख्य लक्ष्य नेटवर्किंग और संसाधन साझा करना था। वाराणसी निवासी और दिल्ली में नौकरी कर रहे रहमान कहते हैं, 'वर्षों तक उस समूह में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में समूह के कुछ सदस्यों द्वारा वहां डाले गए पोस्ट बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हैं। उन सभी में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया है, उसे गलत बताया गया है। शुरुआत में हिंदुओं, सिखों, इसाइयों और मुसलमानों, सभी सदस्यों ने तथ्यों के आधार पर उनसे तर्क करने और फर्जी खबरों का पर्दाफाश करने का प्रयास किया, लेकिन यह समस्या इस हद तक बढ़ गई कि मैंने वह समूह ही छोड़ दिया।'

हैदराबाद में एक बड़ी टेक कंपनी में काम कर रहे आदित्य शर्मा ने बताया कि वह फेसबुक पर अपने पुराने स्कूल शिक्षकों की पोस्ट देख कर बहुत दुखी हुए। आइआइएम से पढ़े शर्मा कहते हैं, 'मेरे कुछ शिक्षक सीएए और एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं जबकि उन्हें इसके परिणामों का जरा भी अंदाजा नहीं है। (व्यंग्य करते हुए कहते हैं) यह जानकर अच्छा लगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में दिक्कत शुरुआत से ही है।'

सहायक प्रोफेसर पद्मजा तामुली ने बताया कि उनकी अपनी दो दशक पुरानी दोस्त ने उनके 'असमी मूल' पर सवाल उठाया तो वे बेहद आहत हुई। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे दोस्त की राजनीतिक विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखतीं। असम में तिनसुकिया की रहने वाली तामुली कोलकाता में नौकरी करती हैं। (इस खबर के कुछ नामों को बदल दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने का अनुरोध किया था)।

चंद्रिका राय ने बेटी का सामान लेने से इनकार किया

पटना, 27 दिसंबर (भाषा)।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का वैवाहिक विवाद शुक्रवार को एक बार फिर सामने आया जब तेज प्रताप के ससुर तथा राजद विधायक चंद्रिका राय ने अपनी बेटी का सामान गाड़ी से उतरवाने से इस आशंका में मना कर दिया कि उनके परिवार को फंसाने के लिए उसमें कोई आपत्तिजनक चीज हो सकती है। राजद विधायक चंद्रिका राय ने शास्त्री नगर पुलिस थाने में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई है। राय ने जोर देकर कहा कि कल रात जो सामान उनके घर भेजा गया उसे वह तभी लेंगे जब वहां प्रसाद के परिवार का कोई सदस्य और इसकी निगरानी के लिए कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित हों।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अपनी बहू ऐश्वर्या को पिछले हफ्ते अपने घर से कथित रूप से निकाल दिया। ऐश्वर्या का ससुराल और मायका कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित है। शास्त्री नगर के एसएचओ विमलेंदु कुमार ने बताया कि चंद्रिका राय ने राबड़ी देवी के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, वह कोई संज्ञेय अपराध नहीं है, इसलिए हमलोग प्रारंभिक जांच कर रहे हैं और यदि अगर जरूरत पड़ती है तो हम संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करेंगे।

यह हाई वोल्टेज ड्रामा गुरुवार देर रात शुरू हुआ जब दो पिक अप वाहन ऐश्वर्या का सामान लेकर चंद्रिका राय के आवास पर पहुंचे जहां ऐश्वर्या एक हफ्ते से रह रही हैं। इन दोनों वाहनों में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले से सामान लोड किया गया था। विधायक के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें इसकी जानकारी दी तो वह अत्यंत नाराज हो गए। राय के पिता दारोगा प्रसाद राय 1970 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

राय ने मौके पर मौजूद संवाददाताओं से कहा, 'हमें इसकी जानकारी नहीं है कि इसमें क्या क्या सामान है। हमने केवल अपनी बेटी का मोबाइल फोन, आभूषण और उसके पास मौजूद कुछ नकदी की मांग की थी।'

सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक में 4,360 करोड़ की पूंजी डाली

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (आइओबी) को नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिये सरकार से चालू वित्त वर्ष में 4,360 करोड़ रुपए की पूंजी मिली है। आइओबी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने अगस्त महीने में बैंक में 3,800 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा की थी। इसमें अब 560 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है।

आइओबी ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा- बैंक को 25 दिसंबर, 2019 को तारीख का पत्र मिला है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के रूप में 4,360 करोड़ रुपए जारी किये जाने के बारे में जानकारी दी गई है। बैंक ने सरकार के इस निवेश के बदले तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर (विशेष प्रतिभूति / बांड) जारी किया है। इसके अलावा सरकार ने यूको बैंक में 2,142 करोड़ रुपए डालने की मंजूरी दी है। इसकी घोषणा इस साल अगस्त में की गई थी। दोनों बैंक रिजर्व बैंक की तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के दायरे में हैं।

आइओबी को 30 सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 2,253.64 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में बैंक को 487.26 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।

बैंकों का सकल एनपीए अनुपात सितंबर 2020 में 9.9 फीसद हो जाने का अनुमान : आरबीआइ

मुंबई, 27 दिसंबर (भाषा)।

बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) का अनुपात सितंबर 2019 के 9.3 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2020 में 9.9 प्रतिशत पर पहुंच सकती है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है। बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2019 में 9.3 प्रतिशत था। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा, 'वृहद आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव, नये एनपीए में मामूली वृद्धि तथा ऋण वृद्धि दर में गिरावट के असर के कारण बैंकों का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2020 में बढ़कर 9.9 प्रतिशत पर पहुंच सकता है।' रिजर्व बैंक ने कहा कि इस दौरान सरकारी बैंकों का जीएनपीए अनुपात 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 13.2 प्रतिशत पर और निजी बैंकों का जीएनपीए अनुपात 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 4.2 प्रतिशत पर पहुंच सकता है। इस दौरान विदेशी बैंकों का जीएनपीए भी 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 3.1 प्रतिशत पर पहुंच सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों का शुद्ध एनपीए गिरकर सितंबर 2019 में 3.7 प्रतिशत पर आ गया। यह एनपीए के बदले बढ़ते प्रावधान को बताता है। बैंकों का एकीकृत प्रावधान कवरेज (पीसीआर) अनुपात मार्च 2019 के 60.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 में 61.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। एनपीए को लेकर हो सकने वाले घाटे के बदले बैंकों द्वारा अलग रखी जाने वाली राशि के अनुपात को पीसीआर कहा जाता है। इस दौरान सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंकों का पीसीआर बढ़ा है।

कोटा के एक अस्पताल में 10 शिशुओं की मौत

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के एक अस्पताल में पिछले दो दिनों में 10 शिशुओं की मौत होने पर शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस विषय की जांच-पड़ताल कराने और आवश्यक मेडिकल इंतजाम करने का अनुरोध किया। बिरला ने कहा कि कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र में स्थित जेके लोन अस्पताल में शिशुओं की असमय मौत सभी के लिए चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि इस बड़े अस्पताल में योग्य चिकित्साकर्मियों और जीवन रक्षक उपकरणों के अभाव के चलते हर साल 800 से 900 शिशुओं और 200 से 250 बच्चों की मौत हो जाती है। बिरला ने गहलोत को लिखे पत्र में कहा कि जानकारी के मुताबिक अस्पताल में जीवन रक्षक उपकरण काम नहीं कर रहे हैं और योग्य चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारी के कई पद खाली हैं। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि इस अस्पताल में शिशुओं और बच्चों की मौत होने की मुख्य वजह बताया और इस विषय की जांच पड़ताल करने के लिए गहलोत से एक कमेटी गठित करने का अनुरोध किया।

प्रपत्र – 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स कनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	23.02.2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	कारपोरेट कार्य मंत्रालय, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U31900DL2012PTC231966
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	डी – 404, नागार्जुन अपार्टमेंट्स, मयूर कुंज, दिल्ली – 110096
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	16.10.2019
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	28.12.2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	जैसा कि रिक्वेस्ट फॉर रिज़ोल्यूशन प्लान (RFRP) में दिया गया है, इसे RA को मेल द्वारा भेजा जाएगा।
9.	धारा 29क के अधीन लागू अपात्रता के मानदंड :	जैसा कि रिक्वेस्ट फॉर रिज़ोल्यूशन प्लान (RFRP) में दिया गया है, इसे RA को मेल द्वारा भेजा जाएगा।
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	12.01.2020
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	22.01.2020
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	27.01.2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	06.02.2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	27.01.2020
15	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	समाधित संकल्प आवेदक को गैर–प्रकटीकरण उपक्रम प्रस्तुत करने पर RFRP, EM, IM की प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जाएगी और धरोहर राशि रु 25,000 योग्य जमा की जाएगी
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26.02.2020 (सायं 6 बजे से पहले)
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	संकल्प योजना को समाधान प्रोफेशनल को सीलबंद लिफाफे में नीचे दिए पते पर प्रस्तुत करें
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	29.03.2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**श्रीमती आशु गुप्ता** IBBI/PA-002/IP-N00339/2017-18/10943
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**श्रीमती आशु गुप्ता** अंतरिम समाधान प्रोफेशनल 204 ए, दूसरी मंजिल, 23, एसबीआई बिल्डिंग नजफगढ़ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, शिवाजी मार्ग, डीएलएफ टॉवर के सामने, नई दिल्ली –110015 **ईमेल** : ashugupta.cs@gmail.com
21	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**क्रम संख्या 20 के समान**
22.	अतिरिक्त विवरण पर लाभार्थ के पास उपलब्ध है	**श्रीमती आशु गुप्ता** अंतरिम समाधान प्रोफेशनल 204 ए, दूसरी मंजिल, 23, एसबीआई बिल्डिंग नजफगढ़ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, शिवाजी मार्ग, डीएलएफ टॉवर के सामने, नई दिल्ली –110015
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	**28.12.2019**

हस्ता / –
श्रीमती आशु गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
204 ए, दूसरी मंजिल, 23, एसबीआई बिल्डिंग नजफगढ़ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, शिवाजी मार्ग, डीएलएफ टॉवर के सामने, नई दिल्ली –110015
तिथि : 27.12.2019
स्थान : नई दिल्ली
पंजीकृत संख्या : IBBI/PA-002/IP-N00339/2017-18/10943
ईमेल : ashugupta.cs@gmail.com

फॉर्म–ए
सार्वजनिक घोषणा
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड

(कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

अपराजिता इंजीकॉन प्रा. लि. के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	**अपराजिता इंजीकॉन प्रा. लि.**
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	20-02-2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U45400DL2010PTC199338
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**फ्लैट नं. 3, भूतल अरबिंदो अपार्टमेंट्स, 'एनसीईआरटी' के पास, अधचीनी नई दिल्ली–110017**
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	26.12.2019 (माननीय एनसीएलटी, ऑर्डर दिनांक 09.12.19 ने सीडी के समक्ष CIRP की शुरुआत की और अधोहस्ताक्षरी को आरपी नियुक्त किया)*
7.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	23.06.2020
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई–मेल पता और पंजीकरण क्रमांक	**मुकेश कुमार गुप्ता** **पंजीकरण नं.** IBBI/IPA-001/IP-P00207/2017-18/10407
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	**पता:** 171 सीता राम अपार्टमेंट 102 आई पी एक्स, नई दिल्ली, दिल्ली **ई–मेल**: guptam11@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई–मेल	मुकेश कुमार गुप्ता पता: निटवर्थ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रा. लि. डी–54, प्रथम तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–110024 ईमेल : aparajitacirp@gmail.com
11.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	09.01.2020
12.	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हों, अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित	लागू नहीं
13.	दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	वेब लिंक: http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html

इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नई दिल्ली ने 09.12.2019 को **अपराजिता इंजीकॉन प्रा. लि.** के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

अपराजिता इंजीकॉन प्रा. लि. के क्रेडिटर्स को 09.01.2020 को या उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो एंट्री नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य लेनदारों समेत परिचालन लेनदारों को पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबूत जमा कर सकते हैं।

एंट्री नं. 12 के खिलाफ सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय लेनदार, क्लास (वर्गीकृत क्लास) फार्म सी ए : लागू नहीं में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एंट्री नं. 13 के खिलाफ सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा।

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना आकर्षित होगा।

*11.12.2019 को सीडी के खिलाफ CIRP शुरू करने वाले माननीय एनसीएलटी के आदेश की प्राप्ति के बाद, माननीय एनसीएलटी के समक्ष एक हलफनामे को अधोहस्ताक्षरी ने दाखिल किया, कुछ कारणों से मामले में छुट्टी मांगी उक्त शपथ पत्र पर माननीय एनसीएलटी के निर्णय को लंबित करते हुए, यह सार्वजनिक घोषणा दिनांक 26.12.2019 को कानूनी राय आधार पर की जा रही है।

हस्ता / –
मुकेश कुमार गुप्ता
अंतरिम समाधान पेशेवर
IBBI/IPA-001/IP-P00207/2017-18/10407
तिथि: 27-12-2019
स्थान- नई दिल्ली

SAIJA FINANCE PRIVATE LIMITED

Regd Office : F-128, 3rd Floor, Mohammadpur, R.K. Puram, New Delhi - 110066
CIN- U65929DL1997PTC089892

Statement of Unaudited Financial Results for the half year ended / as at 30 September 2019

(Amount in Rs. Lacs, except per share data)

Particulars	Six months ended 30 September 2019 Unaudited	Six months ended 30 September 2018 Unaudited
Total Income from operations #	5,136.64	5,349.42
Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	428.75	1,232.96
Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary items)	428.75	1,232.96
Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	247.02	806.28
Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	3.20	10.02
Paid up equity share capital	5,546.45	2,568.92
Reserves (excluding revaluation reserves)	1,076.42	3,692.44
Net worth	6,622.87	6,261.36
Paid up debt capital / outstanding debt	36,207.51	35,111.50
Outstanding redeemable preference shares	-	-
Debt equity ratio	5.47	5.61
"Earning Per share (of Rs 10 /-each) (for continuing and discontinued operations)"	-	-
a) Basic *	0.45	3.14
b) Diluted *	0.45	1.45
Capital redemption reserve	-	-
Debenture redemption reserve	-	-
Debt service coverage ratio (refer to note d below)	Not applicable	Not applicable
Interest service coverage ratio (refer to note d below)	Not applicable	Not applicable

\# Excludes other income
* Not annualised

Notes:

a) In accordance with Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published financial results for the half year ended 30 September 2019. The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14 December 2019.

b) The above is an extract of the detailed format of the half yearly results filed with the Bombay Stock Exchange ('BSE') under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and is also available on the Company's website www.saija.in.

c) For the items referred to in the sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been separately made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on www.bseindia.com.

d) The above have not been disclosed since it is not required as per Regulation 52(4) of the the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

e) Previous period/year figures have been regrouped / reclassified to conform to the current period classifications, wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors of
Saija Finance Private Limited
Sd/-
Shashi Ranjan Sinha
Chairman cum Managing Director
DIN No : 00917884

Place: Delhi
Date: 14 December, 2019

मांग सूचना

HDFC

हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एच.डी.एफ.सी. हाऊस, 10–A/1, एम.जी. रोड, ट्रेजर आईलेंड मॉल के पास, इन्दौर – 452 001
पंजीकृत कार्यालय : रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169, बेकबे, रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई 400 020, भारत वेबसाइट : www.hdfc.com
कार्पोरेट आईडेंटिटी क्रमांक : L70100MH1977PLC019916

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 3 अंतर्गत नोटिस

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन अधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के सपठित धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणियों/वैध वारिसों / वैध प्रतिनिधियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक से 60 दिन के अंदर मांग सूचनाओं में अंकित राशियों के भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आमंत्रित किया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऋणियों / वैध वारिसों / वैध प्रतिनिधियों को उनके अंतिम ज्ञात पते के परिसर में इन सूचनाओं को चस्पा कर दिया गया था तथा ऋणियों / वैध वारिसों / वैध प्रतिनिधि यदि चाहे तो वे सामान्य कार्यालयीन समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रतिलिपी प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एतद् द्वारा ऋणियों / वैध वारिसों / वैध प्रतिनिधियों को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त ऋणियों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो तो ऋण अनुबंध तथा अन्य लेख / दस्तावेज के स पठित निराकरण / भुगतान की दिनांक तक नीचे दिए गए कॉलम (सी) में अंकित संबंधित दिनांक से मांग सूचनाओं में वर्णित आगे @18% प्रतिवर्ष ब्याज सहित संबंधित नामों के समक्ष नीचे दी गई राशियों का इस सूचना प्रकाशन की दिनांक से 60 दिन के अंदर एचडीएफसी लिमिटेड को भुगतान करें। ऋण के देय भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः निम्न सम्पत्तियां ऋणियों द्वारा बंधक रखी गई है :–

क्र.	ऋणीयों/वैध वारिसों तथा वैध प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया राशि	मांग नोटिस की दिनांक	सुरक्षित आस्ति (यों) / अचल संपत्ति (यों) का विवरण
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(इ)
1	**श्री चमोली योगेन्द्र, श्रीमती चमोली नूतन** **मकान नं.** 325–डीके–1, स्कीम नं. 74–सी, विजय नगर, इन्दौर –452001	₹ **13,77,089/-** 31/10/19* को	**11.11.19**	मकान नं. एल–144/बी, सेक्टर–4, जीडीए लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद (यूपी) **क्षेत्र. - 32.152** वर्गमीटर **सीमाएँ- पूर्व**- 15 फीट चौड़ी रोड, **पश्चिम**- मकान नं. 143–बी, **उत्तर**- सीढ़ी और मकान नं. 141–बी, **दक्षिण**- 25 फीट चौड़ी रोड

*आगे के @18%प्रतिवर्ष ब्याज जो लागू आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित निराकरण / भुगतान होने की दिनांक तक।

यदि ऋणी उपरोक्तानुसार एचडीएफसी लिमिटेड को भुगतान करने में असफल होते है तो एचडीएफसी लिमिटेड उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत तथा लागू नियमों के तहत ऋणियों / अचल संपत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का बाध्य होगी जिसके परिणाम व लागत की सम्पूर्ण जवाबदारी ऋणियों / वैध वारिसों / वैध प्रतिनिधियों की रहेगी।

अधिनियम के अंतर्गत ऋणि/वैध वारिस/वैध प्रतिनिधि एचडीएफसी लिमिटेड के पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों को किसी भी तरह के विक्रय, लीज या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण हेतु प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधिन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद या जुर्माने का पात्र होगा।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 28.12.2019

वास्ते
हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

ऐक्सिस बैंक — आधिपत्य नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी–4/5, बी, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक–बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400 025
रजिस्टर्ड आफिस : त्रिशूल, तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380 006

जबकि अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इन्फोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कब्जा** ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी / सह–ऋणी / बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

ऋणी / सह–ऋणी एवं जमानतकर्ता का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
श्री शिवम श्रीवास्तव (कानूनी प्रतिनिधि) पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासी 81/2 विजय पार्क विस्तार, देहरादून, उत्तराखण्ड–248001 एवं : म0 नं0–89 यूसुफजई–2, पुलिस स्टेशन–कोतवाली, निकट पन्ने स्कूल, फतेहपुर पिन–212601 **श्री शक्ति कुमार (सह–ऋणी)** पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव म0 नं0–89 यूसुफजई–2, पुलिस स्टेशन–कोतवाली, निकट पन्ने स्कूल, फतेहपुर पिन–212601	स्थित म0नं0–89 यूसुफजई–2 पुलिस स्टेशन–कोतवाली निकट पन्ने स्कूल, फतेहपुर पिन–212601 **क्षेत्रफल**–117 वर्ग मी0 **चौहद्दीः पूर्व** : खड़न्जा, **पश्चिम** : रास्ता 10 फुट, **उत्तर** : आम प्रकाश का मकान, **दक्षिण** : जगदीश का मकान	रू. 20,60,927.24 दिनांक 01.05.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे; **देय सूचना की तिथि : 16.07.2019**; **कब्जा दिनांक : 23.12.2019**

दिनांक : 28.12.2019
स्थान : लखनऊ

(प्रा0 अधिकारी)
एक्सिस बैंक लि0

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची–834001

शुद्धि पत्र

झारखण्ड राज्य के चार विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों (गैर शैक्षणिक) के नियमित नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के चार विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों (गैर शैक्षणिक) के नियमित नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–09 / 2019 की कंडिका 11 में भूलवश क्रम संख्या (iv),(v),(vi) एवं (vii) अंकित हो गया है। इसे कंडिका 11 क्रम संख्या (i),(ii),(iii) एवं (iv) पढ़ा जाये।

2. विज्ञापन संख्या–09 / 2019 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

3. यह संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

ह0 / –
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची

PR 222906 (Jharkhand Public Service Commission)19-20#D

www.readwhere.com

खबर कोना

एनबीए बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दौरान गेंद को बास्केट में भेजने की कोशिश में पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के एनफेर्नी सिमंस।

टाटा मुंबई मैराथन की प्रतियोगिता दूत बनीं मिलर

मुंबई, 27 दिसंबर (भाषा)।

सात बार की ओलंपिक पदक विजेता और नौ बार की विश्व चैंपियन अमेरिकी जिमनास्ट शैनोन मिलर को शुक्रवार को 17वीं टाटा मुंबई मैराथन का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता दूत चुना गया। मैराथन 19 जनवरी को शहर में आयोजित की जाएगी। अमेरिका की 42 वर्षीय जिमनास्ट 'अमेरिकी ओलंपिक हॉल ऑफ फेम' में शामिल होने वाली पहली महिला एथलीट हैं। उन्होंने 1992 ओलंपिक में पांच पदक (दो रजत, तीन कांस्य) जीते थे जो अमेरिकी एथलीट द्वारा किसी भी खेल में सबसे ज्यादा हासिल किए गए पदक हैं। वह पहली अमेरिकी जिमनास्ट हैं जिन्होंने दो विश्व ऑल राउंड खिताब जीते हैं।

'नेपल्स के संरक्षक संत' माराडोना के लिए बना संग्रहालय

नेपल्स , 27 दिसंबर (एएफपी)।

कुछ के लिए डिएगो माराडोना बीसवीं सदी के महानतम फुटबॉलर हैं तो कई ऐसे भी हैं जो 'खुदा का हाथ' वाले गोल के लिए उन्हें बेईमान मानते हैं। लेकिन, इटली में वह हमेशा नेपल्स के संरक्षक संत रहेंगे। किसी संत की तरह ही यहां माराडोना को समर्पित संग्रहालय है जिसमें उनसे जुड़ी दुर्लभ वस्तुएं रखी गई हैं। इसमें बाएं पैर का वह जूता भी शामिल है जिससे अर्जेंटीना के इस फुटबॉलर ने बेल्जियम के खिलाफ 1986 विश्व कप सेमी फाइनल में दो गोल किए थे। नेपोली से उनके पहले करार के दस्तावेज और नेपल्स अपार्टमेंट का उनका सोफा भी रखा गया है। माराडोना जुलाई 1984 में बार्सीलोना से रेकार्ड 10 .48 मिलियन डॉलर के करार पर नेपोली आए थे। उन्होंने टीम को संकट के दौर से निकाला और उसी दौरान टीम ने कोप्पा इटालिया, युएफा कप और इटालियन सुपर कप जीता। इस संग्रहालय में माराडोना की तस्वीरें, गेंद, आर्मबैंड, शर्ट भी रखी हैं।

इंडोनेशियाई टीम से जुड़ेंगे दक्षिण कोरिया के पूर्व फुटबॉल कोच

जकार्ता, 27 दिसंबर (एएफपी)।

दक्षिण कोरिया के पूर्व कोच शिन ताए यंग को इंडोनेशियाई राष्ट्रीय टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए चुना गया है। इंडोनेशियाई फुटबॉल संघ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। शिन पिछले साल रूस में हुए विश्व कप में दक्षिण कोरिया के कोच थे और इसमें उनकी टीम ने गत चैंपियन जर्मनी को बाहर का रास्ता दिखाया था। उनके शनिवार को अधिकारिक रूप से इंडोनेशिया का कोच चुने जाने की उम्मीद है। इंडोनेशिया फुटबॉल संघ के चेयरमैन मोचामाद इरियावान ने शुक्रवार को बयान में कहा कि हमने शिन को अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया है।

मैरी कॉम और निकहत में मुकाबला आज

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

ओलंपिक क्वालीफायर ट्रायल्स का फाइनल

विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के लिए महिला मुक्केबाजी ट्रायल्स के 51 किग्रा फाइनल में निकहत जरीन का सामना करेंगी। दोनों ने शुक्रवार को अपने पहले दौर के मुकाबलों में सर्वसम्मत फैसले में जीत हासिल की।

पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन निकहत जरीन ने शुक्रवार को ज्योति गुलिया को जबकि कई बार की एशियाई चैंपियन मैरी कॉम ने ऋतु ग्रेवाल को मात दी। दो दिवसीय प्रतिस्पर्धा शनिवार को समाप्त होगी। ओलंपिक क्वालीफायर के लिए चयन नीति पर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के ढुलमुल रवैये के बाद जरीन ने कुछ हफ्ते पहले छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम के खिलाफ ट्रायल की मांग कर हंगामा खड़ा कर दिया था। मैरी कॉम ने कहा था कि वह बीएफआइ की नीति का पालन करेंगी जिसने अंत में ट्रायल्स कराने का फैसला किया। बीएफआइ अध्यक्ष अजय सिंह ने एक सम्मान समारोह में घोषणा कर हलचल मचा दी थी कि मैरी कॉम को उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण बिना किसी ट्रायल के ओलंपिक क्वालीफायर के लिए चुना जाएगा। इससे नाराज जरीन ने उचित मौका दिए जाने की मांग की थी। अन्य मुकाबलों में विश्व युवा स्वर्ण पदकधारी साक्षी ने 57 किग्रा में एशियाई रजत पदक विजेता मनीषा मौन को हराया जबकि पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन सिमरनजीत कौर ने 60 किग्रा में पवित्रा को शिकस्त दी। दोनों नतीजे सर्वसम्मत रहे। ओलंपिक क्वालीफायर अगले साल फरवरी में चीन में आयोजित किए जाएंगे।

दोनों ने शुक्रवार को अपने पहले दौर के मुकाबलों में सर्वसम्मत फैसले में जीत हासिल की।

महिला मुक्केबाजी में सभी पांच वर्गों –51 किग्रा, 57 किग्रा, 60 किग्रा, 69 किग्रा और 75 किग्रा– का फैसला ट्रायल से ही होगा क्योंकि कोई भी मुक्केबाज विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह नहीं बना सकी थी। पुरुषों का दो दिवसीय ट्रायल कर्नाटक के बेलारी में रविवार से शुरू होगा।

तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन 2019 की सुर्खियां रहीं : पठान

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

इरफान पठान ने कहा कि उन्हें लगता है कि देश का 'तेज गेंदबाजी पावरहाउस' के रूप में ऊपर बढ़ना ही साल की सुर्खियों में रहा। वहीं वीवीएस लक्ष्मण ने आस्ट्रेलिया पर उसकी सरजमीं पर टैस्ट श्रृंखला में मिली जीत को 2019 के 'पंसदीदा क्षण' में शामिल किया। उमेश यादव (23), ईशांत शर्मा (25) और मोहम्मद शमी (33) ने 20 से भी कम औसत से इस साल टैस्ट में 81 विकेट चटकाए।

> उमेश यादव (23), ईशांत शर्मा (25) और मोहम्मद शमी (33) ने 20 से भी कम औसत से इस साल टैस्ट में 81 विकेट चटकाए।

इससे पहले जब एक टीम के तीन तेज गेंदबाजों ने एक कैलेंडर वर्ष में 20 से भी कम औसत से 20 से ज्यादा विकेट चटकाए वो 1978 था। तब इयान बॉथम, क्रिस ओल्ड और बॉब विलिस ने अपनी टीम के लिए यह कारनामा किया था। पठान ने कहा कि इस साल हमने देखा कि भारत के तेज गेंदबाजों ने देश के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की और हमने जो सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजी लाइन अप देखे हैं, यह उनमें से एक रहा।

उन्होंने कहा कि हमने उनकी गेंदबाजी के इरादे देखे और तेज स्विंग गेंदबाजी की। गेंद नई थी या पुरानी, यह मायने नहीं रहा। मैंने भारतीय क्रिकेट की प्रगति को देखा है विशेषकर तेज गेंदबाजी के मामले में। तो मेरे लिए यह साल की अहम बात रही। वहीं लक्ष्मण को लगता है कि भारत का आस्ट्रेलिया को उनकी ही मांद में हराना साल का सर्वश्रेष्ठ लम्हा रहा।

भारत ने दिसंबर 2018 में शुरू होकर जनवरी 2019 तक हुई चार मैचों की श्रृंखला में 2–1 से जीत हासिल की। लक्ष्मण ने कहा कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साल रहा लेकिन टैस्ट क्रिकेटर होने के नाते मेरा सपना हमेशा आस्ट्रेलिया को आस्ट्रेलिया में हराना था लेकिन मैं अपने करिअर में इसे हासिल नहीं कर सका।

सात्विक-चिराग को डिफेंस पर काम करना होगा : लिम्पेले

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

युगल बैडमिंटन कोच फ्लांडी लिम्पेले का मानना है कि सात्विक साइराज रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी भारत को तोक्यो ओलंपिक में पहला युगल पदक दिला सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें अपने डिफेंस और लगातार अच्छे प्रदर्शन पर फोकस करना होगा। सात्विक और चिराग ने इस साल थाईलैंड ओपन सुपर 500 खिताब जीता और फ्रेंच ओपन सुपर 750 में उपविजेता रहे। दोनों करिअर की सर्वश्रेष्ठ सातवीं रैंकिंग पर भी पहुंचे।

इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने बैडमिंटन विश्व महासंघ का 'मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर' पुरस्कार भी जीता। कोच लिम्पेले ने कहा कि उन्होंने इस साल अच्छी प्रगति की लेकिन कुछ चीजें बदलनी होंगी। वे ओलंपिक में पदक जीत सकते हैं लेकिन शॉट चयन और कोर्ट पर रणनीति में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

उन्होंने कहा कि उनका आक्रमण अच्छा है लेकिन डिफेंस पर मेहनत करनी होगी। उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है और अब ओलंपिक ज्यादा दूर नहीं है लिहाजा उन्हें अपने डिफेंस पर काम करना होगा।

आस्ट्रेलिया ने कीवियों पर बनाया दबदबा

मेलबर्न, 27 दिसंबर (एएफपी)।

बॉक्सिंग डे टैस्ट

आस्ट्रेलिया ने दो शुरुआती विकेट जल्दी लेकर शुक्रवार को दूसरे क्रिकेट टैस्ट में न्यूजीलैंड पर दबाव बना लिया है। मेजबान टीम ने ट्रेविस हेड के 114 रन की मदद से पहली पारी में 467 रन का विशाल स्कोर बनाया था। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर न्यूजीलैंड ने दो विकेट पर 44 रन बनाए थे। टॉम लैथम नौ और रोस टेलर दो रन बनाकर खेल रहे हैं।

कप्तान केन विलियमसन 14 गेंद ही खेल सके जिन्होंने नौ के स्कोर पर जेम्स पेटिंसन की गेंद पर विकेटकीपर टिम पेन को कैच थमाया। टॉम ब्लंडेल 15 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार बने। पर्थ में पहला मैच 296 रन से हारने वाली कीवी टीम को श्रृंखला में बने रहने के लिए यह मैच जीतना होगा।

आस्ट्रेलिया ने चाय तक पांच विकेट पर 431 रन बनाए थे लेकिन खेल बहाल होने के बाद नौ ओवर के भीतर पूरी टीम 467 रन पर आउट हो गई। कप्तान पेन 79 रन बनाकर आउट हुए। मिशेल स्टार्क, कमिंस और नाथन लियोन भी टिक नहीं सके। न्यूजीलैंड के लिए नील वेगनर ने 83 रन देकर चार विकेट लिए जबकि टिम साउदी को तीन विकेट मिले। आस्ट्रेलिया ने चार विकेट पर 257 रन से आगे खेलना शुरू किया था। उस समय स्टीवन स्मिथ 77 और हेड 25 रन पर खेल रहे थे। हेड ने 222 गेंद में अपना दूसरा टैस्ट शतक पूरा किया। स्मिथ भी 27वें टैस्ट शतक की ओर बढते दिख रहे थे लेकिन वेगनर ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। वह अपने गुरुवार के स्कोर में आठ रन ही जोड़ सके।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टैस्ट के दौरान शॉट लगाते न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन।

नहीं चला केन का बल्ला

कप्तान केन विलियमसन 14 गेंद ही खेल सके जिन्होंने नौ के स्कोर पर जेम्स पैटिनसन की गेंद पर विकेटकीपर टिम पेन को कैच थमाया। टॉम ब्लंडेल 15 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार बने। पर्थ में पहला मैच 296 रन से हारने वाली कीवी टीम को शृंखला में बने रहने के लिए यह मैच जीतना होगा।

रणजी ट्रॉफी : सत्र की पहली जीत से दिल्ली 60 रन दूर

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

ईशांत शर्मा की शानदार गेंदबाजी से दिल्ली ने शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए मैच में हैदराबाद पर पलड़ा भारी रखा। शर्मा ने चार विकेट लिए जिससे तन्मय अग्रवाल के शतक के बाद भी हैदराबाद की दूसरी पारी 298 पर पर सिमट गई। दिल्ली की पहली पारी के 284 रन के जवाब में हैदराबाद की टीम 69 रन पर सिमट गई थी। उसे फालोआन करना पड़ा। दूसरी पारी में कप्तान तन्मय अग्रवाल (103) के शतक और नौवें नंबर के बल्लेबाज मेहदी हसन के उपयोगी योगदान से वह पारी की हार टालने में सफल रहा।

दिल्ली की तरफ से ईशांत ने 89 रन देकर चार, सिमरजीत सिंह ने तीन और कुंवर बिधूड़ी ने दो विकेट लिए।

हैदराबाद ने दिल्ली के सामने 84 रन का लक्ष्य रखा। दिल्ली ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 24 रन बनाए हैं और अब उसे जीत के लिए केवल 60 रन चाहिए। स्टंप उखड़ने के समय पहली पारी में शतक जड़ने वाले कप्तान शिखर धवन 15 और कुणाल चंदेला छह रन पर खेल रहे थे।

उधर ग्रुप ए में ही सूरत में गुजरात ने केरल को 90 रन से शिकस्त दी। केरल के सामने 268 रन का लक्ष्य था लेकिन उसकी पूरी टीम 177 रन पर आउट हो गई। पंजाब ने विदर्भ के खिलाफ नागपुर में अच्छी शुरुआत करके ड्रॉ की तरफ बढ़ रहे मैच में पहली पारी में बढ़त की उम्मीद जगा दी है। विदर्भ की टीम ने गणेश सतीश के 145 रन की मदद से अपनी पहली पारी में 338 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 132 रन बनाए हैं।

कोलकाता में बंगाल की टीम आंध्र के खिलाफ पहली पारी में बढ़त लेने के करीब पहुंच गई है। बंगाल के 289 रन के जवाब में आंध्र ने सात विकेट पर 110 रन बनाए हैं। बंगाल शनिवार को उसके बाकी तीन विकेट लेकर फालोआन देने की कोशिश करेगा जिसके लिए आंध्र को 30 रन चाहिए।

अख्तर, कनेरिया के साथी खिलाड़ियों को जवाब देना चाहिए : पीसीबी

कराची, 27 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शोएब अख्तर के बयान से किनारा करते हुए कहा कि वह इस आरोप के लिए जवाबदेह नहीं है। अख्तर ने कहा था कि उनके पूर्व साथी दानेश कानेरिया को हिंदू होने के कारण अन्य खिलाड़ियों से भेदभाव झेलना पड़ता था। अख्तर ने कहा था कि कनेरिया का कुछ खिलाड़ियों ने अपमान किया क्योंकि वह हिंदू था। इस वजह से उसे जरूरी श्रेय नहीं मिला और कुछ खिलाड़ी तो उसके धर्म के कारण उसके साथ खाना नहीं खाते थे।

कनेरिया ने भी अख्तर के बयान पर सहमति जताई और कहा कि वह जल्द ही उन खिलाड़ियों के नामों का खुलासा करेंगे जिन्होंने उनके धर्म के कारण उनके साथ गलत व्यवहार किया। यह पूर्व स्पिनर 2012 से स्पॉट फिक्सिंग के कारण आजीवन प्रतिबंध झेल रहा है।

पीसीबी के प्रवक्ता ने कहा, 'अख्तर और कनेरिया दोनों संन्यास ले चुके हैं और हमसे अनुबंधित नहीं है इसलिए वे जो चाहे कर सकते हैं और कह सकते हैं। यह उनके विचार हैं। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी व्यवस्था के खिलाफ नहीं बल्कि कुछ खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर आरोप लगाए हैं।' उन्होंने कहा, 'जब कनेरिया खेल रहा था तब इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के कप्तान रहे। अख्तर और कनेरिया ने जो कुछ कहा, इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए इसमें बोर्ड को क्यों शामिल होना चाहिए।'

क्रिकेटरों की उपेक्षा की खबरों का खंडन किया पीसीबी ने

कराची, 27 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खबरों का खंडन किया है कि अगले साल एशिया एकादश और विश्व एकादश के बीच होने वाले टी–20 मैचों के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों की उपेक्षा की जा रही है। पीसीबी ने कहा कि उसके खिलाड़ियों को बीसीबी से न्योता मिला है लेकिन पाकिस्तान प्रीमियर लीग से तारीखों के टकराव के कारण वे उपलब्ध नहीं हैं।

एशियाई एकादश और विश्व एकादश के बीच 18 और 21 मार्च को दो टी–20 मैच खेले जाने हैं जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का हिस्सा होंगे। पीसीबी प्रवक्ता ने कहा कि इन मैचों को लेकर कुछ गलतफहमी है। हमारे खिलाड़ियों को न्योता मिला है लेकिन चूंकि ये मैच पाकिस्तान प्रीमियर लीग के दौरान हो रहे हैं तो हमारे खिलाड़ी नहीं खेल सकेंगे।

एथलेटिक्स से जुड़ेंगे और युवा : सेबेस्टियन को

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन को का मानना है कि पहले से बेहतर वित्तीय सुरक्षा के कारण ट्रैक और फील्ड आने वाले समय में दुनिया के शीर्ष चार वैश्विक खेलों में शुमार होगा।

ओलंपिक दिग्गज सुशील कुमार का खराब प्रदर्शन | **2019: भारतीय कुश्ती** | **साक्षी मलिक का भी खराब दौर जारी रहा**

बजरंग, विनेश और दीपक का सितारा रहा बुलंद

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय कुश्ती में ज्यादातर शीर्ष पहलवानों ने 2019 में उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया। इनमें सबसे चमकता सितारा दीपक पूनिया रहे। वहीं अनुभवी और ओलंपिक दिग्गज सुशील कुमार और साक्षी मलिक का खराब प्रदर्शन जारी रहा। इस साल विश्व चैंपियनशिप में पांच पदक और चार ओलंपिक कोटे स्थान हासिल करना भारतीय पहलवानों के लिए अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा।

बजरंग पूनिया (65 किग्रा) और विनेश फोगाट (53 किग्रा) ने तोक्यो 2020 कोटे हासिल करने के अलावा पोडियम स्थान हासिल किए। लेकिन उनसे कांस्य से बेहतर पदक की उम्मीद थी। दीपक (86 किग्रा) साल के शुरू में जूनियर विश्व चैंपियन बने थे और उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ ओलंपिक कोटा हासिल कर सुर्खिंया बटोरीं। वह स्वर्ण पदक जीतकर सुशील कुमार (2010) के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन जाते। लेकिन टखने की चोट उनके आड़े आ गई और उन्हें फाइनल से हटने के लिए बाध्य होना पड़ा।

विनेश फोगाट
बजरंग पूनिया

हालांकि सबसे अच्छी खबर साल के अंत में आई जब उन्हें खेल की संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ जूनियर पहलवान चुना गया। हरियाणा के दीपक के पिता दूध बेचते हैं और वह पहली बार 2016 में कैडेट विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक के जरिये खबरों में आए थे। 2018 में उन्होंने सीनियर स्तर पर केवल एक पदक जीता लेकिन इस साल उन्होंने दो कांस्य और एक रजत के बाद नूर सुल्तान में अपने करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दूसरा स्थान हासिल किया।

पूनिया ने विश्व चैंपियनशिप से पहले जिस भी टूर्नामेंट में शिरकत की, उसे जीता। डान कोलोव, एशियाई चैंपियनशिप, अली अलीएव और यासार डोगू में उन्होंने स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले लेकिन विश्व चैंपियनशिप तक प्रतिद्वंद्वी उनके 'लेग डिफेंस' को बखूबी समझ गए।

सुशील कुमार

कजाखस्तान के दौलत नियाजबेकोव ने नूर सुल्तान में उनकी शानदार फॉर्म को रोका और यह काफी हैरानी भरा रहा क्योंकि वह दुनिया के नंबर एक पहलवान के तौर पर खिताब जीतने के प्रबल दावेदार थे। बजरंग ने हार के बाद शिकायत की कि जजों ने घरेलू पहलवान का पक्ष लिया लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने शुरुआती बढ़त गंवा दी थी।

गरीब परिवार से एक अन्य पहलवान रवि दहिया ने अपनी मजबूत तकनीक, ताकतवर डिफेंस और सबसे अहम अपने मिजाज से प्रभावित किया जो उन्हें ओलंपिक पदक के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। विश्व चैंपियनशिप में उनका कांस्य पदक कईयों के लिए हैरान करने वाला रहा लेकिन प्रो लीग में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। इससे भारत तोक्यो में पहलवानों से एक से ज्यादा पदक की उम्मीद कर सकता है।

साक्षी मलिक

विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला पदक जीतकर ओलंपिक पदक की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ओलंपिक वर्गों की सबसे बड़ी स्पर्धा में से एक में विनेश ने सिर्फ अपनी प्रतिद्वंद्वियों को नहीं पस्त किया बल्कि कुछ को हराकर उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी भी हुई।

हालांकि दो ओलंपिक पदक जीतने वाले सुशील कुमार और रियो 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक के लिए यह साल खुद को साबित करने की जोर आजमाइश करने वाला रहा।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.–21047/03–05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 41, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए–8, सेक्टर 7, नोएडा– 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com

www.readwhere.com